प्रकाशन क्र. ......

शासकीय उपयोग हेतु

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन

निर्देशक : शम्मी आबिदी आई.ए.एस.
प्रस्तुतिकरण : आनंद सिंह परमार

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

क्र.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	अध्याय – 1	भूमिका	4–10
2.	अध्याय – 2	भौगोलिक वर्गीकरण	11–15
3.	अध्याय – 3	जिलेवार परिवार संकेन्द्रण	16–39
4.	अध्याय – 4	शैक्षणिक स्थिति	40–48
5.	अध्याय – 5	सामाजिक–आर्थिक स्थिति	49–93
6.	अध्याय – 6	योजनाओं से लाभ	94–99
7.	अध्याय – 7	स्वास्थ्य की स्थिति	100–103
8.	अध्याय – 8	सारांश	104–107
9.	अध्याय – 9	ग्राम सूची	108–127

अध्याय –1

भूमिका –

सभ्यता के विकास के पूर्व मानव आदिम व्यवस्था में घने जंगलो, तराईयों, पहड़ों व कंदराओं एवं तटीय क्षेत्र में निवास करते थे। आदिम समय में जनजातियों के लोग ग्रामीण एवं शहरी सभ्यता से दूर रहे है। समान्य जन अनुसचित जनजातियों को वन्यजाति, जनजाति, वनवासी आदि विभिन्न नामों से जानते है। जनजातियों को भारत का प्राचीनतम निवासी माना जाता है। जंगली कंदमूल तथा शिकार से अपना उदर पूर्ति करते थे। वर्तमान मे देश की जनसंख्या का कुछ भाग आज भी ग्रामीण अथवा शहरी सभ्यता से कोसो दूर सुदुर अंचलों, बीहड़, वनाच्छादित क्षेत्रों, पहाड़ियों, घाटियों, तरहटी क्षेत्रों में आदिम व्यवस्था में अपना जीवनयापन कर रहे है यह समाज प्रागैतिहासिक युगीन मानव एवं ग्रामीण सभ्यता के बीच एक कड़ी का निर्माण कर मानव सभ्यता के विकास क्रमबद्ध करते है।

इन समूहों मे अपने निश्चित निवास क्षेत्र, एक बोली, प्रकृति पूजक एवं स्वयं के देवी–देवता, समान्य संस्कृति, राजनैतिक संगठन, वधूमूल्य प्रथा, टोटम, वन आधारित संस्कृति एवं वन आधारित अर्थव्यवस्था आदि के साथ विशिष्टता लिये होते है।

इनकी सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति अन्य समाज की लोगों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई स्थिति है क्योकि ये अन्य समुदायों से पृथक्कीकृत जीवन शैली यानि (आदिम जीवन शैली) से अपना जीवन निर्वाहन करते है।

स्वतंत्र भारत में भारत का संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत ऐसे समुदायों की विशिष्ट जनजातीय लक्षणों के आधार पर चिन्हित कर अनुसूचित (सूचीबद्ध) करते हुये अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया है। भारत में भारतीय मानव सर्वेक्षण द्वारा 532 अनुसूचित जनजाति समूह की पहचान की गयी है। सर्वप्रथम दिनांक 06/09/1950 को भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति की सूची जारी की गयी। यह सूची अलग–अलग राज्यों के लिये पृथक–पृथक जारी की जाती है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सविधि पूर्वक अधिसूचित/सूचीबद्ध कर सकते है। संविधान में इनके सामाजिक आर्थिक तथा

शैक्षणिक विकास के साथ–साथ, शोषण से बचाये जाने, इनके हित के विकास के लिये विभिन्न उपबंधों के तहत संवैधानिक प्रावधान किये गये।

अनुच्छेद 46 में इनके सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सर्वांगीण विकास तथा इनके सभी प्रकार के हितों के संरक्षण व शोषण से मुक्ति दिलाने का कार्यभार राज्य शासन को सौंपा गया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत समस्त राज्य सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा जनजातियों के समग्र विकास हेतु विभिन्न हितग्राही मूलक, विकास मूलक योजनाओं का संचालन कर उन्हे विकास की मुल्यधारा में जाने के लिये चरणबद्ध प्रयास किये जा रहे है।

भारत की जनगणना 2011 अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। छ.ग. राज्य में भारत की जनगणना 2011 अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 30.60 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की संख्या है। छ.ग. राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 42 जनजातीय समुदायों व उनकी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित (सूचीबद्ध) किया गया है। राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 78,22,902 है जिसमें पुरूष 38,73,191 एवं महिला 39,49,711 है जिसमें से केवल 7.56 प्रतिशत (5,91,820) आबादी शहरी क्षेत्रों में निवासरत है। शेष 92.44 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है।

शैक्षणिक स्थिति के संदर्भ में जनगणना 2011 अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में साक्षरता की दर 50.03 प्रतिशत (पुरूष साक्षरता 58.85 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता 43.38 प्रतिशत) है।

विशेष पिछड़ी जनजातियां.–

स्वतंत्रता के लगभग 25 वर्ष पश्चात भारत सरकार द्वारा आदिवासी विकास की दशा एवं दिशा के संबंध में समीक्षा करने पर यह पाया कि अनुसूचित जनजातियों में से कुल अनुसूचित जनजातियों जो उस समूह के सबसे अंतिम छोर पर है जिन्हे अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है अथवा वे लाभ नहीं ले रहे थे उनके लिये पृथक से कार्य योजना निर्माण का निर्णय लिया गया। जैसे एक ही परिवार के सभी बच्चो अथवा संतानो का बौद्धिक एवं शारीरिक विकास एक सा नहीं हो पाता है, या कोई संतान बाकी की अपेक्षा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कम वृद्धि करता है, तो चिकित्सक द्वारा उसे अतिरिक्त देख–रेख के साथ–साथ विशेष पोषण की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना को समय से जनजातियों हेतु किये गये समग्र विकास की समीक्षा उपरांत अनुसूचित जनजातियों में से कुछ समुदाय जो अपेक्षाकृत क्रय विकसित हुये या योजनाओं का लाभ विभिन्न कारणों से नहीं प्राप्त कर रहे थे के विशेष क्रियान्वयन पर बल दिया गया।

वर्ष 1973 में ढेबर कमीशन द्वारा जनजातीय समूहों में से सर्वाधिक कम विकसित समुदायों के लिये पृथ्क से ''आदिम जनजाति समूह'' नाम से श्रेणी की गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से कुछ निश्चित समुदायों को चिन्हित कर निम्न साक्षरता दर, कम होती जनसंख्या या स्थिर जनसंख्या प्राककृषि तकनीक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन आदि जैसे मापदंडो के आधार पर वर्ष 1975 में सर्वप्रथम 52 अनुसूचित जनजातियों को एवं तत्पश्चात 1993 में 23 अनुसूचित जनजातियों अर्थात कुल 75 अनुसूचित जनजातियों को ''अदिम जनजाति समूह'' में सूचीबद्ध करते हुये अनुसूचित जनजातियों के लिये चलायी जा रही विकासोन्मुखी योजनाओं के अलावा इन समूहों के लिये पृथक से योजना संचालित किये जाने का प्रावधान किया गया।

आदिम जनजाति समूह अन्य जनजातिय समूह से अलग कंदमूल वनोपज संग्रहण, शिकार एवं आदिम कृषि पर निर्भर है।

मापदंडो के अनुसार कृषि अर्थव्यवस्था की आदिम तकनीकी, स्थिर या बढ़ती हुई जनसंख्यादर, निम्नतम साक्षरता दर तथा अन्य जनजातीय सामाजों से पृथककीकरण के आधार पर

छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे पांच जनजातीय समूहों की पहचान की गयी तथा उसमे आदिम जनजातीय समूह का दर्जा दिया गया है।

पूर्व में मध्यप्रदेश एवं पूर्वोत्ती मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) राज्य के लिये भारत सरकार द्वारा जारी आदिम जनजाजीय समूह (विशेष पिछड़े जपजाति) की सूची इस प्रकार से है। मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) अबूझमाड़िया, बैगा, भारिया, हिल कोरबा, कमार, सहरिया, बिरहोर यह जनजातीय समूह इस प्रकार से है विशेष पिछड़ी जनजाति समूह छ.ग. राज्य के लिये

1. कमार 2. अबूझमाड़िया 3. बैगा 4. बिरहोर 5. पहाड़ी कोरवा

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल 42 अनुसूचित जनजाति में से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार कमार, बिरहोर, अबुझमाड़िया, हिल या पहाड़ी कोरवा एवं बैगा अनुसूचित जनजातियों को आदिम जनजाति समूह घोषित किया गया है।

वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा उक्त आदिम जनजातीय समूह (PTG) शब्द के स्थान पर Primitive Vulnerable Tribal Groups (PVTG) शब्द को मान्यता प्रदान की है। छत्तीसगढ़ राज्य की उक्त 05 विशेष पिछड़ी जनजाति राज्य के निम्नांकित जिलो में निवासरत हैः–

क्र.	**PVTG** का नाम	निवासरत जिले
1	कमार	गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद एवं कांकेर
2	अबूझमाड़िया	नारायणपुर
3	बिरहोर	कोरबा, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर
4	पहाड़ी कोरवा	बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं जशपुर
5 बैगा		कोरिया, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, गौरेला–पेंड्रा–मरवाही

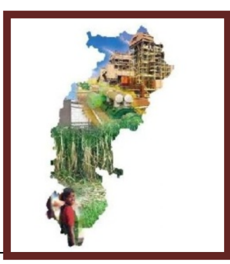

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु राज्य सरकारों के विशेष अभिकरण गठित करने का सुझाव दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु छ.ग. शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण अथवा प्रकोष्ठों को गठन किया गया है :–

क्र.	**PVTG का नाम**	अभिकरण / प्रकोष्ठ का नाम
1	कमार	विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण गरियबंद विशेष पिछड़ी जनजाति कमार प्रकोष्ठ नगरी धमतरी विशेष पिछड़ी जनजाति कमार प्रकोष्ठ महासमुंद विशेष पिछड़ी जनजाति कमार प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर कांकेर छ.ग.
2	बैगा	विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण कबीरधाम विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण बिलासपुर विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा प्रकोष्ठ कोरिया विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा प्रकोष्ठ राजनांदगांव विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा प्रकोष्ठ मुंगेली
3	पहाड़ी कोरवा	विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अंबिकापुर, सरगुजा विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण जशपुर विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ कोरबा विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ बलरामपुर
4	बिरहोर	विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर विकास अभिकरण जशपुर विशेष पिछड़ी जनजाति बिराहोर प्रकोष्ठ धरमजयगढ़ जिला–रायगढ़
5	अबुझमाड़िया	विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर

उपरोक्तानुसार यह अध्ययन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार के आधारभूत सर्वेक्षण पर आधारित है आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर द्वारा वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना प्रस्ताव में राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के आधारभूत सर्वेक्षण प्रस्तावित किया गया भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के शत–प्रतिशत वित्तीय अनुदान से उक्त सर्वेक्षण कार्य को संपादित किया गया।

अध्ययन प्रविधियां.–

आधारभूत सर्वेक्षण राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के समस्त परिवारों का किया जाना था। अतः कमार जनजाति के अध्ययन हेतु जनजागरण पद्धति अर्थात शत–प्रतिशत परिवारो को सर्वेक्षण में शामिल किया गया।

लक्ष्यों/आकड़ो के संग्रहण में प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु पूर्व में भारत सरकार से प्राप्त अनुसूची के माध्यम से प्रत्यक्ष चर्चा कर जानकारी प्राप्त की गयी एवं राज्य शासन स्तर से आवश्यकता अनुरूप अनुसूची में कुछ तथ्यों को जोड़ा गया है।

द्वितीय तथ्य संकलन पूर्व सर्वेक्षण ग्रामवार सूची जनगणना प्रतिवेदन पूर्व प्रकाशित पुस्तकें, प्रतिवेदन आदि का सहयोग लिया गया। प्राप्त लक्ष्यों/आकड़ों की कम्प्यूटर एंट्री पश्चात प्राप्त आंकड़ों/निष्कर्षो के साथ सारणीयण का कार्यकर व्याख्या करते हुये प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आधारभूत सर्वेच्छण का उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की जनांकिकीय स्थिति का अध्ययन।

2. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन।

3. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन।

4. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की विकासीय योजनाओं के प्रभार का अध्ययन।

5. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कार्यशीलता का अध्ययन।

6. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वांगीणय विकास की नियोजन की स्थिति की पहल।

अध्याय 2

कमार विषेश पिछडी जनजाति को भारत सरकार द्वारा विशिष्ट लक्षणों एवं मापदण्डों के आधार पर विषेश पिछडी जनजाति घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची में 42 जनजाति समुदायों एवं उसकी उपजातियों को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान परिवेश में भी आदिम व्यवस्था में जीवन व्ययतीत करने वाली कमार जनजाति की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पुनर्रावलोकन निम्न बिन्दुओं में दर्शित है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक विकासात्मक योजनाओं को प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है जनजातीय समुदाय में अभी भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से मौलिक है।

भौगोलिक वर्गीकरण.–

कमार विषेश पिछडी जनजाति भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आदिवासी एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र की जनजाति है जो मुख्य रूप से गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कांकेर एवं कोण्डागांव जिले के एक गांव में और बलौदाबाजर–भाटापारा जिले के दो गांव पायी जाती है।

गरियाबंद जिले के छूरा, मैनपुर फिंगेष्वर, एवं गरियाबंद विकाखण्डों में, महासमुंद जिले के बागबाहरा, महासमुंद एवं पिथौरा विकासखंडों में, बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखण्ड, कांकेर जिले के नहरहपुर विकासखण्ड, कोण्डागांव के बडे राजपुर विकासखण्ड, एवं धमतरी के नगरी, मगरलोड एवं धमतरी विकासखण्डों में कमार विषेष पिछडी जनजाति निवासरत है।

उत्पत्ति.–

कमार जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किन्तु प्रचलित किवदली कई है।

कमार जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति देव डोंगर से मानते है उनका सबसे बडा देवता आज भी देवडोंगर के ''वामन डोंगरी'' में स्थापित है जिसे वामन देव के नाम से जानते है।

बिन्द्रानवागढ़ के राजा व राजपरिवारों द्वारा पूर्व में कमार जनजाति के लोग सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से बहुत अधिक कमजोर थे, अतः उन्हें कमार कहा गया।

भौतिक संस्कृति.–

कमार जनजाति के लोग घने जंगलों पहाडियों में निवास करते है इनके मकान लकडी, बांस, घासफूस तथा मिटटी से बने होते है, मकान एक या दो कमरे के होते है। इनके मकानों की छप्पर घास–फूॅस या खपरैल की बनी होती है।

घर में खाना बनाने के लिए एक किनारे पर मिटटी का स्व–निर्मित चूल्हा होता है। घरेलू वस्तुओं में मुख्यतः अनाज रखने के लिए बांस की बनी कोठी, टोकनी, सूपा, चटाई, ढेकी, चक्की मिटटी के बर्तन तथा कुछ मात्रा में धातु के बर्तन, ओढ़ने बिछाने तथा पहनने के कपडे बांस बर्तन बनाने के उपकरण, कृषि उपकरण, वनोपज संग्रहण एवं संकलन हेतु कर्टन, गैती, फावड़ा, टंगिया तथा शिकार के उपकरण तीर धनूष एवं मछली पकडने के लिए झाल, छापर इत्यादि प्रत्येक कमार के घरो में पाये जाते है।

कमार जनजाति में पुरूष पटका (छोटी धोती), बंडी (बनियान) सलूका एवं महिलायें लुगड़ा (साड़ी) पोलका (ब्लाउज) पहनती है। कुछ युवक–युवती आधुनिक वस्त्रों का उपयोग करने लगे है। स्त्रियों के श्रृंगार में बालो में कंघी या ककवा से पिछे की ओर जुड़ा या चोटी बनाती है। महिलायें शौक से हाथ एवं पैरो पर गोदना गुदवाती है तथा चांदी एवं गिलट से बना आभूषण जिसमें हाथ की कलाई में ऐठी, बांह में पहुंची, नाक फुली तथा कान में खिनवा पहनती है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग कमारी एवं छत्तीसगढ़ी बोली बोलते है।

आर्थिक जीवन.—

इस जनजाति का मुख्य परंपरागत व्यवसायबांस बर्तन निर्माण कर विक्रय, मछली पकड़ना, कंद मूल तथा वनोपज संग्रहण करना झूम आदिम कृषि करना, शिकार करना, साथ में उपलब्ध कृषि भूमि पर परंपरागत पद्धति के साथ अब स्थाई खेती करने लगे है। उनके द्वारा प्रमुख फसल धान, कोदो, माडिया, उड़द, मूंग, कुल्थी आदि बोते है वनोपज संग्रहण जिसमें महुआ, साल बीज, हर्रा, बहेड़ा, तेन्दु, तेन्दु पत्ता, चिरोनी, आंवला, गोंद आदि का स्वयं उपभोग करने के लिये अतिरिक्त हाट बाजार, स्थानीय बाजार में विक्रय या विनिमय कर दैनिक जीवन उपयोगी आवश्यकताओं के संसाधन जुगते है। जल स्त्रोतों से यावर्षाकाल में मत्ययाखेट करते है एवं कमार लोगो के द्वारा वनो से शहद एवं जड़ी बूटी एकत्रित कर भी बेचते है।

सामाजिक जीवन.—

कमार जनजाति दो भागों, पहाड़ों में रहने वाले पहाड़पतिया एवं मैदानी क्षेत्र में रहने वाले बुंदरजिवा में विभक्त है इस जनजाति में मुख्य रूप सात बर्हिविवाही गोत्र समुहों जगत, नेताम, सोरी, मरकाम, मरई, छेदईहा और कुजाम पाये जाते है। इस समूह के प्रत्येक गोत्र वाले लोग अपने को पूर्वज के संतान मानते है। इसलिए समगोत्रीय विवाह नहीं होता है इस जनतातीय में अधिकांश केन्द्रीय परिवार देखा जा सकता है। ये पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक एवं पितृनिवास स्थानीय होता है इनके गोत्र (टोटेमिक) होते है। जो पशु पक्षी जीव जंतु एवं पेड पौधों पर आधारित है।

पितृसत्तात्मक समुदाय होने के कारण इनके परिवार का मुखिया पुरूष होता है। पिता के आधार पर ही वंश का संचालन होता है।

जीवन चक्र.–

कमार जनजाति में उनके जन्म से मृत्यु तक विभिन्न समाजिक संस्कारों से बंधा होता है इनके जीवन के संपूर्ण कालखंड को प्रमुख संस्कारो में विभाजित कर सकते है।

जन्म संस्कार.–

कमार जनजाति में लडकियों मासिक धर्म प्रारंभ (मुण्डेपानी पडियों) होने पर उसे विवाह योग्य माना जाता है। कमार जनजाति में विवाह पश्चात महिला का मासिक धर्म रूक जाने पर उसे गर्भवती माना जाता है। प्रसव कार्य सुईन या अपने जाति की बुजुर्ग जानकार महिला द्वारा कराया जाता है। नाल ''बोमला'' काटने का कार्य नानी या विपरीत गोत्र की महिला द्वारा काटा जाता है। नवजात शिशु की नाल चाकू या छुरी से कही–कही बांस की पतली पत्ती से काटा जाता है। नाल को घर में गढ्ढ़ा खोदकर गड़ते है। छठवें दिन छठी कार्यक्रम होता है छट्ठी के दिन सोनवान (समधी पक्ष) द्वारा बच्चे के सांवर बली (बच्चे के प्रथम बाल) को साफ कर बच्चे के संपूर्ण शरीर में हल्दी तेल का लेप एवं शिशुवती महिला को गरम पानी में लहलाकर हल्दी तेल लगाई जाती है उसी दिन बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। छठी के दिन सगे संबंधी को स्थिति अनुसार एवं नात–रिश्तेदार, गांव वालो को भोज व्यवस्था एवं मदिरा की व्यवस्था की जाती है।

विवाह.–

कमार जनजाति में लड़के (शारीरिक विकास, दाढ़ी मूंछ उग आने पर तथा उसके परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पाने की स्थिति में) लड़कियों के (मासिक धर्म प्रारंभ होने पर) विवाह योग्य हो जाने पर विवाह किया जाता है। सामान्यतः लड़की की उम्र 16–18 वर्ष एवं लड़को की उम्र 18–20 वर्ष में विवाह हेतु प्रस्ताव लेकर आते है। इस जनजाति में मामा–फूफू विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। कमार जनजाति में विषम गोत्रीय विवाह होता है। विवाह में वधूमूल्य प्रथा (महला) प्रचलित है। विवाह के सामाजिक नियमों की पूर्ति होने पर फलदान, तेल हल्दी, मड़वा, बारात, भांवर, सेन्दुर, टिकावन, भोज, एवं चौथिया प्रक्रिया से विवाह कार्यक्रम सम्पन्न माना जाता है। सामान्य विवाह के अलावा लमसेना (घर जमाई), गुरावट आदि प्रथा प्रचलित है पैठू (घुसपैठ) उढरिया

(सहपलायन) को सामाजिक दंड के साथ समाज में स्वीकृति मिल जाती है इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह, परित्यक्ता चूड़ी पहनाना, देवर भाभी विवाह को सामाजिक मान्यता है।

मृत्यु संस्कार.–

कमार जनजाति के जीवन काल का अंतिम संस्कार मृत्यु संस्कार होता है। मृत्यु पश्चात मृतक शरीर (शव) को दफनाते है शव को दफनाने के लिये सोनवानी (समधी) एवं गांव के लोग मिल कर गढ्ढा खोदते है शव को दफनाते समय चित्त लिटाकर सिर को पूर्व दिशा की ओर रखते है शव को दफनाने के बाद उसे पवित्र करने के लिये उसके उपर गोबर से छिंटा देते है अर्थी उठाने के बाद घर को भी गोबर से लिपते है पवित्र करते है तीसरे दिन तीज नहावन होता है जिसमें मृतक के परिवार के पुरूषजनों के दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल का मूंडन किया जाता है जिसे सांवर मुंडाग कहते है। अंत में खात खवई का कार्यक्रम होता है जिसमें परिवार रिश्तेदारों गोत्र लोगो को व गांव के लोगो को खाना खिलाते है। तेरहवे में मृत्यु भोज दिया जाता है।

राजनैतिक जीवन.–

कमार जनजाति में सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए परंपरागत जाति पंचायत व्यवस्था पायी जाती है। जातिगत पंचायत का मुखिया प्रमुख कहलाता है प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्रामस्तरीय जाति पंचायत व्यवस्था प्रचलित है जिसमें ग्राम स्तर पर छोट–छोटे सामाजिक अपराधों, वैवाहिक संबंधो, अनैतिक संबंधो, लड़ाई–झगड़ो एवं जमीन बटवारों इत्यादि का निपटारा किया जाता है जाति पंचायत मुखिया को ग्राम के अन्य लोक सहयोग प्रदान करते है अधिकांश मामले को जातिगत पंचायत के द्वारा गांव में ही निपटारा कर लिया जाता है। अनेक ग्रामों को मिलाकर एक क्षेत्रीय जाति पंचायत पायी जाती है। क्षेत्रीय जाति पंचायत की बैठक सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने में बहुत बड़ा योगदान देती है। क्षेत्रीय जाति पंचायत का बैठक आयोजन धार्मिक अनुष्ठानों, त्यौहारों, मेला–मड़ई के स्थान में आयोजित की जाती है। जिससे अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों एवं पंचायत के सम्मुख आने वाले मामलो का निपटारा दोनो पक्षों की उपस्थिति में हो। सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिये क्षेत्रीय जाति पंचायत द्वारा जो भी दंड निर्धारित किया जाता है उसको सामाजिक दबाव होने के कारण मान्य किया जाता है।

अध्याय 3

जिलेवार परिवार संकेन्द्रण.–

छत्तीसगढ़ राज्य के कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का सामाजिक जनांकिकीय वितरण को दृष्टि से जिलेवार परिवार संकेन्द्रण इस प्रकार से है :–

क्र.	जिले का नाम	कमार परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	बालौदा बाजार	40	0.53
2	धमतरी	1711	22.90
3	गरियाबंद	4739	63.41
4	कांकेर	79	1.05
5	महासमुंद	895	11.98
6	कोंडागांव	10	0.13
	योग	**7474**	**100.00**

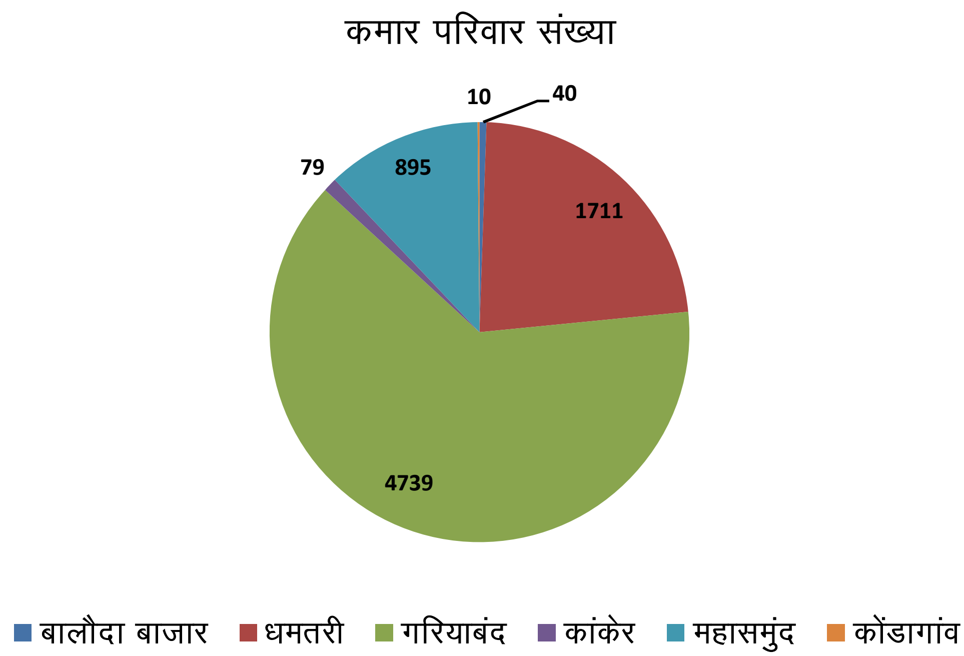

उपरोक्त तालिका अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति बलौदा–बाजार, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, महसमुंद एवं कोण्डागांव जिले में निवासरत है राज्य में सर्वे के अनुसार कमार जनजाति के 7474 कुल परिवार निवासरत है जिलेवार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के संकेन्द्रण पर नजर डाले तो यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 63.41 प्रतिशत (N=4739) कमार परिवार गरियाबंद जिले में, 22.90 प्रतिशत (N=1711) कमार परिवार धमतरी जिले में, 11.98 प्रतिशत (N=895) कमार परिवार महासमुंद जिले में, 1.05 प्रतिशत (N=79) कमार परिवार कांकेर जिले में, 0.53 प्रतिशत (N=40) कमार परिवार बलौदा–बाजार भाटापारा जिले में एवं 0.13 प्रतिशत (N=10) कमार परिवार कोण्डागांव जिले में निवासरत है सबसे ज्यादा गरीयाबंद जिले एवं सबसे कम कमार परिवार कोण्डागांव जिले में निवासरत है।

विकासखंडवार संकेन्द्रण.–

छत्तीसगढ़ राज्य के कमार विशेष पिछड़ी जनताति निवासरत जिलो के विकासखंडो में कमार परिवारों के संकेन्द्रण की जानकारी निम्नानुसार है।

क्र.	जिला	विकासखंड का नाम	कमार परिवार	
			संख्या	प्रतिशत
1	बलौदाबाजार	कसडोल	40	0.53
		योग	**40**	**053**
2	धमतरी	धमतरी	20	0.27
		मगरलोड	448	5.99
		नगरी	1243	16.64
		योग	**1711**	**22.90**
3	गरियाबंद	छुरा	1092	14.61
		फिगेश्वर	205	2.74
		गरियाबंद	2005	26.83
		मैनपुर	1437	19.23

		योग	**4739**	**63.41**
4	कांकेर	नरहरपुर	79	1.05
		योग	**79**	**1.05**
5	कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	10	0.13
		योग	**10**	**0.13**
6	महासमुंद	महासमुंद	461	6.16
		बागबाहरा	390	5.23
		पिथौरा	44	0.59
		योग	**895**	**11.98**
		महायोग	**7474**	**100.00**

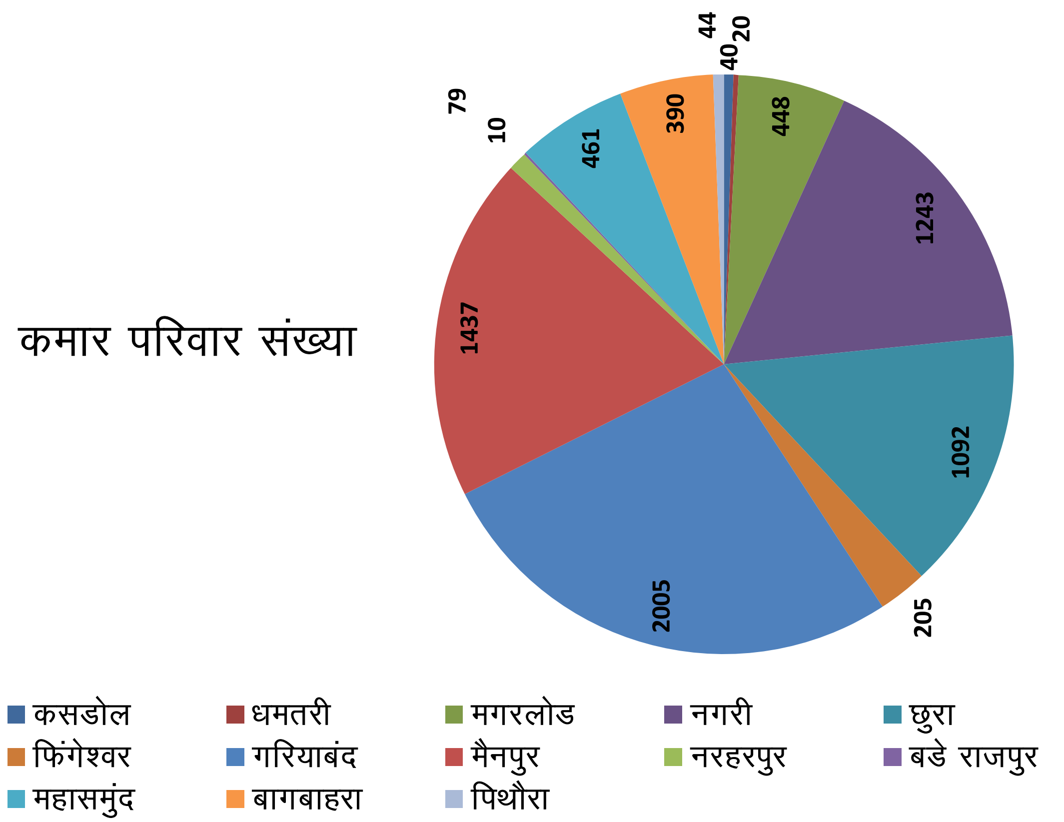

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के जिलेवार संकेन्द्रण में सर्वाधिक संकेन्द्रण हालॉकि गरियाबंद जिले में दिखाई देता है। किन्तु विकासखंडवार आंकलन करे तो गरियाबंद विकासखंड में 26.83 प्रतिशत (N=2005) कमार परिवार है। 19.23 प्रतिशत मैनपुर विकासखंड में कमार परिवार (N=1437) निवासरत है। 16.64 प्रतिशत (N=1243) धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में है। गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड में 14.61 प्रतिशत (N=1092) कमार परिवार है 6.16 प्रतिशत (N=416) कमार परिवार का संकेन्द्रण महासमुंद जिले के महासमुंद विकासखंड में है।

गरियाबंद जिले के गरिसाबंद विकासखंड में 26.83 प्रतिशत N=2005 मैनपुर विकासखंड में 19.23 प्रतिशत N=1437, छुरा विकासखंड में 14.61 प्रतिशत N=1092 एवं फिंगेश्वर विकासखंड में 2.74 प्रतिशत (N=205) कमार परिवार निवासरत है।

धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में 16.64 प्रतिशत (N=1243), धमतरी विकासखंड में 0.27 प्रतिशत (N=20) एवं नगरी से लगे मगरलोड विकासखंड में 5.99 प्रतिशत (N=448) कमार परिवार निवासरत है।

बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत एक मात्र विकासखंड कसडोल में 0.53 प्रतिशत (N=40) कमार परिवार निवासरत है।

महासमुंद जिले के महासंमुद विकासखंड में 6.16 प्रतिशत (N=416), बागबाहरा विकासखंड में 5.23 प्रतिशत (N=390) एवं पिथौरा विकासखंड में 0.59 प्रतिशत (N=44) कमार परिवार निवासरत है। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड में 1.05 प्रतिशत (N=79) कमार परिवार निवासरत है।

नगरी विकासखंड से लगे कोडागांव जिले के बडेराजपुर विकासखंड में 0.13 प्रतिशत (N=10) कमार परिवार निवासरत है।

परिवार प्रकार.–

समाज चाहे शाही, ग्रामीण अथवा जनजातीय समाज हो उनमें परिवार प्रकार की अवधारणा विद्यमान होती है। परिवार प्रकार एक परिवार अंतर्गत निवास करने वाले वैवाहिक जोड़ो (रक्त संबंधी अथवा विवाह संबंधी) नातेदारी सहित के आधार पर केन्द्रीय (मूल), संयुक्त अथवा विस्तृत परिवार प्रकार के रूप में वर्गीकृत होते है। सर्वेक्षित कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में परिवार प्रकार का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	केन्द्रीय परिवार	7021	93.94
2	संयुक्त परिवार	399	5.34
3	विस्तृत परिवार	54	0.72
	योग	**7474**	**100**

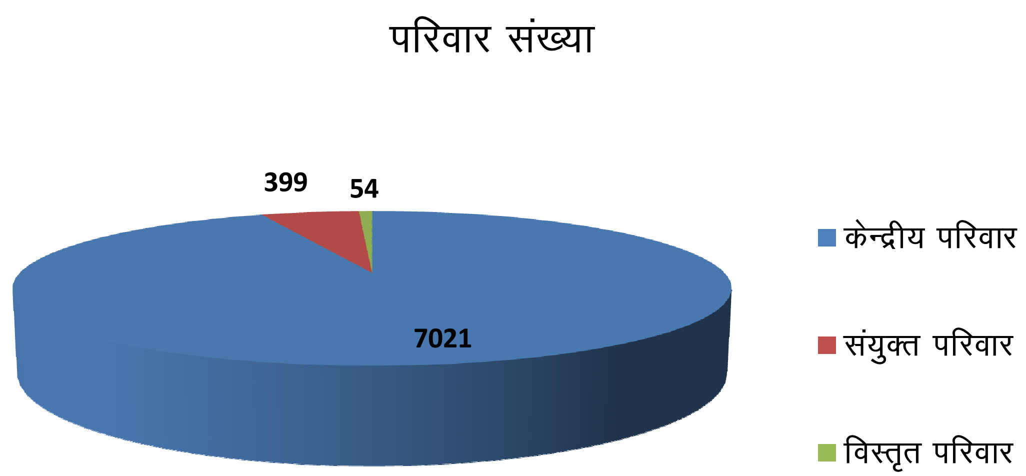

उपरोक्त तालिका में दर्शित आकड़ो अनुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक प्रतिशत (N= 93.94) परिवार केन्द्रीय प्रकृति के है जिससे एक विवाहत जोड़ी एवं उनकी संताने निवासरत है वही

जनसंख्या.—

छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार, धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव, गरियाबंद एवं महासमुंद जिले में निवासरत कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या निम्नानुसार हैः—

जनसंख्या

पुरूष		**महिला**		**योग**	
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
13234	49.92	13275	50.08	26509	100

कुल परिवार संख्या — 7474

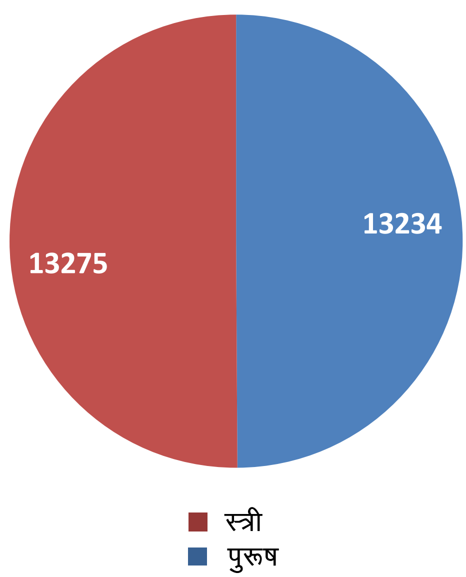

उपरोक्त तालिका अनुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजातियों के आधारभूत सर्वेक्षण अनुसार राज्य के 06 जिलो के 13 विकासखंडो में निवासरत 7474 परिवार में कुल जनसंख्या 26509 है।

कमार जनजाति में जनसंख्या अनुपात की दृष्टि से पुरूष जनसंख्या 13234 (49.92 प्रतिशत) तथा स्त्री जनसंख्या 13275 (50.08 प्रतिशत) पायी गयी है।

जिलेवार जनसंख्या संकेन्द्रण

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार निवासरत कमार परिवारों में जनसंख्या का विवरण इस प्रकार से है।

क्र.	जिला	परिवार संख्या	जनसंख्या					
			पुरूष		स्त्री		योग	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बलौदाबाजार	40	79	0.29	80	0.30	159	0.59
2	धमतरी	1711	3180	11.99	3279	12.37	6459	24.36
3	गरियाबंद	4739	8213	30.99	8099	30.56	16312	61.55
4	कांकेर	79	143	0.54	151	0.57	294	1.11
5	कोण्डागांव	10	20	0.08	17	0.06	37	0.14
6	महासमुंद	895	1599	6.03	1649	6.22	3248	12.25
	योग	**7474**	**13234**	**49.92**	**13275**	**50.08**	**26509**	**100.00**

उपरोक्तानुसार दर्शित है कि राज्य में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक 61.55 प्रतिशत (N=16312) जनसंख्या गरियाबंद जिले में निवासरत है जिसमें 30.99 प्रतिशत (N=8213) पुरूष एवं 30.56 प्रतिशत (N=8099) महिलाओं की संख्या है।

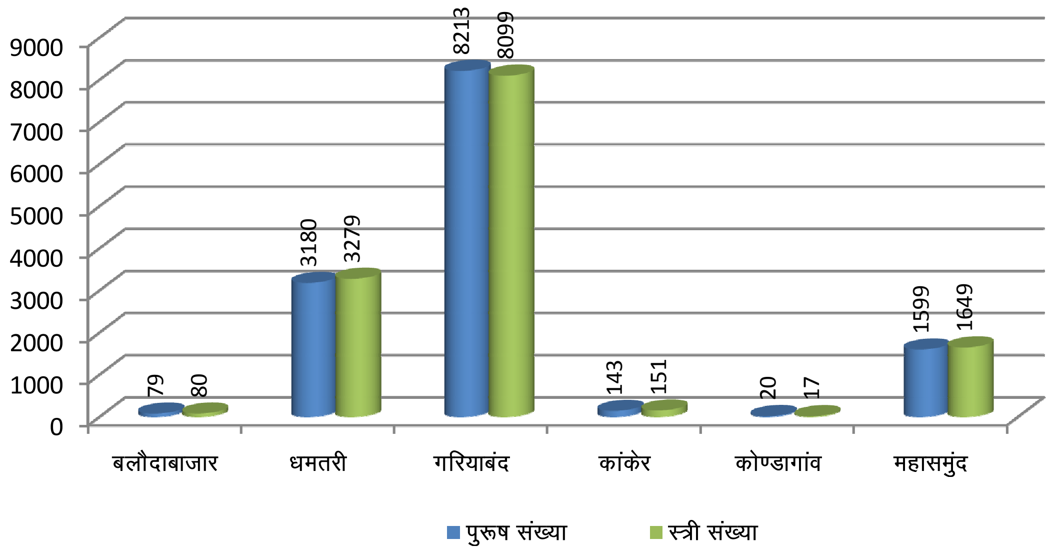

धमतरी जिले में कुल कमार परिवार जनसंख्या का 24.36 प्रतिशत (N=6459) भाग निवासरत है जिसमें पुरूष जनसंख्या 11.99 प्रतिशत (N=3180) एवं 12.37 प्रतिशत (N=3279) महिलाओं की संख्या निवासरत है।

महासमुंद जिले कुल कमार परिवार जनसंख्या का 12.25 प्रतिशत (N=3248) भाग निवासरत है जिसमें पुरूष जनसंख्या 6.03 प्रतिशत (N=1599) एवं महिलाओं की जनसंख्या 6.22 प्रतिशत (N=1649) निवासरत है।

कांकेर जिले में कुल कमार परिवार जनसंख्या का 1.11 प्रतिशत (N=294) भाग निवासरत है जिसमें पुरूष जनसंख्या 0.54 प्रतिशत (N=143) एवं महिलाओं की जनसंख्या 0.57 प्रतिशत (N=151) निवासरत है।

बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कुल कमार परिवार जनसंख्या का 0.59 प्रतिशत (N=159) भाग निवासरत है जिसमें पुरूष की जनसंख्या 0.29 प्रतिशत (N=79) एवं 0.30 प्रतिशत (N=80) महिलाओं की जनसंख्या है।

कोण्डागांव जिले के मात्र एक गांव में कुल कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का 0.14 प्रतिशत (N=37) भाग ही निवासरत है जिसमें से पुरूष की जनसंख्या 0.08 प्रतिशत (N=20) एवं 0.06 प्रतिशत (N=17) महिलाओं की जनसंख्या है।

विकासखंडवार जनसंख्या संकेन्द्रण.–

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का विकासखंडवार जनसंख्या संकेन्द्रण इस प्रकार से है :–

क्र.	जिला	विकासखंड का नाम	परिवार संख्या	पुरूष		महिला		योग	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बलौदाबाजार	कसडोल	40	79	0.60	80	0.60	159	0.60
2	धमतरी	धमतरी	20	41	0.30	45	0.34	86	0.32
		मगरलोड	448	809	6.11	827	6.23	1636	6.18
		नगरी	1243	2330	17.61	2407	18.13	4737	17.87
3	गरियाबंद	छुरा	1092	2087	15.77	1995	15.03	4082	15.40
		फिंगेश्वर	205	361	2.73	352	2.65	713	2.69
		गरियाबंद	2005	3477	26.27	3517	26.49	6994	26.38
		मैनपुर	1437	2288	17.29	2235	16.84	4523	17.06
4	कांकेर	नरहरपुर	79	143	1.08	151	1.14	294	1.11
5	कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	10	20	0.15	17	0.13	37	0.14
6	महासमुंद	बागबाहरा	390	687	5.19	703	5.29	1390	5.24
		महासमुंद	461	827	6.25	864	6.51	1691	6.38
		पिथौरा	44	85	0.64	82	0.62	167	0.63
		योग	**7474**	**13234**	**49.92**	**13275**	**50.08**	**26509**	**100.00**

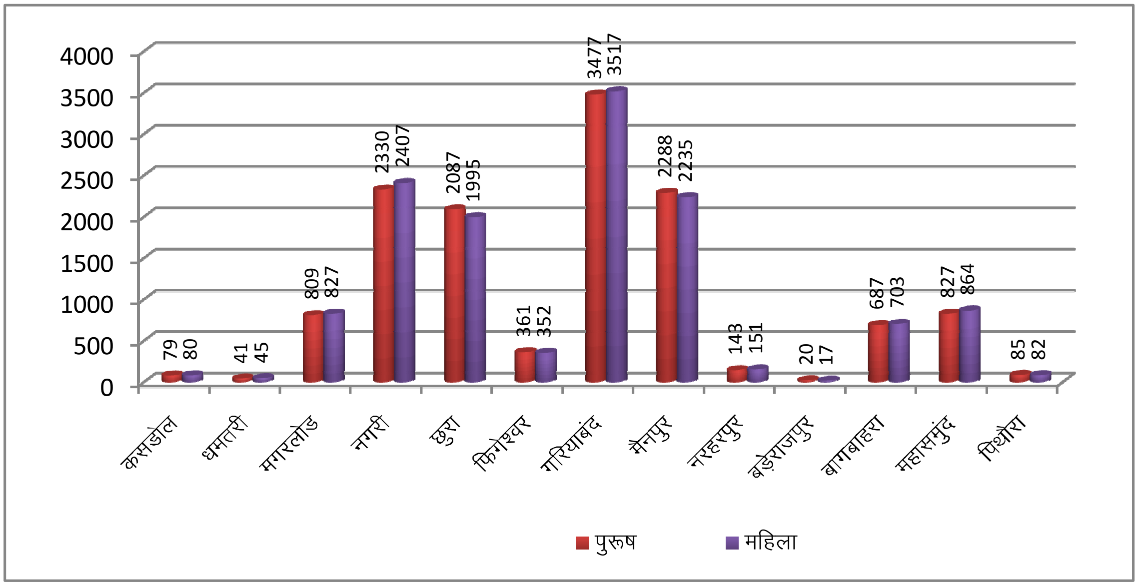

उपरोक्तानुसार राज्य में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक 26. 38 प्रतिशत (N=6994) संकेन्द्रण गरियाबंद जिले के गरियाबंद विकासखंड में है धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में 17.87 प्रतिशत (N=4737) है।

गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड में 17.06 प्रतिशत (N=4523) छुरा विकासखंड में 15.40 प्रतिशत (N=4082) और इसी जिले के फिंगेश्वर विकासखंड में 02.69 प्रतिशत (N=713) संकेन्द्रण है।

धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड में 6.18 प्रतिशत (N=1636) एवं धमतरी विकासखंड में 0.32 प्रतिशत (N=86) जनसंख्या संकेन्द्रण है।

महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड में 5.24 प्रतिशत (N=1390) महासमुंद विकासखंड में 6.38 प्रतिशत (N=1691) और पिथौरा विकासखंड में 0.63 प्रतिशत (N=167) जनसंख्या का संकेन्द्रण है।

कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड में 1.11 प्रतिशत (N=294), बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में 0.60 प्रतिशत (N=159) और कोण्डागांव जिले के बड़ेराजपुर विकासखंड में 0.14 प्रतिशत (N=37) जनसंख्या का संकेन्द्रण है।

छत्तीसगढ़ राज्य में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत 13 विकासखंडों में से 1 विकासखंड में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का संकेन्द्रण 20 प्रतिशत से ज्यादा है। 03 विकासखंडों में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का जनसंख्या संकेन्द्रण 15 प्रतिशत से ज्यादा है एवं 03 विकासखंडो में जनसंख्या संकेन्द्रण 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक है एवं शेष विकासखंडों में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का जनसंख्या संकेन्द्रण 5 प्रतिशत से कम है।

ग्रामवार जानकारी जनसंख्या संकेन्द्रण.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के 06 जिलो के 13 विकासखंडों के 409 ग्रामों में कुल 7474 परिवार ईकाइ के रूप में निवासरत है उक्त 409 ग्रामों का विवरण इस प्रकार से है :–

क्र.	जिला	विकासखंड का नाम	ग्राम संख्या	परिवार संख्या
1	बलौदाबाजार	कसडोल	02	40
2	धमतरी	धमतरी	05	20
		मगरलोड	26	448
		नगरी	88	1243
3	गरियाबंद	छुरा	59	1092
		फिंगेश्वर	18	205
		गरियाबंद	71	2005
		मैनपुर	51	1437
4	कांकेर	नरहरपुर	13	79
5	कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	01	10

6	महासमुंद	बागबाहरा	32	390
		महासमुंद	41	461
		पिथौरा	02	44
		योग	**409**	**7474**

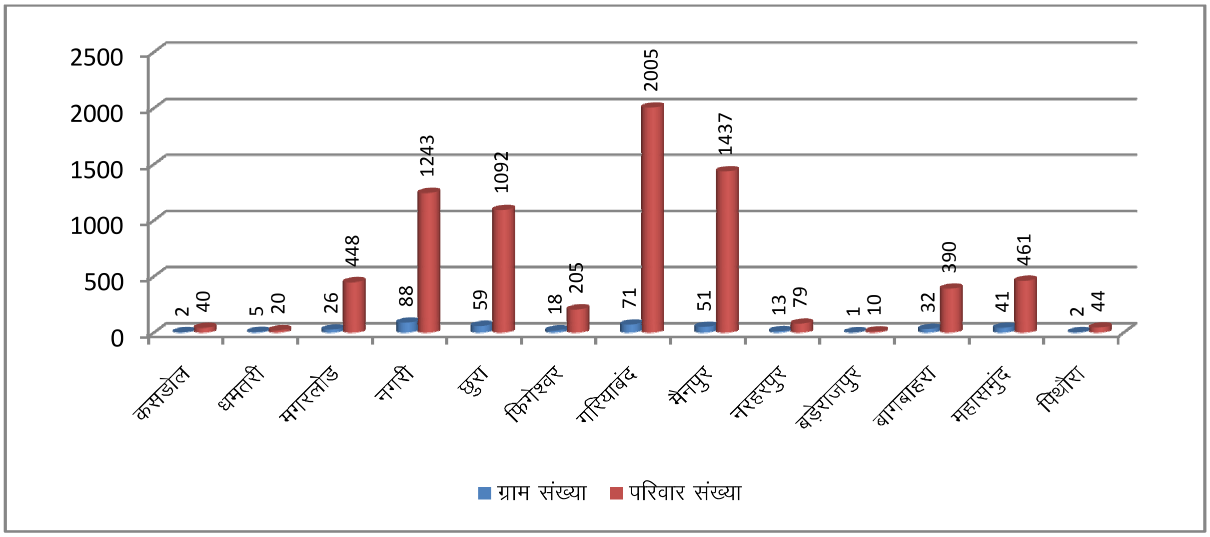

कमार विशेष पिछड़ी जनजातियों का जनसंख्या संकेन्द्रण ग्रामवार में सबसे ज्यादा 88 नगरी विकासखंड में तथा उसके बाद गरियाबंद विकासखंड में 71 ग्रामों में निवासरत है कुल निवासरत ग्रामों के 04 विकासखंडो में 50 से ज्यादा ग्रामों निवासरत है। 03 विकासखंडों में 20 से ज्यादा ग्रामों में निवासरत है। 05 विकासखंडों में 05 या 05 से कम ग्रामों में परिवार निवासरत है।

निशक्त जनसंख्या.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति जो राज्य के 06 जिलों के 13 विकासखंडो के 409 ग्रामों में निवासरत है जिसकी कुल जनसंख्या 26509 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 13234 एवं महिला जनसंख्या 13275 है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में भी कुल लोग निशक्तजन की सर्वेक्षण के दौरान कुल जनसंख्या 96 है। जिसका विवरण इस प्रकार है :—

कुल जनसंख्या	निशक्त जनसंख्या प्रतिशत	
26509	96	0.36

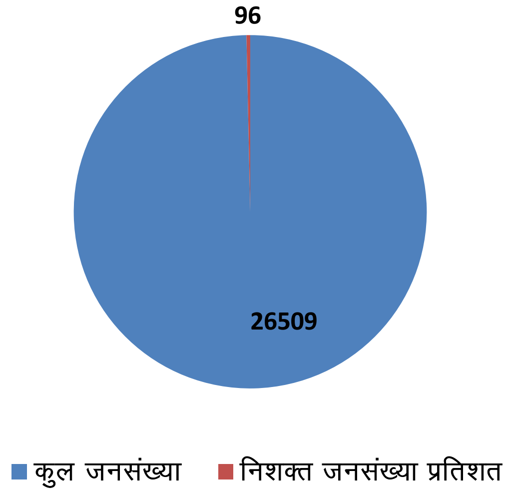

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 26509 में से 0.36 प्रतिशत (N=96) जनसंख्या निशक्त जनसंख्या है।

क्र	विवरण	निशक्त जनसंख्या	
		संख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	54	0.20
2	महिला	42	0.16
	योग	**96**	**0.36**
कुल जनसंख्या 26509			

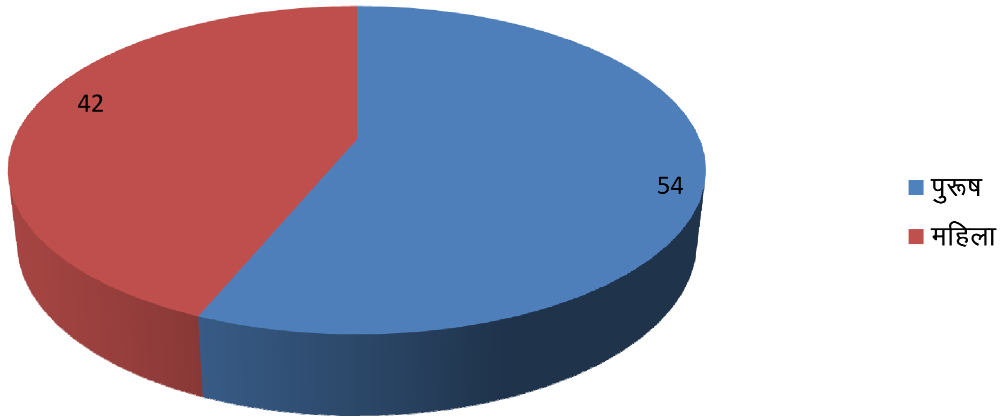

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में 96 निशक्त जनसंख्या है जिसमें से कुल जनसंख्या में से 0.20 प्रतिशत पुरूष (N=54) निशक्त जनसंख्या एवं 0.16 प्रतिशत (N=42) निशक्त जनसंख्या है।

लिंगानुपात.–

किसी भी समुदाय में सामाजिक जनांकिकीय विवरण का आधार समुदाय के स्त्री–पुरूष लिंगानुपात होता है। स्त्री–पुरूष लिंगानुपात किसी समुदाय की साम्यावस्था को बनाये रखने का कार्य करती है।

स्त्री–पुरूष लिंगानुसात से आशय किसी समूह अथवा समुदाय में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या से है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में स्त्री पुरूष लिंगानुपात निम्नानुसार है :–

कमार जनसंख्या		
पुरूष	महिला	लिंगानुपात
13234	13275	1003

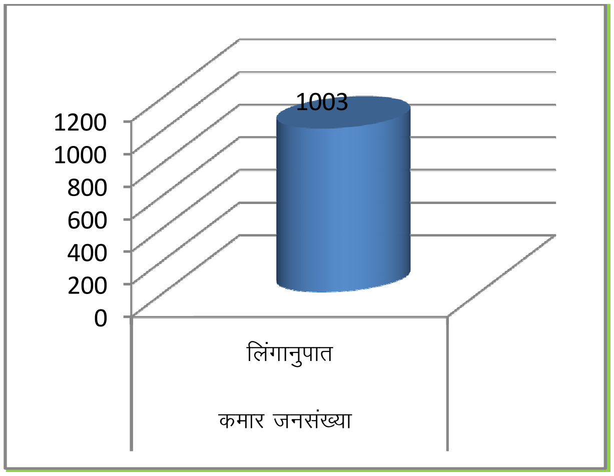

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण अनुसार स्त्री–पुरूष लिंगानुपात 1003 है। यह लिंगानुपात छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति में जनगणना 2011 में पाये गये लिंगानुपात 1020 की तुलना में कम है।

जिलेवार जनसंख्या संकेन्द्रण :–

छत्तीसगढ़ राज्यके कमार विशेष पिछडी जनजाति के निवासरत जिलों में जनसंख्या का जिलावार स्त्री–पुरूष लिंगानुपात निम्नानुसार हैः–

क्र.	जिला	कमार जनसंख्या		लिंगानुपात
		पुरूष	महिला	
1	बलौदाबज़ार	79	80	1012
2	धमतरी	3180	3279	1031
3	गरियाबंद	8213	8099	986
4	कांकेर	143	151	1055
5	कोण्डागांव	20	17	850
6	महासमुंद	1599	1649	1031

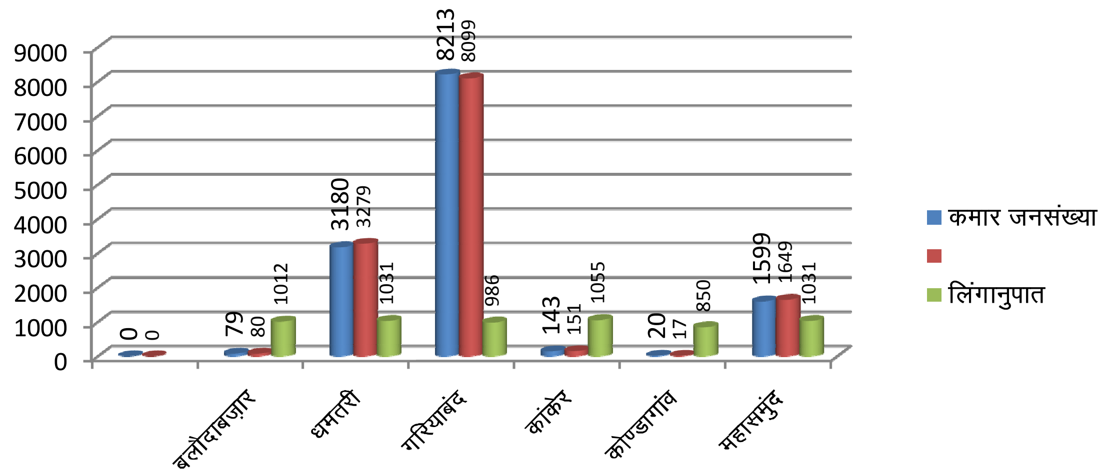

उपरोक्तानुसार धमतरी, कांकेर, महासमुंद एवं बलौदाबाजार जिलों में निवासरत कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का स्त्री–पुरूष लिंगानुपात 1000 से अधिक है। कांकेर जिले में प्रति हजार कमार पुरूष की तुलना में 1055 महिलाए, महासमुंद जिले में 1000 पुरूषों की तुलना में 1031 महिलाएंधमतरी जिले में भी 1000 पुरूष की तुलना में 1031 महिलाएं एवं बलौदाबाजार जिले में निवासरत कमार पुरूषों 1000 की तुलना में 1012 महिलाएं है।

कोण्डागांव जिले में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की लिंगानुपात की स्थिति गंभीर है। जहां प्रति एक हजार कमार पुरूषों की तुलना में केवल 850 महिलाएं ही है। छ.ग. राज्य के गरियाबंद जिले में सबसे ज्यादा कमार परिवार निवासरत है। जिनकी कुल जनसंख्या 16312 है। उस जिले में लिंगानुपात को स्थिति विषम है जहां पर एक हजार कमार पुरूष की तुलना में केवल 986 महिलाएं ही है।

विकासखंडवार स्त्री–पुरूष लिंगानुपात.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति राज्य के 06 जिलों के 13 विकासखंडों में निवासरत है विकासखंडवार स्त्री–पुरूष लिंगानुपात की स्थिति का विवरण इस प्रकार से है :–

क्र.	जिला	विकासखंड	कमार जनसंख्या		लिंगानुपात
			पुरूष	महिला	
1	बलौदाबज़ार	कसडोल	79	80	1012
2	धमतरी	धमतरी	41	45	1097
		मगरलोड	809	827	1022
		नगरी	2330	2407	1033
3	गरियाबंद	छुरा	2087	1995	956
		फिंगेश्वर	361	352	975
		गरियाबंद	3477	3517	1011
		मैनपुर	2288	2235	977
4	कांकेर	नरहरपुर	143	151	1056
5	कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	20	17	850
6	महासमुंद	बागबाहरा	687	703	1023
		महासमुंद	827	864	1045
		पिथौरा	85	82	965

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत 13 विकासखंडों में से 08 विकासखंडों कसडोल, धमतरी, मगरलोड, नगरी, गरियाबंद, नरहरपुर, बागबाहरा और महासमुंद में प्रति हजार पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या एक हजार से अधिक पायी गयी।

छुरा, फिगेश्वर, बड़ेराजपुर, मैनपुर एवं पिथौरा कमार निवासरत विकासखंडो में एक हजार कमार पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या एक हजार से भी कम है।

सर्वाधिक महिलाओं की संख्या वाला धमतरी विकासखंड है जिसमें एक हजार पुरूषों की तुलना में 1097 महिलाओं की संख्या है।

सर्वाधिक महिलाओं को कम संख्या वाला विकासखंड कोण्डागांव जिलें का बड़ेराजपुर विकासखंड है जहां प्रति एक हजार पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या केवल 850 है।

उम्र समूह अनुसार जनसंख्या.–

किसी समुदाय की सामाजिक जनांकिकीय संरचना में समुदाय की जनसंख्या के संबंध में उम्र–समूह अनुसार जनसंख्या वर्गीकरण एक अति महत्तवपूर्ण तथ्य होता है। जिसमें कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल जनसंख्या का उम्र–समूह अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	उम्र समूह का विवरण	पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	0–6	2027	15.32	1948	14.67	3975	14.99
2	7–14	2535	19.15	2414	18.18	4949	18.67
3	15–25	2909	21.98	2898	21.83	5807	21.90
4	26–45	3844	29.05	3759	28.32	7603	28.68
5	46–60	1206	9.11	1285	9.68	2491	9.40
6	60 ≥	348	2.62	555	4.18	903	3.41

छत्तीसगढ़ राज्य की कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 26509 है। जिसमें 13234 पुरूष जनसंख्या एवं 13275 महिलाओं की जनसंख्या है उपरोक्त विवरणीकानुसार सर्वेक्षित कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या (N=7603) 26–45 वर्ष समूह की 28.68 प्रतिशत है।

21.90 प्रतिशत (N=5807) जनसंख्या 15–25 वर्ष उम्र–समूह की है। 18.67 प्रतिशत (N=4949) 7–14 वर्ष उम्र–समूह है। 0–6 वर्ष उम्र–समूह की जनसंख्या 14.99 प्रतिशत (N=3975),

46–60 वर्ष उम्र–समूह की जनसंख्या 9.40 प्रतिशत (N=2491) है वही 61 वर्ष या उसे अधिक की उम्र–समूह की जनसंख्या 3.41 (N=903) है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में 26–25 वर्ष उम्र समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है एवं 61 वर्ष या उसे अधिक उम्र–समूह की जनसंख्या सबसे कम है। पुरूष समूह में 26–40 वर्ष उम्र–समूह की जनसंख्या 29.05 प्रतिशत सबसे अधिक है जबकि 61 या उसे अधिक उम्र समूह में महिलाओं की जनसंख्या 4.18 प्रतिशत N=555 है जो पुरूष 61 से अधिक उम्र–समूह से ज्यादा है।

जनसंख्या वृद्धि दर.–

किसी समुदाय विशेष में जनसंख्या वृद्धि से आशय एक दशक में उस समुदाय के जसंख्यात्मक आंकड़ो में होने वाली वृद्धि से है। भारत सरकार द्वारा किसी अनुसूचित जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल करने निर्धारित किये गये मापदंडो में से है। जिससे उस समूह/समुदाय में उसकी स्थिर जनसंख्या अथवा कम होती जनसंख्या को भी एक सुनिश्चित मापदंड मान गया है।

किसी समुदाय/समूह की जनसंख्या वृद्धि दर (दशकीय) को निम्नांकित सूत्र (नियम) द्वारा मापा जाता है।

$$\frac{\text{दशकीय जनसंख्या का अंतर} \times 100}{\text{पूर्व दशक की जनसंख्या}}$$

(क) सर्वेक्षण 2005–06 में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या = 23033

(ख) सर्वेक्षण 2015–16 में कमार जनसंख्या = 26509

$$\frac{26509\ (\text{ख}) - 23033(\text{क}) = 3476 \times 100 = 15.09}{23033}$$

अतः उपरोक्तानुसार राज्य की कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 15.09 प्रतिशत पायी गयी।

वैवाहिक स्थिति.–

विशेष पिछड़ी जनजाति कमार के सामाजिक जनांकिकीय परिप्रेक्ष्य में वैवाहिक स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	5808	43.89	5829	43.91	11637	43.90
2	विधवा/विदुर/परित्यक्ता	1426	10.77	470	3.54	1896	7.15
	योग	**7234**	**54.66**	**6299**	**47.45**	**13533**	**51.05**

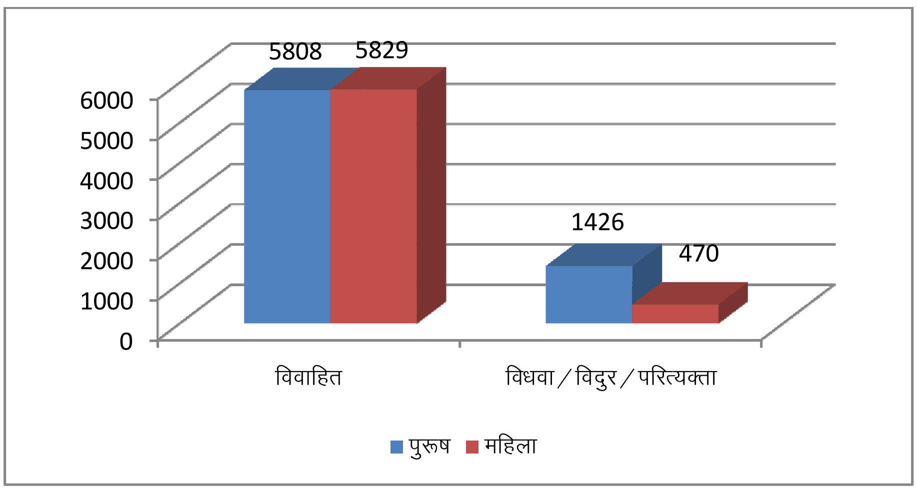

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल जनसंख्या 26509 है जिसमें पुरूष 13234 एवं महिला 13275 की जनसंख्या है। वैवाहिक स्थिति कें संदर्भ में उपरोक्त तालिका में दर्शित आकड़ों के अनुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में 43.89 प्रतिशत पुरूष (N=5808) विवाहित एवं 43.91 प्रतिशत

(N=5829) महिला जनसंख्या वैवाहिक है वही 10.78 प्रतिशत (N=1426) पुरूष विदुर श्रेणी के एवं 3.54 प्रतिशत (N=470) महिला जनसंख्या विधवा या परित्यक्ता श्रेणी की है।

पूर्ण रूप से कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 43.90 प्रतिशत (N=11637) पुरूष–स्त्री सदस्य विवाहित एवं 7.15 प्रतिशत (N=1896) स्त्री–पुरूष सदस्य विधवा/परित्यक्ता/विदुर श्रेणी के है।

पूर्व तालिका अनुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या में से 13533 सदस्या विवाहित अथवा विधवा/विदुर/परित्यक्ता पाये गये जिसमें 7234 पुरूष एवं 6299 महिला सदस्य है।

वैवाहिक उम्र.–

किसी भी समुदाय में सदस्यों की वैवाहिक उम्र का निर्धारण सामाजिक एवं सामाजिक रिति–रीवाज, स्वास्थ्यगत कारणों से बहुत ही मत्तवपूर्ण तथ्य है कि सामाजिक रूप से वैवाहिक दायित्वों के सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु शारीरिक विकास क्षमता के साथ–साथ मानसिक विकास भी आवश्यक होता है।

सामान्यतः जनजातीय समाजों में धारणा प्रचलित है कि एक बालिका का मासिक धर्म प्रारंभ होने पर उसे विवाह योग्य समझा जाता है। वही बालकों की दाड़ी–मूछ आने व अन्य शारीरिक बदलाव की स्वंय के परीवार संचालन की क्षमता आ जाने को विवाह योग्य आयु के रूप में देखा जाता है। शासन के नियमानुसार जहां पुरूषों को विवाह हेतु 21 वर्ष आयु एवं महिलाओं हेतु विवाह हेतु 18 वर्ष आयु को मानते है इन आयु में बालक–बालिका वयस्क हो जाते है शासन का ऐसा मानना है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में पुरूष एवं स्त्री वर्ग में विवाह उम्र का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	विवाह उम्र समूह	व्यक्ति

	(वर्ष में)	महिला		पुरूष		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	≤ 15	875	13.89	96	1.33	971	7.17
2	16–18	3398	53.94	663	9.16	4061	30.00
3	19–21	1638	26.96	2888	39.92	4526	33.44
4	22–24	251	3.98	1289	17.82	1540	11.38
5	25 ≥	81	1.28	662	9.15	743	5.49

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कमार जनजाति में 7.17 प्रतिशत (N =971) सदस्यों के विवाह 15 वर्ष की आयु के पूर्व होना पाया गया है। जिसमें पुरूषों का 1.33 प्रतिशत की तुलना में स्त्री वर्ग की संख्या 13.89 प्रतिशत (N =875) अधिक पायी गयी।

16–18 वर्ष की आयु में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 30.00 प्रतिशत (N =4061) सदस्यों के विवाह हुए जिसमें 9.16 प्रतिशत (N =663) पुरूष सदस्य एवं 53.94 प्रतिशत (N =3398) महिला सदस्य है।

19–21 वर्ष की आयु में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 33.44 प्रतिशत (N =4526) व्यक्तियों के विवाह होना पाया गया जिसमें से 39.92 प्रतिशत (N =2888) पुरूष सदस्य एवं 26.96 प्रतिशत (N =1638) महिला सदस्यों का विवाह हुआ है।

22–24 वर्ष की आयु में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के विवाह करने वाले 11.38 प्रतिशत (N = 1540) स्त्री–पुरूष की संख्या है जिसमें से 17.82 प्रतिशत पुरूष (N =1289) सदस्य एवं 3.98 प्रतिशत (N = 251) महिला सदस्यों का विवाह हुआ है।

25 या उसे अधिक की उम्र में विवाह करने वालों की संख्या 5.49 प्रतिशत (N =743) है जिसमें पुरूष की संख्या 9.15 प्रतिशत (N = 662) एवं 1.28 प्रतिशत महिला सदस्य है।

निष्कर्ष यह निकलता है कि 18 या 18 से कम आयु में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की (N =4273) महिला 67.84 प्रतिशत के विवाह हुए है वही पुरूषों में 21 वर्ष की आयु के पहले 50.41 प्रतिशत (N =3647) विवाह पाये गये।

धार्मिक आस्था.—

हर एक समुदाय/समाज को अपनी इच्छानुसार धर्म मानने का हक है। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार के समस्त परिवार धार्मिक रूप से आदिवासी परम्परा का निर्वाह करते हुये

क्र.	परिवार संख्या	धर्म	संख्या	प्रतिशत
1	7474	हिन्दु (आदिवासी)	7443	99.59
		अन्य	31	0.41
		योग	**7474**	**100.00**

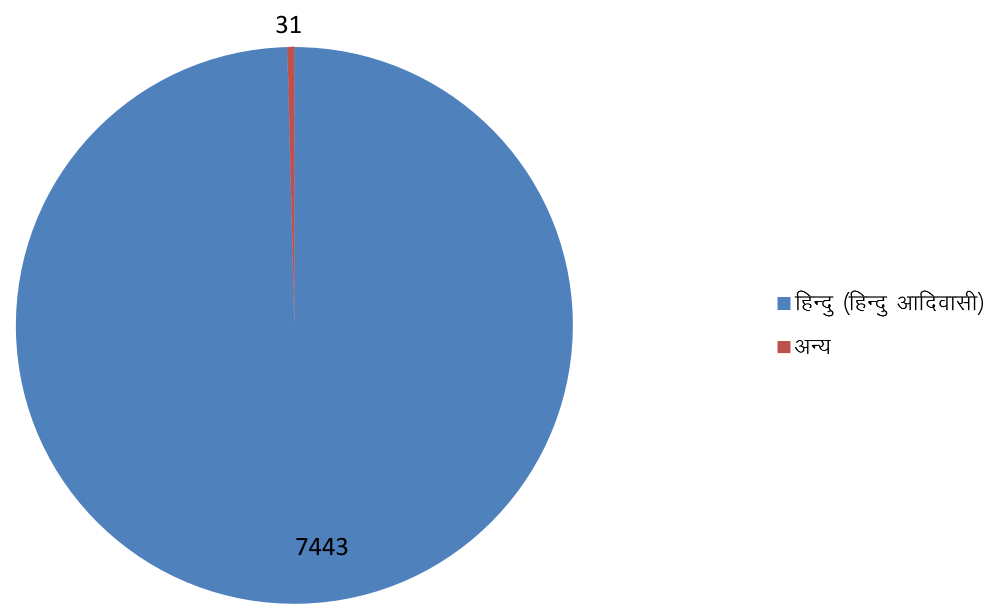

सामाजिक नेतृत्व.—

समाजिक जनांकिकीय अंतर्गत समाज के संचालन, एकजुटता एवं सामाजिक मूल्यों एवं विश्वासों को बनाये रखने सामाजिक नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है।समाज की धार्मिक, संस्कृति, रिति–रिवाज एवं रूढि प्रथाओं का सुचारू रूप से संचालन हेतु सामाजिक नेतृत्व की आवष्यकता होती है। जो समाज को पूर्णरूपेण एकत्रित कर गतिविधियों को संचालित कर सकें।

कमारविशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों में सामाजिक नेतृत्व की स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र.	सामाजिक धारिता का विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	धर्म निरपेक्ष मुखिया	24	0.32
2	धार्मिक मुखिया	13	0.17
3	गुनिया / सिरहा	61	0.82
4	ज्योतिषी	01	0.01
5	चौकीदार / कोटवार	13	0.17
6	अन्य	23	0.31
	योग	**135**	**1.80**
कुल सर्वेक्षित परिवार = 7474			

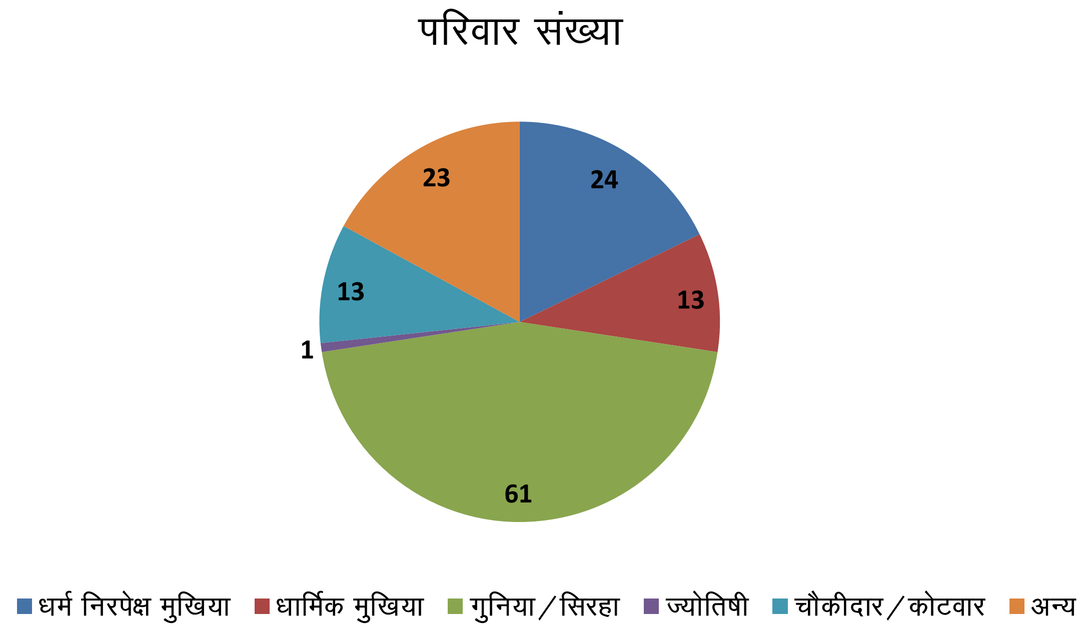

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 1.80 प्रतिशत (N=135) परिवार सामाजिक नेतृत्व के दायित्व का संचालन कर रहे है। जिसमें 0.32 परिवार धर्म निरपेक्ष मुखिया के रूप में, 0.17 प्रतिशत परिवार धार्मिक मुखिया के रूप में एवं 0.82 प्रतिशत परिवार गुनिया। सिरहा (लोक चिकित्सक–वनौषधीय उपचार सह जादुई–धार्मिक कर्मकांड़ आधारित व्याधि उपचार) के दायित्व का निर्वहन कर रहे। वही सामाजिक कार्यो के संचालन हेतु 0.17 प्रतिशत परिवार सामाजिक चौकीदार या कोटवार की भूमिका का निर्वहन कर रहे है एवं 0.01 प्रतिशत ज्योतिष का काम परिवार करता है।

अध्याय – 4

शैक्षणिक –स्थिति.–

किसी समाज के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है विकास के कम में मान समुदाय का एक हिस्सा जिसे हम आदिवासी या आदिम जनजाति के नाम से जानते है जो सामान्यत दूर–दराज के क्षेत्रों वनों एवं पहाडियों में एक समूह के रूप में निवास करने के कारण अन्य शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत पिछडे हुए है।

विषेषपिछडी जनजातियों अन्य अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अधिक विषम और कठिन क्षेत्र में निवासरत है अतः इनकी शौक्षणिक स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछडी हुई है।

भारत सरकार द्वारा भी किसी अनुसूचित जनजाति को विषेष पिछडी जनजाति घोषित करने हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड में किसी निष्चित समुदाय की अल्प साक्षरता दर भी शामिल किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में इन वर्गों के विकास हेतु विगत 07 दशको से भारत सरकार एवं राज्य सरकारे उनके शैक्षणिक विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित कर रही है जिनके धीरे–धीरे सकरात्मक परिणाम भी सामने आ रहे है।

अध्ययन सदस्यों का विवरण वर्तमान में कमार विशेष पिछडी जनजाति में प्राथमिक स्तर से हायर सेकेण्डरी स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक–बालिकाओं का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.	अध्ययन का स्तर	अध्ययनरत सदस्य					
		बालक		बालिका		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक 1–5	1561	50.53	1523	52.57	3084	51.52
2	माध्यमिक 6–8	738	23.89	705	24.34	1443	24.11
3	हाईस्कूल	223	7.22	152	5.25	375	6.26
4	हायर सेकेण्डरी	80	2.59	56	1.93	136	2.27
5	स्नातक / स्नातकोत्तर	29	0.94	11	0.38	40	0.67
6	अन्य / तकनीकी	458	14.83	450	15.53	908	15.17
	योग	**3089**	**51.60**	**2897**	**48.40**	**5986**	**100.00**

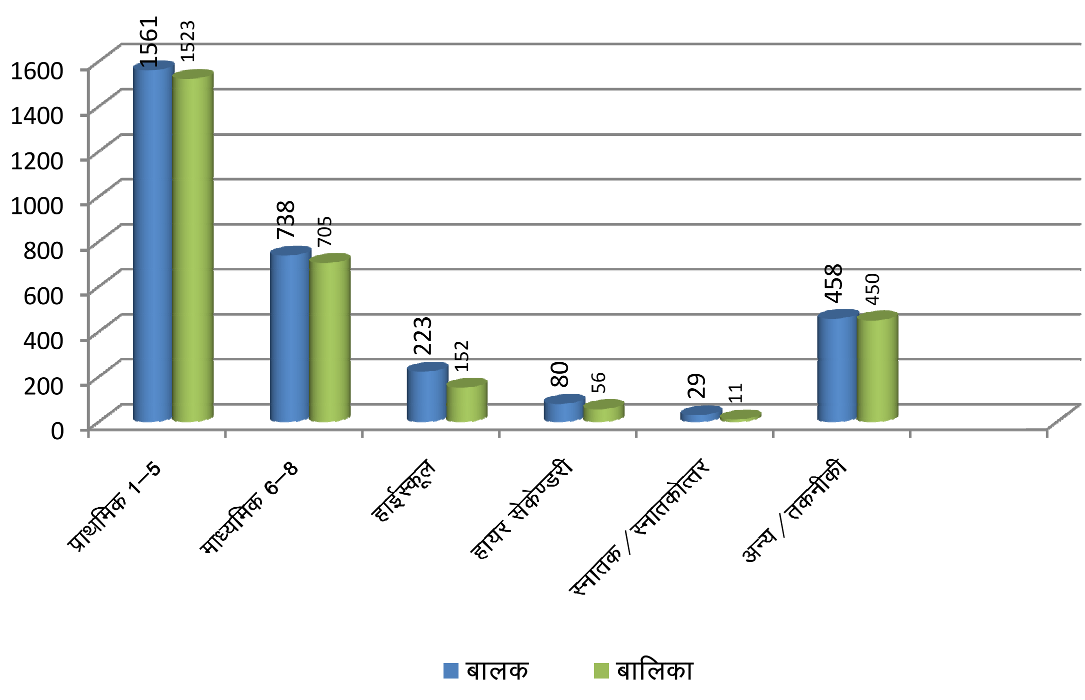

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कमार विशेष पिछडों जनजाति के 5986 बालक–बालिकायें वर्तमान में अध्ययनरत है जिसमें 51.60 प्रतिषत (N=3089) बालक एवं 48.40 प्रतिशत (N=2897) बालिकाएं विभिन्न स्तर पर शिक्षारत है।

अध्ययनरत कमार विशेष पिछडी जनजाति में 51.52 प्रतिषत (N=3084) बालक–बालिकाएं प्राथमिक स्तर की षिक्षा प्राप्त कर रहे है जिसमें से 50.53 प्रतिषत (N=1561) बालक और 52.57 प्रतिषत (N = 1523) बालिकाएं है।

माध्यमिक स्तर पर कमार जनजाति के 24.11 प्रतिषत (N = 1443) बालक–बालिकाएं अध्ययनरत है जिसमें से 23.89 प्रतिषत (N = 738) बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या 24.34 प्रतिषत (N = 705) में अधिक है।

हाईस्कूल स्तर पर 6.26 प्रतिषत (N = 375) बालक–बालिकाएं षिक्षा प्राप्त कर रहे है 7. 22 प्रतिषत (N = 152) बालिकाएं षिक्षा प्राप्त कर रही है जो बालको की तुलना में कम है।

हायरसेकेण्डरी पर 2.27 प्रतिषत (N = 136) बालक–बालिकाएं षिक्षा प्राप्त कर रहे है। जिसमें से 2.59 प्रतिषत (N = 80) बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या 1.93 प्रतिषत (N = 56) कम है।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 0.67 प्रतिषत(N = 40) बालक–बालिकाएं अध्ययनरत है जिसमें 0.94 प्रतिषत(N = 29) बालकों की संख्या की तुलना में बालिकाओं की संख्या 0.38 प्रतिषत(N = 11) कम है।

अन्य स्तर अथवा तकनीकी षिक्षा प्राप्त कर रहे बालक–बालिकाओं का प्रतिषत15.17 प्रतिषत(N = 908) है। जिसमें बालिकाओं की संख्या 15.53 प्रतिषत(N = 450) की तुलना में बालकों की संख्या 14.83 प्रतिषत (N = 458) कम है।

निष्कर्ष यह प्राप्त हो रहा है कि कमार विषेश पिछडी जनजाति में बालकों की षिक्षा स्तर से बालिकाओं का स्तर कम है एवं अन्य अथवा तकनीकी षिक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में अधिक है।

अध्ययन समाप्त कर चुके सदस्यों का विवरण.–

कमारविषेषपिछडी जनजाति में किसी न किसी स्तर को षिक्षा प्रापत कर अध्ययन छोड चुके सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	अध्ययन का स्तर	अध्ययन छोड चुके सदस्यों					
		बालक		बालिका		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	2625	55.67	1736	58.10	4361	56.61
2	माध्यमिक	1192	25.28	752	25.17	1944	25.24
3	हाई स्कूल	441	9.35	200	6.69	641	8.32
4	हायर सेकेण्डरी	155	3.29	52	1.74	207	2.69
5	स्नातक/स्नातकोत्तर	41	0.87	13	0.44	54	0.70
6	अन्य तकनीकी	261	5.54	235	7.86	496	6.44
योग		4715	**61.21**	2988	**38.79**	7703	**100.00**

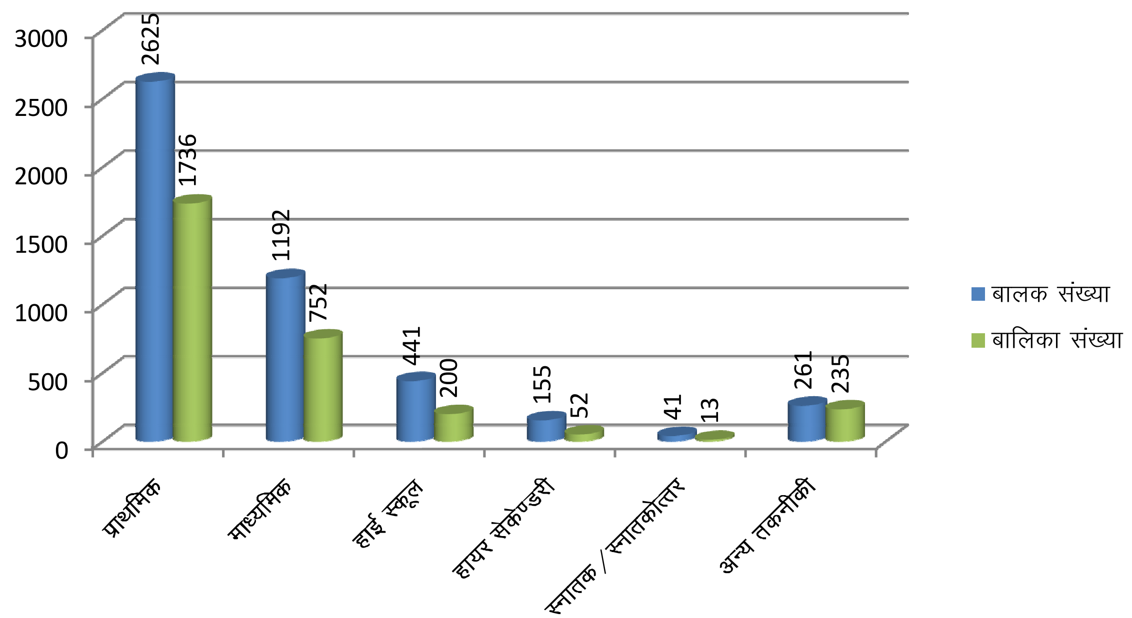

उपरोक्त तालिका के अनुसार कमार विषेषपिछडी जनजाति के कुल षिक्षित सदस्यों में से 7703 सदस्यों द्वारा किसी न किसी स्तर की षिक्षा अर्जित कर अध्ययन छोड दिया है, जिसमें पुरूषों की संख्या (N = 4715) 61.21 प्रतिषतएवं महिला सवर्ग की संख्या 38.79 प्रतिषत(N = 2988) है।

प्राथमिक स्तर पर कुल 56.61 प्रतिषत(N = 4361) व्यक्तियों द्वारा षिक्षा प्राप्त कर छोड जिसमें 55.67 प्रतिषत(N = 2625) पुरूष एवं 58.10 प्रतिषत(N = 1736) महिला षामिल है।

माध्यामिक स्तर पर कुल 25.24 प्रतिषत(N = 1944) व्याक्तियों द्वारा षिक्षा प्राप्त कर छोड दिया जिसमें से 25.28 प्रतिषत(N = 1192) पुरूष एवं 25.17 प्रतिषत(N = 752) महिला षामिल है।

हाईस्कूल स्तर पर कुल 8.32 प्रतिषत(N = 641) व्यक्तियों के द्वारा षिक्षा ग्रहण कर छोड दिया जिसमें से 9.35 प्रतिषत (N = 441) पुरूष एवं 6.69 प्रतिषत (N = 200) महिला शामिल है।

हायर सेकेण्डरी स्तर पर कुल 2.69 प्रतिषत (N = 207) व्यक्तियों के द्वारा षिक्षा प्राप्त कर अध्ययन बंद कर दिया जिसमें से 3.29 प्रतिषत (N = 155) पुरूष एवं 1.74 प्रतिषत महिला षामिल है।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर षिक्षा प्राप्त कर 0.70 प्रतिषत (N = 54) व्यक्तियों के द्वारा छोड दी गयी है। जिसमें 0.87 प्रतिषत (N = 41) पुरूष एवं 0.44 प्रतिषत (N = 13) महिला षामिल है।

कमार जनजाति के 6.44 प्रतिषत (N = 496) व्यक्तियों के द्वारा अन्य या तकनीकी षिक्षा प्राप्त कर अध्ययन छोड दिया गया जिसमें 5.54 प्रतिषत (N = 261) पुरूष एवं 7.86 प्रतिषत (N = 235) महिला षामिल है।

कुल साक्षर व्यक्ति.–

कमारविषेष जनजाति में साक्षर व्यक्तियों की जानकारी का विवरण निम्नानुसारहैः–

क्र.	विवरण	साक्षर व्यक्ति		
		पुरूष	स्त्री	योग
1.	अध्ययनरत	3089	2897	5986
2.	अध्ययन छोड चुके	4715	2988	7703
योग		**7804**	**5885**	**13689**

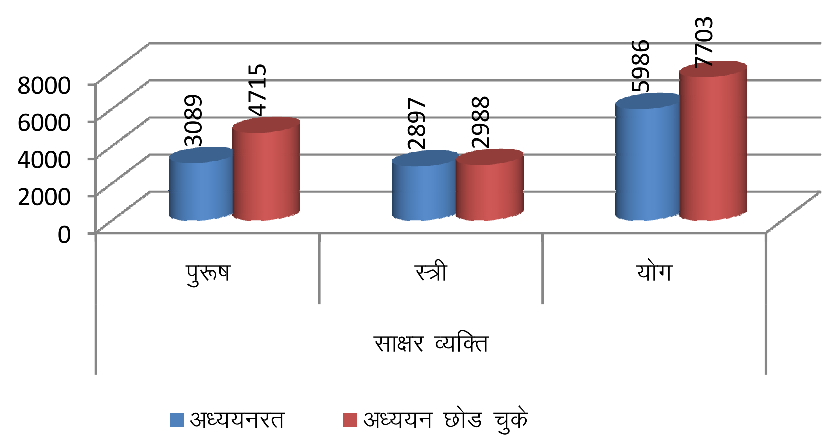

उपरोक्तनुसारकमार विषेष जनजाति जनजाति के कुल 13689 व्यक्ति किसी न किसी स्तर से षिक्षा प्राप्त कर षिक्षित है जिसमें से 7804 पुरूष एवं 5885 महिलाषामिल है।

साक्षरता दर.–

छत्तीसगढ़ राज्य की कमार विषेष पिछडी जनजाति में कुल **साक्षरता दर** निम्नाकिंत पायी गई–

क्र.	पुरूष		स्त्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
	7804	69.64	5885	51.96	13689	60.75
नोट– 0–6 वर्ष उम्र समूह को छोड़कर कुल जनसंख्या 22534 (पुरूष– 11207 एवं महिला–11327)						

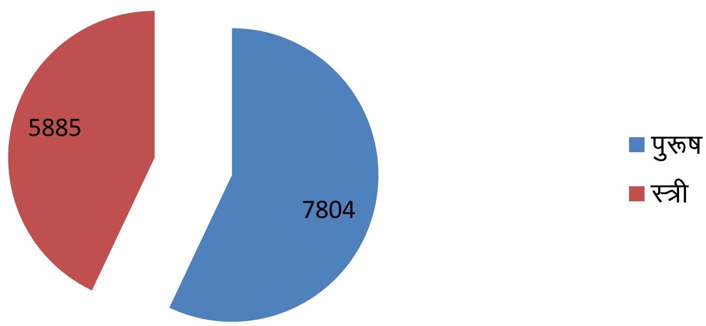

उपरोक्तानुसार कमार विषेष जनजाति जनजाति की कुल जनसंख्या 26509 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 13234 एवं महिला जनसंख्या 13275 है उक्त जनसंख्या में से 0–6 वर्ष उग्र समूह की जनसंख्या कुल 3975 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 2027 एवं महिला जनसंख्या 1948 है साक्षरता दर निकालने के लिये कुल जनसंख्या में से 0–6 वर्ष उम्र समूह को छोड़ कर कुल जनसंख्या 22534 है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 11207 एवं महिला जनसंख्या 11327 हैं। अतः साक्षरता ज्ञात करने हेतु 0–6 वर्ष की आयु की जनसंख्या को हम साक्षर अथवा निरक्षर दोनों ही वर्गो में षामिल नहीं कर सकते है।

अतः उपरोक्त तालिका अनुसार राज्य की कमार विषेष पिछडी जनजाति की कुल साक्षरता दर 60.75 प्रतिषत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 69.64 प्रतिषत तथा महिला साक्षरता दर 51.96 प्रतिषत है।

जनगणना 2011 छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसार राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 50.03 की तुलना में कमार विषेष पिछडी जनजाति की उक्त कुल साक्षरता दर ज्यादा होना पाया गया है।

शालागामी उम्र में साक्षरता.–

कमारविषेष पिछडी–जनजाति में शालागामी उम्र समूह 7–14 वर्ष ही साक्षरता दर का विवरण निम्नानुसार हैः–

शालागामी उम्र 7–14 समूह की साक्षरता					
पुरूष		महिला		योग	
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2448	96.97	2331	96.56	4779	96.56

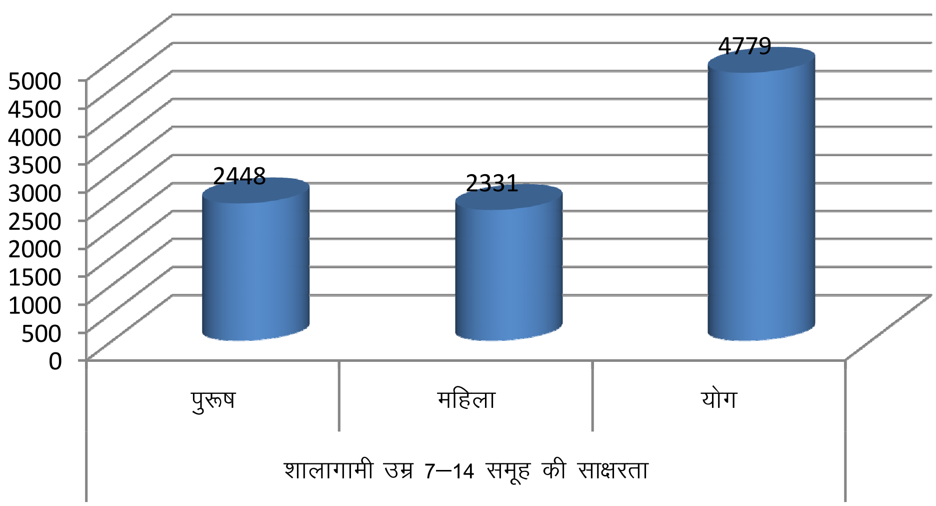

उपरोक्तानुसार कमार विषेष पिछडी जनजाति में 7–14 वर्ष उम्र समूह की तालिका के अनुसार पुरूष जनसंख्या 2535 एवं महिला जनसंख्या 2414 कुल जनसंख्या 4949 है। उपरोक्तानुसार

तालिका के अनुसार कमार विषेष पिछडी जनजाति के 7–14 वर्ष उम्र समूह में कुल साक्षरता 96.56 प्रतिषत है जिसमें बालक साक्षरता 96.57 प्रतिषत तथा स्त्री साक्षरता 96.56 प्रतिषत है।

7–14 वर्ष उम्र समूह की अधिक साक्षरता सर्व षिक्षा अभियान शत प्रतिषत शाला में नामांकन शासन की षिक्षा संबंधी प्रभावी नीति एवं अन्य योजनाओं आदि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि 7–14 वर्ष के बच्चो का शाला मे पढ़ाई के लिए निरंतर जाना हो रहा है।

अध्याय – 5

सामाजिक– आर्थिक स्थिति.–

समाज मे निवास करने वाले चाहे ग्रामीण या शहरी समाज एवं आदिम समाज में निवास करने वालों को अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए रोटी, कपड़ा एवं मकान आधारभूत आवश्यकता है। इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसे कुछ न कुछ उपलब्ध संसाधनो से आर्थिक क्रिया–कलाप में सहभागिता देनी पड़ती है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति विशेषकर दूर–दराज के क्षेत्रों, सघन वनों एवं पहाड़ियों में निवास करती है। इनके आवास उन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनो से निर्मित होते है। वही रोजगार के अवसर भी अपार्याप्त होने व प्रकृति (वनों) के निकट संबंध होने के कारण इनकी अर्थव्यवस्था वनों एवं पहाड़ियों में उपलब्ध संसाधनों केआस–पास ही अधिक निर्भर रहती है। वनों में उपलब्ध संसाधनो से अपनी भौतिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते है।

शासन द्वारा विभिन्न संचालित कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं के कारण मजदूरी आदि के रूप में इन्हे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे है। वही इंदिरा आवास योजना एवं अन्य योजनाओं आदि के माध्यम से स्थायी आवास भी उपलब्ध हुए है। विशेष पिछड़ी जनजातियो झूम अथवा स्थानांतरित कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करते थे तो उनकी बसाहट भी अस्थायी प्रकृति की होती थी जिसके कारण वे हर 5–10 साल में एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते थे उनका स्थायी आवास नहीं होता था उनको जंगलों में उपलब्ध संसाधनों से बची जगह आवास निर्माण करने पर वर्तमान समय में एक स्थायी जगह में निवास कर कृषि, मजदूरी एवं वनोपज संग्रहण का कार्य कर रहे है।

उक्त अध्याय में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास एवं आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है।

आवास .–

किसी भी परिवार को अपने जीवन एवं आर्थिक क्रियाकलापों एवं परिवार संचालन के लिये आवास की महत्तवपूर्ण आवश्यकता होती है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में आवास स्वामित्व की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	आवास स्वामित्व	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं का	7149	95.65
2	स्वयं का नहीं	325	4.35
	योग	**7474**	**100.00**

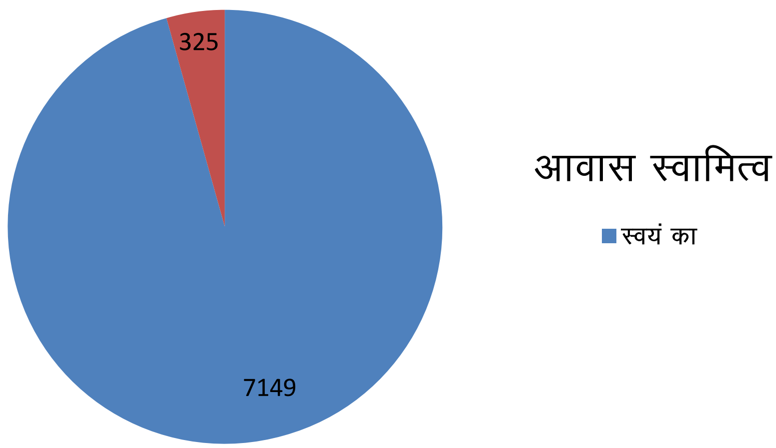

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों में से 95.65 प्रतिशत (N = 7149) परिवारों के पास स्वंय के आवास है वही शेष 4.35 प्रतिशत (N = 325) परिवार के आवास स्वयं के नहीं होना बताया गया। ऐसे परिवार किन्हीं कारणों से अस्थायी रूप से सगे–संबंधियों के आवास में रहते है।

2. आवासीय योजना से लाभान्वित.–

शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ आदिवासी क्षेत्रों के लिये पंचायत या अभिकरण के माध्यम हितग्राही परिवारों को विभिन्न आवासीय योजनाओं के माध्यम इंदिरा आवास उपलब्ध कराये गये है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में योजनाओं के माध्यम से प्राप्त आवासों का विवरण निम्नानुसार है :–

परिवार			
क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं का	4223	59.07
2	इंदिरा आवास	2926	40.93
	योग	7149	100.00

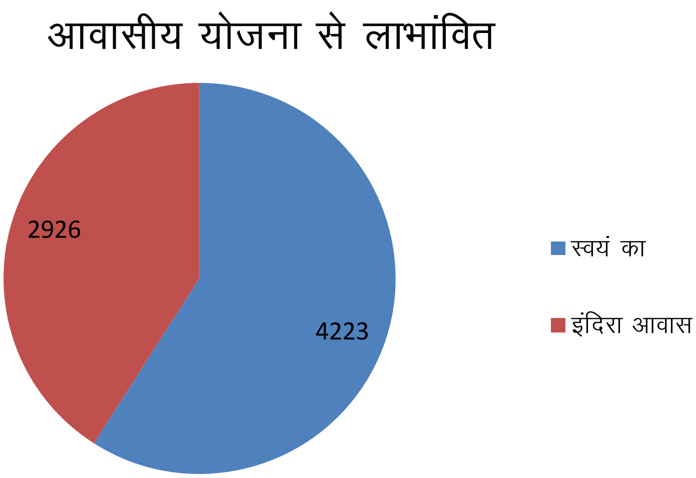

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल परिवारों से 7149 परिवारों (95. 65 प्रतिशत) के स्वयं के आवास है। जिसमें से 40.93 प्रतिशत (N = 2926)परिवारों के आवास इंदिरा आवास योजना या अन्य आवासीय योजना अंतर्गत प्राप्त हुये है। शेष 59.07 प्रतिशत (N = 4223) परिवारों के आवास स्वयं के अर्थात किसी योजना अंतर्गत प्रदत्त नहीं है। 4223 परिवार के स्वयं के जो उन्होने अपने संसाधनों का उपयोग करके निर्माण किया गया है।

आवासआबंटन वर्ष.–

शासन द्वारा पंचायतों के माध्यम से विभिन्न वर्षो में आवास योजनाओं के तहत आवास स्वीकृत किये गये। आवास स्वीकृत के लिये विभिन्न वर्षो में आवास हेतु अलग–अलग राशि की स्वीकृत प्रदान की गयी वर्तमान समय से आवास निर्माण हेतु दो किस्तों में राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रथम किस्त का पूर्ण उपयोग होने पर हितग्राही के खाते में द्वितीय किस्त की जाती है। वर्तमान समय में आवास निर्माण की राशि सीधे हितग्राही के खाते में दी जाती है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में भी भिन्न–भिन्न वर्षो में आवास स्वीकृत किये गये है। वही अनेक परिवार योजना के ऐसे आवासो में निवासरत है जो उनके पिता आदि को 15–20 वर्षो पूर्व आबंटित हुये थे। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के योजनांतर्गत प्राप्त आवासों की अवधि का विवरण निम्नांकित है :–

क्र.	प्रदत्त आवास की अवधि	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	5 वर्ष से कम	8	0.27
2	5–10 वर्ष	1073	36.64
3	10–15 वर्ष	1308	44.70
4	15–20 वर्ष	411	14.06
5	20 वर्ष से अधिक	126	4.31
	योग	**2926**	**100.00**

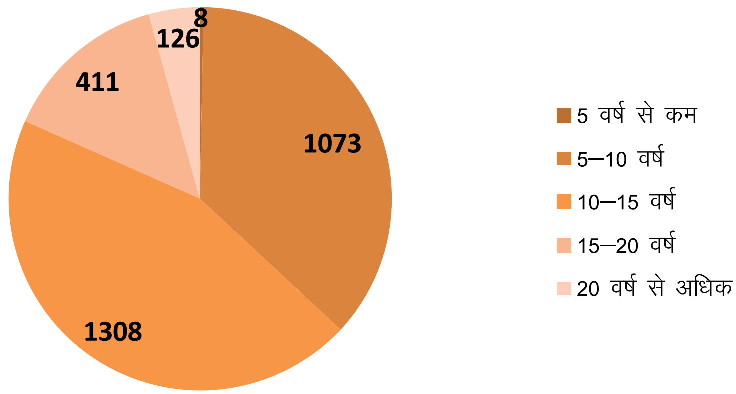

उपरोक्त तालिका अनुसार योजनाअंतर्गत आवास प्राप्त कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राही परिवारो में से 4.31 प्रतिशत परिवारों के आवास आबंटन 20 वर्ष पूर्व के, 14.06 प्रतिशत परिवारों के आवास 15.20 वर्ष पूर्व, 44.70 प्रतिशत परिवारों को 10–15 वर्ष पूर्व, 36.67 प्रतिशत परिवारों की 5–10 वर्ष पूर्व एवं शेष 0.27 प्रतिशत परिवारों के आवास 5 वर्ष की अवधि में प्राप्त हुए है।

इंदिरा आवास पर अधिपत्य .–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति को विभिन्न योजना या परियोजना के द्वारा आबंटित जो पंचायत के माध्यम से हितग्राही को मिले है उन पर हितग्राही का अधिपत्य सीधे रूप से एवं कुछ ने अपने सगे–संबंधी या रिश्तेदार को अंशकालिन रहने को दिया है। विवरण इस प्रकार से है :–

क्र.	अधिपत्य का विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रति
1	स्वयं	2708	92.55
2	रिश्तेदार या अन्य	218	07.45
	योग	**2926**	**100.00**

अधिपत्य का विवरण संख्या

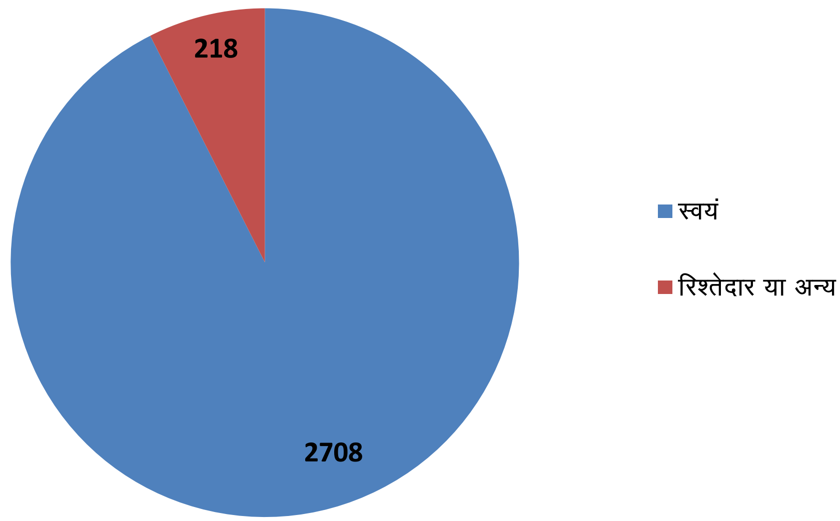

उपरोक्त तालिका अनुसार योजनान्तर्गत आवास प्राप्त कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों परिवारों में से 92.55 प्रतिशत का स्वयं का अधिपत्य है। शेष 07.45 प्रतिशत हितग्राहियों के द्वारा अपने सगे–संबंधी या रिश्तेदार को आंशिक रूप से रहने को दिया गया है।

आवास प्रकार.–

आदिम समाज हो या ग्रामीण समाज अपने रहने के लिए आवास का निर्माण उस विशेष स्थान पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से करते है। आवास प्रायः कच्चे, अधपक्के

एवं पक्के प्रकार में वर्गीकृत किये जाते है।

जनजातीय क्षेत्रों में आवास का निर्माण स्थानीय संसाधनों मिट्टी, ईट, लकड़ी, बाल, घास, फूस की छतएवं पडे के पत्तों से अपने जीवन निर्वाह हेतु निर्मित किये जाते है। जिससे उन मकानो में अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो इच्छानुसार निर्माण करते है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	दीवाल का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	मिट्टी	3604	48.22
2	मिट्टी एवं बास	726	9.71
3	मिट्टी एवं लकड़ी	435	5.82
4	अर्द्ध पक्का	1546	20.69
5.	पक्का दीवाल	1163	15.56
कुल परिवार = 7474		7474	100.00

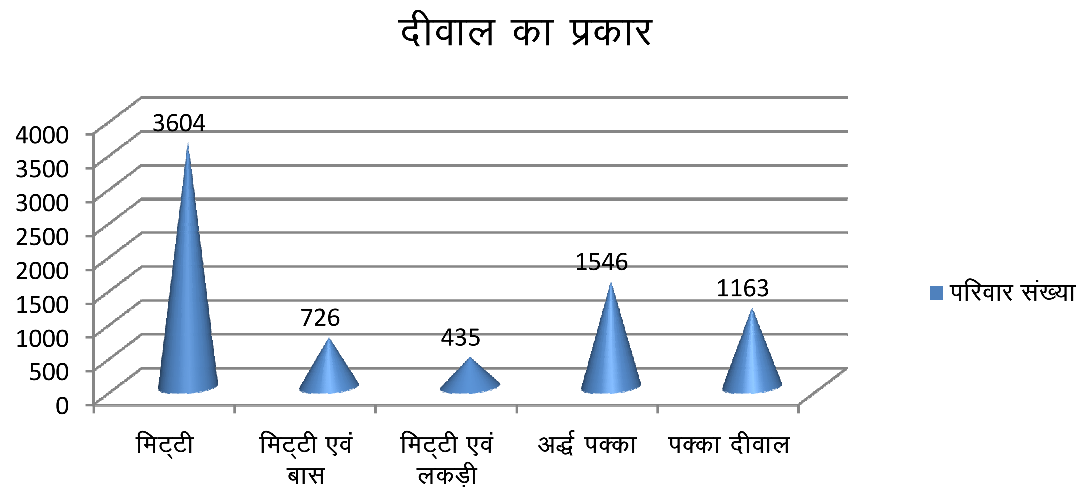

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के सर्वाधिक 48.22 प्रतिशत (N = 3604) परिवारों के आवास की दीवाले मिट्टी की, 9.71 प्रतिशत मिट्टी एवं बास की, 5.82 प्रतिशत (N = 435) मिट्टी एवं लकड़ी, परिवारो के आवास की दीवाले एवं 20.69 प्रतिशत (N = 1546) अर्द्ध पक्का परिवारों के आवास की दीवाले है शेष परिवारो के पास पक्के आवास की दीवाले है।

छत का प्रकार.—

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग घने पहाड़ों, पहाड़ी की तल्हटी एवं दुर्गम क्षेत्र एवं झुंडयी जंगल या ग्रामीण क्षेत्र में अपना आवास बनाकर निवास करते है। उन क्षेत्रों में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के आधार पर आवास की छत का निर्माण करते है।

कमार जनजाति के आवास में छतों का प्रकार का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	छत का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	घांस—फूस	1304	17.49
2	खपरैल	5996	80.22
3	एसवेस्टस	56	0.75
कुल परिवार = 7474			

उक्त तालिका कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के सबसे अधिक 80.22 प्रतिशत आवास की छत खपरैल की, 17.49 प्रतिशत आवासो की छत घांस—फूंस की एवं 0.75 प्रतिशत आवासो की छत एसवेस्टसकी पायी गयी शेष कमार परिवार के आवासों की छत सीमेन्ट या कांक्रीट की होगी।

फर्श का प्रकार.—

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आवासो के फर्श का प्रकार वहां की भौगौलिक एवं स्थानीय उपलब्धता पर निर्भर है कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास का प्रकार निम्नानुसार है :—

क्र.	फर्श का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	6622	88.60
2	अर्द्ध पक्का	498	6.66
कुल परिवार = 7474			

उक्त तालिका अनुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 88.60 प्रतिशत (N = 6622) परिवारों के आवास का फर्श मिट्टी की या कच्चे प्रकृति के है वही 6.66 प्रतिशत परिवारों के आवास की फर्श अर्द्ध पक्की या आंशिक रूप से पक्की (पत्थर स्लेब या सीमेन्ट फ्लोरिंग) पायी गयी।

घरका निवास क्षेत्र.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग अपनी आवश्यकताओं की सीमित वस्तुओं एवं दैनिक उपभोग, वनोपज संग्रहण और खाद्य पदार्थो को रखने के लिए आवास का निर्माण करते है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास सामान्यतः अपेक्षाकृत छोटे होते है। उन आवास के हर स्थान को अच्छी तरह से उपयोग करते है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के आवास क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	निवास क्षेत्र (वर्ग फीट में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	400 से कम	1485	19.87
2	400 से 500	1415	18.93
3	500 से अधिक	2680	35.86
4	800 से अधिक	1894	25.34
कुल परिवार = 7474			

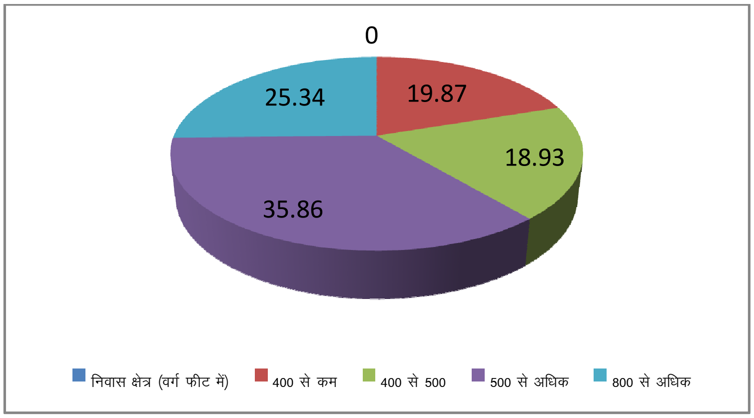

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 19.87 प्रतिशत (N = 1485) परिवारो के आवास का क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट से कम, 18.93 प्रतिशत (N = 1415) परिवारों के आवास का क्षेत्रफल 400 से 500 वर्ग फीट तक का पाया गया एवं 35.86 प्रतिशत (N = 2680) कमार परिवारों का आवास का क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से अधिक का पाया गया।

कक्षों की उपलब्धता.—

क्र.	निवास क्षेत्र (वर्ग फीट में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	01 कक्ष	1127	15.08
2	02 कक्ष	5202	69.60
3	03 कक्ष	740	9.90
4	04 कक्ष	210	2.81
5	05 कक्ष	87	1.16
6	05 कक्ष से अधिक	108	1.44
कुल परिवार = 7474			

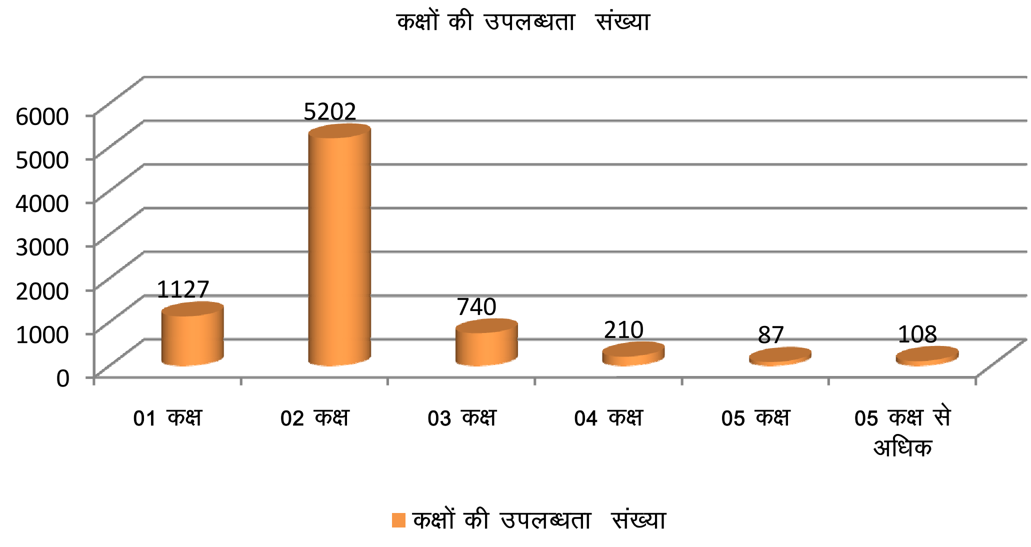

प्रायः जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास में सीमित कमरे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बनाये जाते है तथा आवास के सामने खाली जगह (आंगन) का उपयोग विभिन्न प्रयोजन खाद्‌य सामग्री सूखने, भंडारण एवं शादी ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यो इत्यादि में किया जाता है। इनके आवासो में एक परछी व 1 या 2 अन्य कमरे प्रायः होते है रसोई कार्य के लिये सामान्यतः परछी का उपयोग करते है अंदर के कक्ष में पूर्वजदेव (देव डूमा कक्ष) व अनाज भंडार एवं खाद्य पदार्थ के अन्य सामग्री के भंडारण हेतु कोठी आदि रखी जाती है इनके पीने के पानी के रखने के लिये भी परछी का उपयोग प्रायः किया जाता है।

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में आवासों में कक्षों की संख्या परिवार के सदस्यों एवं उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्भर रहती है कमार जनजाति में 15.08 प्रतिशत परिवारों के आवास एकल कक्षीय पाये गये जबकि 69.60 प्रतिशत (N = 5202) कमार परिवारो के आवास दो कक्षीय, 09.90 प्रतिशत कमार परिवारो के आवास 3 कक्षीय, 2.81 प्रतिशत कमार परिवारों के आवास 4 कक्षीय एवं 1.16 प्रतिशत (N = 87) कमार विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के आवास 5 कक्षीय पाये गये इसे स्पष्ट होता है कि वर्तमान परिस्थिति में कमार परिवार में सबसे ज्यादा 2 कक्षीय आवास विद्यमान है।

कार्यशीलता.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की अर्थव्यवस्था सामान्यत संग्रह ही अर्थव्यवस्था न होकर जीविकोपार्जन की होती है। आदिवासी अर्थव्यवस्था में परिवार की आवश्यकता की ईकाई है जहां परिवार के समस्त सदस्य आपस में मिलकर यह ईकाई बनाते है। कार्य प्रकृति अनुसार आदिम जीवन को कार्यो को परिवारिक या घरेलू कार्य एवं आर्थिक उपार्जन के कार्य के रूप में विभक्त किया जा सकता है।

आर्थिक कार्यो में व्यक्तियों की संलग्नता के आधार पर उसकी कार्यशीलता निर्धारित की जाती है। किसी समाज में अकार्यशील, कार्यशील एवं आंशिक कार्यशील सदस्य होते है।

कार्यशील एवं आंशिक कार्यशील व्यक्ति/सदस्य ही परिवार की अर्थव्यवस्था के अनुरूप कार्य के मुख्य वाहक माने गये है। कार्यशील अथवा आंशिक कार्यशील सदस्यों की गणना प्रायः 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे एवं वृद्धजन, निशक्तजनों को छोड़कर शेष जनसंख्या के आधार पर की जाती है।

अतः कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल स्त्री–पुरूष जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण का विवरण इस प्रकार से है :–

विवरण	पुरूष		स्त्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
कार्यशील जनसंख्या	8324	62.90	8358	62.96	16682	62.93

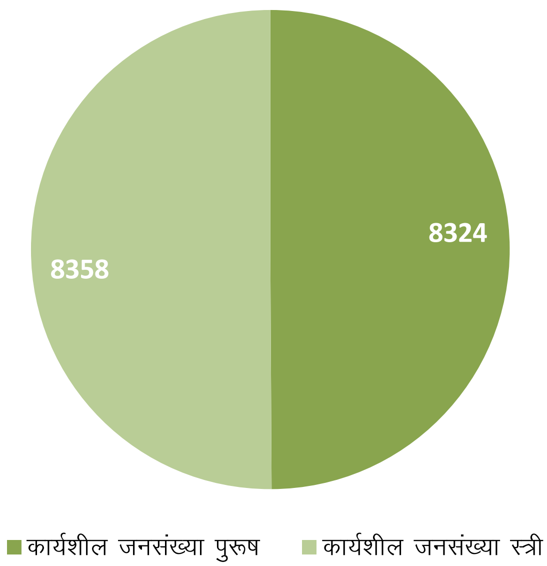

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 26509 (पुरूष 13234 महिला 13275) में से 62.93 प्रतिशत (N = 16682) जनसंख्या कार्यशील है जिसमे 62.90 प्रतिशत (N = 8324) पुरूष एवं 62.96 प्रतिशत (N = 8358) महिला जनसंख्या है जो महिला एवं पुरूष अपने परिवार के जीवनयापन हेतु आर्थिक संसाधनो की उपलब्धता हेतु कार्यशील रहते है। इनके परिवार इनकी कार्यशीलता के आय पर निर्भर रहता है।

व्यवसाय का वर्गीकरण.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के परंपरागत अर्थोपार्जन के साधन में परंपरागत कृषि, बांस बर्तन निर्माण, वनोपज संग्रहण, मत्साखेट, छोटी जीव जंतुओं का शिकार, मजदूरी एवं कृषि मजदूरी का कार्य करते है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की आर्थिक संलग्नता को प्राथमिक अथवा मुख्य व्यवसाय एवं द्वितीयक या गौण व्यवसाय में बांटा गया है। जिससे प्राप्त आय से वे अपनी आजीविका व परिवार का जीविकोपार्जन करते है। इनके व्यवसाय इनके सक्षम होने की स्थिति को परिभाषित करते है कि परिवार का भरण पोषण की स्थिति क्या होगी।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में प्राप्त आकड़ों अनुसार प्राथमिक या मुख्य व्यवसाय में व्यक्तियों की संलग्नता का विवरण इस प्रकार से है।

क्र.	प्राथमिक व्यवसाय	संलग्नता					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	3227	38.77	3051	36.50	6278	37.63
2	वनोपज	09	0.10	07	0.08	16	0.09
3	मजदूरी	1585	19.04	1608	19.24	3193	19.14
4	नौकरी / सेवा	68	0.82	33	0.39	101	0.61
5	बांस बर्तन	2012	24.17	2084	24.93	4096	24.55
6	अन्य	233	2.80	277	3.31	510	3.06

कार्यशील पुरूष = 8324

कार्यशील महिला = 8358

कुल कार्यशील जनसंख्या = 16682

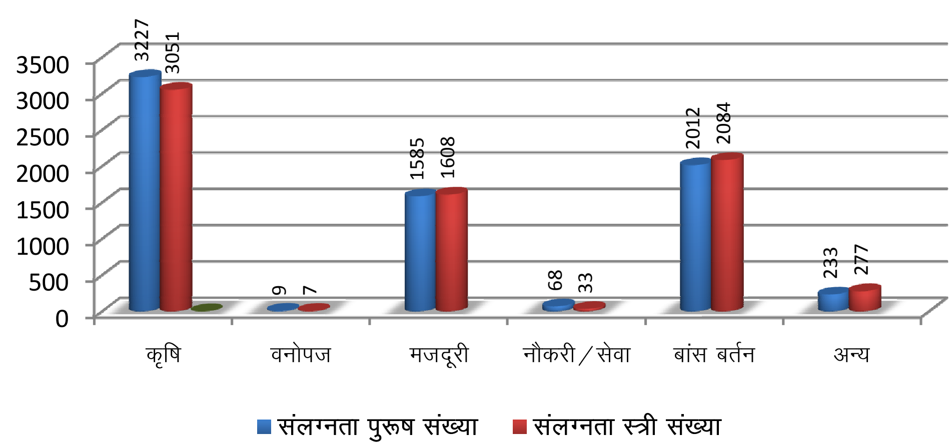

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल कार्यशीलर जनसंख्या में से सर्वाधिक 37.63 प्रतिशत (N = 6278) व्यक्तियों कृषि कार्य जिसमें से 38.77 प्रतिशत पुरूष एवं 36.50 प्रतिशत महिला कृषि कार्य में संलग्न है। 24.55 प्रतिशत व्यक्ति बांस बर्तन निर्माण में संलग्न है जिसमे से 24.17 प्रतिशत पुरूष N = 2012 एवं 24.93 प्रतिशत (N = 2084) महिला की संलग्नता बांस बर्तन निर्माण कार्य में है। 19.14 प्रतिशत (N = 1585) पुरूष एवं 19.24 प्रतिशत (N = 1608) महिला मजदूरी कार्य में, 0.09 प्रतिशत व्यक्ति वनोपज में, एवं 0.61 प्रतिशत (N = 101) व्यक्ति नौकरी/सेवा को अपना प्राथमिक व्यवसाय होने की जानकारी दी एवं इसके अलावा 3.06 प्रतिशत (N = 510) व्यक्ति अन्य व्यवसाय में संलग्नता की जानकारी दी है।

द्वितीयक या गौण व्यवसाय.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग अपने प्राथमिक व्यवसाय या मुख्य व्यवसाय के अलावा द्वितीयक व्यवसाय भी समय मिलने पर करते है जो उनके जीवीकोपार्जन में सहायक होते है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में द्वितीयक व्यवसाय अथवा गौण व्यवसाय में संलग्नता का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	द्वितीयक व्यवसाय	संलग्नता व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	820	9.85	636	7.61	1456	8.73
2	वनोपज	02	0.02	03	0.02	05	0.02
3	मजदूरी	4181	50.22	4225	50.55	8406	50.38
4	नौकरी/सेवा	54	0.65	23	0.27	77	0.46
5	बांस बर्तन	376	4.52	408	4.88	784	4.70
6	अन्य	78	0.94	93	1.11	171	1.02
कार्यशील पुरूष = 8324 कार्यशील महिला = 8358 कुल कार्यशील जनसंख्या = 16682							

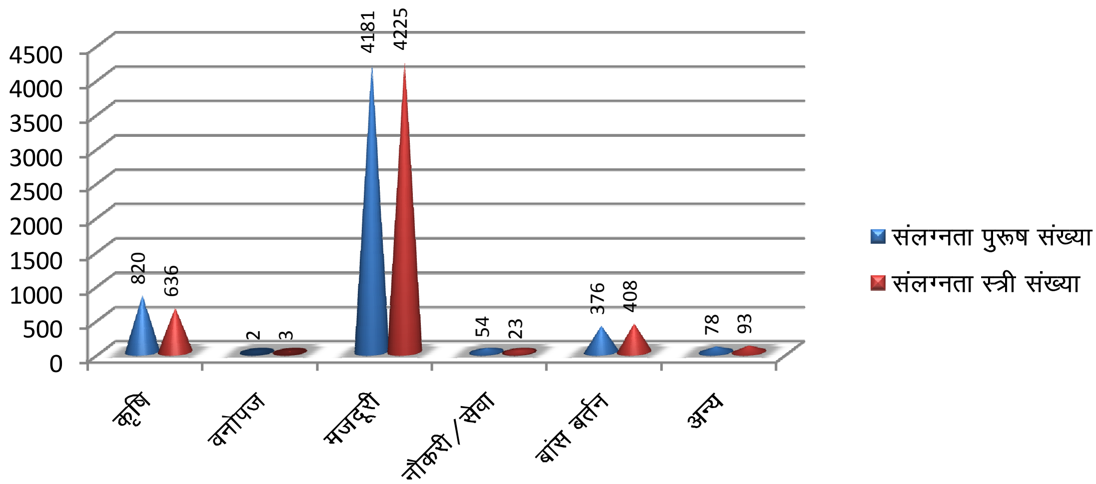

उपरोक्तानुसार तालिका में 50.38 प्रतिशत कार्यशील व्यक्तियों द्वारा मजदूरी कार्य को मुख्य द्वितीयक (गौण) व्यवसाय बताया। 8.73 प्रतिशत (N = 1456) प्रति व्यक्तियों के द्वारा कृषि को एवं 4.70 प्रतिशत (N = 784) व्यक्तियों द्वारा बांस बर्तन निर्माण को 0.46 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा नौकरी/सेवा को द्वितीयक व्यवसाय, और 0.02 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा वनोपज संग्रहण एवं 1.02 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यवसाय के रूप अपना द्वितीयक व्यवसाय बताया गया है। अर्थात द्वितीयक व्यवसाय मुख्य रूप से मजदूरी या कृषि मजदूरी बताया गया है।

रोजगार हेतु मानव दिवस की संख्या .–

जनजातियों में सामान्यतः उनकी सीमित आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रमुख साधन के रूप में परंपरागत आदिम तकनीक की कृषि बांस बर्तन निर्माण, वनोपज संग्रहण, शिकार, मत्ससाखेट एवं परंपरागत कला–कौशल का ज्ञान रखने वाले–बांस बर्तन, झाड़ू, टोकरी, सूपा, चटाई इत्यादि के निर्माण को प्राथमिकता देते है किन्तु परिवार की अन्य आर्थिक आवश्यकताओं मे भी समय के साथ वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में इनको आर्थिक उत्सर्जन के स्त्रोतो के अलावा, मजदूरी/कृषि मजदूरी जैसे कार्य भी मिलते है जिससे इनकीअर्थव्यवस्था में वृद्धि एवं जीवन निर्वहन सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है।

रोजगार हेतु व्यक्तियों का मानव दिवस							
क्र.	रोजगार दिवस	संलग्नता व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	≤4 माह से कम	822	13.54	1209	20.92	2031	17.14
2	4—6 माह	1053	17.35	1418	24.54	2471	20.86
3	6 से अधिक	4194	69.11	3151	56.54	7345	62.00
योग		**6069**	**51.23**	**5778**	**48.77**	**11847**	**100.00**
कार्यशील पुरूष = 8324, कार्यशील महिला = 8358, कुल कार्यशील जनसंख्या = 16682							

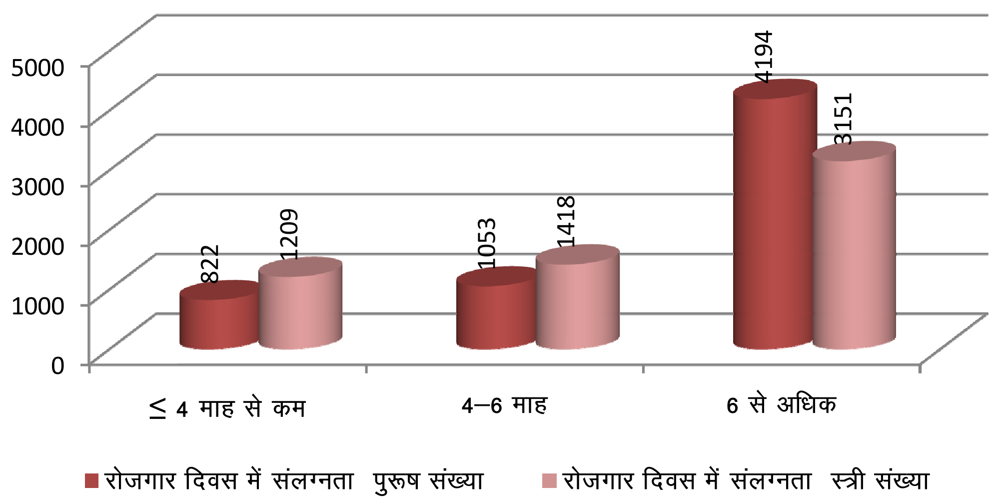

उपरोक्तानुसार रोजगार प्राप्त करने वाले जो 4 माह से कम रोजगार प्राप्त करने वाले कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कार्यशील जनसंख्या 2031 (पुरूष 822, महिला—1209) जो कुल कार्यशील जनसंख्या से रोजगार प्राप्त कुल जनसंख्या 11847 है जिसमें 4 माह से कम रोजगार प्राप्त करने वाले कार्यशील जनसंख्या का 17.14 प्रतिशत है जिसमें पुरूष जनसंख्या 822 एवं महिला 1209 है जिनको 4 माह से कम का मानव दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ है।

4–6 माह को रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 20.86 प्रतिशत (N = 2471) है जिसमें 17.35 प्रतिशत पुरूष (1053) एवं 24.54 प्रतिशत महिला (N = 1418) जनसंख्या की मानव दिवस में संलग्नता रही है।

6 माह या 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त करने वाले कार्यशील कमार सदस्यों की जनसंख्या 62.00 प्रतिशत है जिसमें पुरूष जनसंख्या 69.11 प्रतिशत (N = 4194) एवं महिला जनसंख्या 54.54 प्रतिशत (N = 3151) है जो रोजगार से प्राप्त करने वाले मानव दिवस में सबसे ज्यादा कमार कार्यशील जनसंख्या है इसे प्रतीत हो रहा है कि कमार परिवार अपने रोजगार के लिए निरंतर कार्यरत रहता है।

परंपरागत कला कौशल का ज्ञान.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति अनेको वर्षो से अपने बसाहट क्षेत्रों के वनों में निवास कर रही है। वह स्थानीय स्तर पर कृषि कार्य, वनोपज संग्रहण के साथ–साथ अपना परंपरागत कला–कौशल का व्यवसाय बांस–बर्तन निर्माण करते है। वनो में निवासरत क्षेत्र होने के कारण कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की पहले आसानी से बांस मिल जाते थे जिसके कारण अपनी परंपरागत कला–कौशल से बांस से बांस बर्तन के अनेक प्रकार के उपयोगी सामग्री या दैनिक उपयोग में आने वाले टोकरी, सुपा चटाई, इत्यादि का निर्माण करते थे। उक्त निर्माण अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साथ स्थानीय हाट–बाजार में बांस से निर्मित सामग्री या वस्तु का विक्रय कर अपनी दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली भोज सामग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री का क्रय करते थे।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में परंपरागत कला–कौशल का ज्ञान रखने वाले परिवार का विवरण निम्नानुसार है :–

कुल परिवार संख्या	परंपरागत काला–कौशल ज्ञान वालो के परिवार संख्या	प्रतिशत
7474	2909	38.92

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में परंपरागत कला–कौशल ज्ञान की जानकारी रखने वाले 38.92 प्रतिशत (N = 2909) परिवार है।

कुल कार्यशील पुरूष =8324, कार्यशील महिला =8358, कुल कार्यशील =16682

क्र.	परंपरागत कला–कौशल का विवरण	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बांस बर्तन निर्माण	1696	20.37	1796	21.49	3492	20.93
2	अन्य	08	0.10	04	0.05	12	0.07

कुल कार्यशील व्यक्तियों में 20.93 प्रतिशत जनसंख्या परंपरागत कला–कौशल ज्ञान रखने बांस बर्तन निर्माण वालों की है। जिसमे 20.37 पुरूष जनसंख्या एवं 21.49 प्रतिषत महिला जनसंख्या है एवं 0.07 बांस बर्तन निर्माण के अलावा अन्य का ज्ञान रखते है।

भूमि धारिता.–

छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक जनजातियां निवास करती है उन जनजातियों विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजातियां आदिकाल से वनो में निवास कर रही है। वर्तमान समय में भी विशेष पिछड़ी जनजाति वनो, जंगलो या ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही है। कंदमूल, वनोपज, संकलन, परंपरागत व्यवसाय आदि के साथ–साथ कृषि कार्य भी करते है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में भूमि धारित निम्नांकित है।

विवरण	परिवार	
	संख्या	प्रतिशत
भूमिधारक (स्वयं के अधिपत्य एवं अतिक्रमित)	4493	60.12

क्र.	विवरण	संख्या
1	भूमिधारक (स्वयं के अधिपत्य)	3414
2	भूमिधारक (अतिक्रमित स्वयं का अधिपत्य)	1079
	योग	**4493**

कुल परिवार – 7474

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 60.12 प्रतिशत परिवार भूमिधारक है।

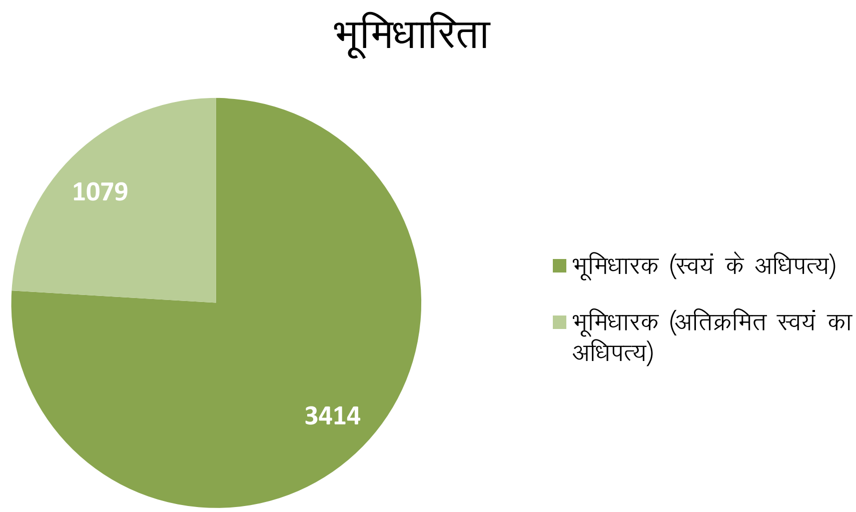

भूमि का प्रकार.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कृषि युक्त रकबे से अपेक्षाकृत कम उत्पादन का मुख्य कारण उनकी कृषि की परंपरागत तकनीकी, आधुनिक खाद–बीज का उपयोग न करना, उन्नत किस्म के बीजों का अभाव, जैविक एवं रासायनिक खाद–बीज का उपलब्ध न होना, आधुनिक कृषि उपकरण का अभाव, पर्याप्त मानव संसाधन, श्रम की अनुपलब्धता आदि के साथ–साथ कृषि भूमि का अंसिचित होना या सिंचाई की सुविधा का न होना।

भूमि धारक परिवार में उनकी कृषि भूमि का प्रकार निम्नांकित है।

क्र.	भूमि का प्रकार	भूमिधारक परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	सिंचित	1103	24.55
2	असिंचित	3390	75.45
	कुल	**4493**	**100.00**

भूमि धारक परिवार संख्या

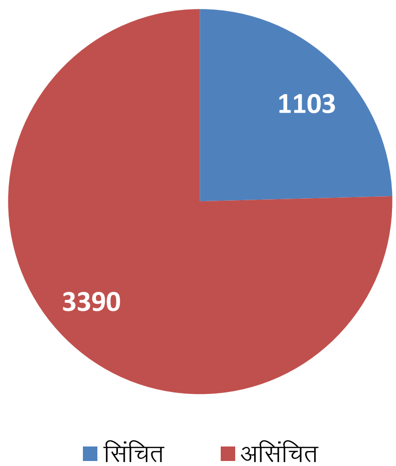

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के भूमिधारक 4493 परिवार में से सर्वाधिक 75.45 प्रतिशत परिवारों की कृषि भूमि असिंचित प्रकार की है। केवल 24.55 प्रतिशत परिवारों की भूमि सिंचित प्रकार की है।

स्वयं के अधिपत्य में भूमि धारक परिवारों की भूमिका विवरण .–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के भूमि धारक परिवारों में स्वयं के अधिपत्य की कुल भूमि का विवरण इस प्रकार से है।

क्र.	भूमि का प्रकार स्वयं के अधिपत्य	भूमि धारक परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	सिंचित	791	23.17
2	असिंचित	2623	76.83
	योग	**3414**	**100.00**

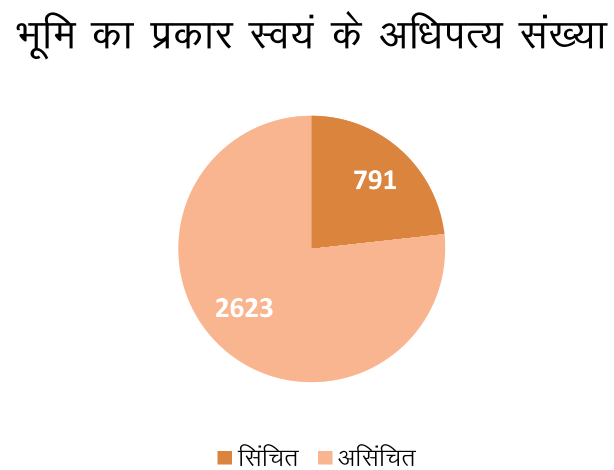

उपरोक्तानुसार भूमिधारक परिवार में से स्वयं के अधिपत्य की भूमि धारिता 3414 परिवार की है। जिसमें सर्वाधिक 76.83 प्रतिशत (N = 2623) परिवारों की कृषि भूमि, असंचित प्रकार की है एवं शेष 23.17 प्रतिषत परिवारों की भूमि जो कृषि भूमि, बाड़ी, बागान के रूप में सिंचित भूमि है।

अतिक्रमित भूमि धारकों में भूमि की स्थिति का परिवार विवरण :—

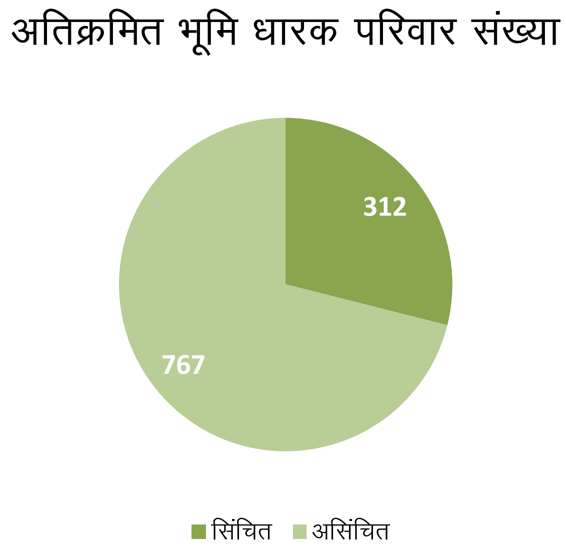

क्र.	भूमि का प्रकार (अतिक्रमित भूमि स्वयं के अधिपत्य)	अतिक्रमित भूमि धारक परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	सिंचित	312	28.92
2	असिंचित	767	71.08
	योग	**1079**	**100.00**

झूम/डहिया कृषि पर निर्भरता.–

विशेष पिछड़ी जनजातियां पूर्व में झुम कृषि अथवा डहिया कृषि पर ही पूर्णतया निर्भर थी, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट मांपदडों के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित करते समय झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि को भी एक मापदंड के रूप में शामिल किया है।

पूर्व के समय में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति झूम खेती करती थी वर्तमान समय में शासकीय प्रयासो एवं योजना, परियोजना के प्रयासों से कमार विशेष पिछड़ी जनजाति स्थायी कृषि की ओर अग्रसर हुई है वर्तमान परिवेश में कमार विशेष पिछड़ी जनजातिदूरस्थ पहाड़ी एवं सघन वन क्षेत्रों

और झुडपी जंगलों में कहीं–कहीं पर झुम कृषि या डहिया कृषि आंशिक रूप से करते है। जिनकी जानकारी इस प्रकार से है :–

विवरण	परिवार					
	हां		नहीं		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
झूम/डहिया कृषि में संलग्नता	59	0.79	7415	99.21	7474	100.00

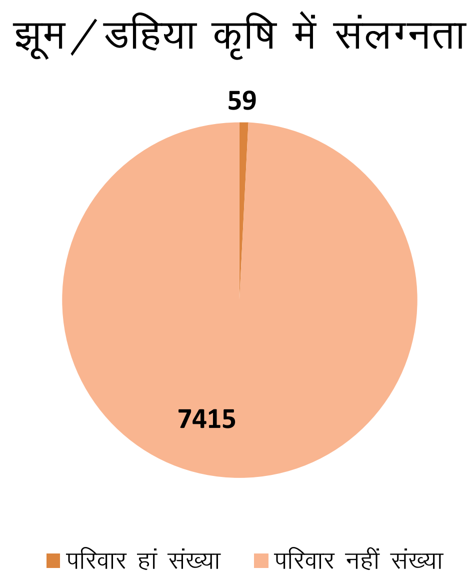

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों में से वर्तमान में केवल 0.79 प्रतिशत परिवार ही यदा–कदा आंशिक रूप से झूम कृषि या डहिया कृषि करते है शेष 99.21 प्रतिशत परिवार झूम कृषि या डहिया कृषि नहीं करते है। झूम कृषि में अब कमार विशेष पिछड़ी जनजाति पूर्ण रूप से निर्भर न होकर आंकिश रूप में करती है।

अधिया अंतर्गत भूमि विवरण.–

सामान्यतः ऐसे कमार परिवार जो कम रकबे के भूमि धारक है अथवा भूमिहीन है एवं कृषि कार्य में सक्षम है उनके द्वारा किसी अन्य की कृषि भूमि आपसी संवाद के माध्यम से प्राप्तकर उसमें कृषि उपजों का उत्पादन करता है तथा आपस में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूमि पर उपज की उत्पादन मात्र का कुछ हिस्सा या आधा हिस्सा भूमि स्वामी को दिया जाता है। जिसमें हम दैनिक बोल चाल की भाषा में अधिया पदद्धि कहा जाता है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में अधिया भूमि लिये गये परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	अधिया भूमि लिये परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	109	1.46
2	नहीं	7365	98.54
	योग	**7474**	**100.00**

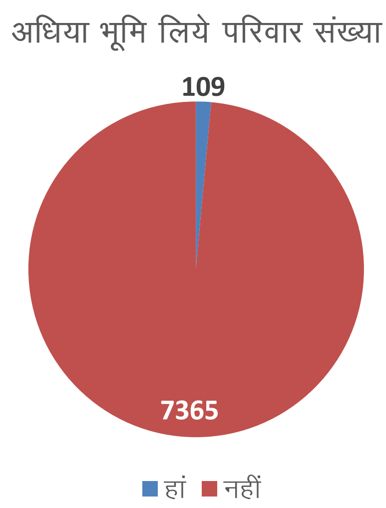

उपरोक्त तालिका के अनुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल परिवार 7474 में से 1.46 प्रतिशत (N = 109) परिवारों द्वारा ही कृषि कार्य करने हेतु दूसरे की भूमि अधिया अंतर्गत ली गयी है। उक्त अधिया ली गयी जमीन का प्रकार इस प्रकार से है।

क्र.	विवरण	भूमि धारक परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	सिंचित	53	48.62
2	असिंचित	56	51.38
	योग	109	100.00

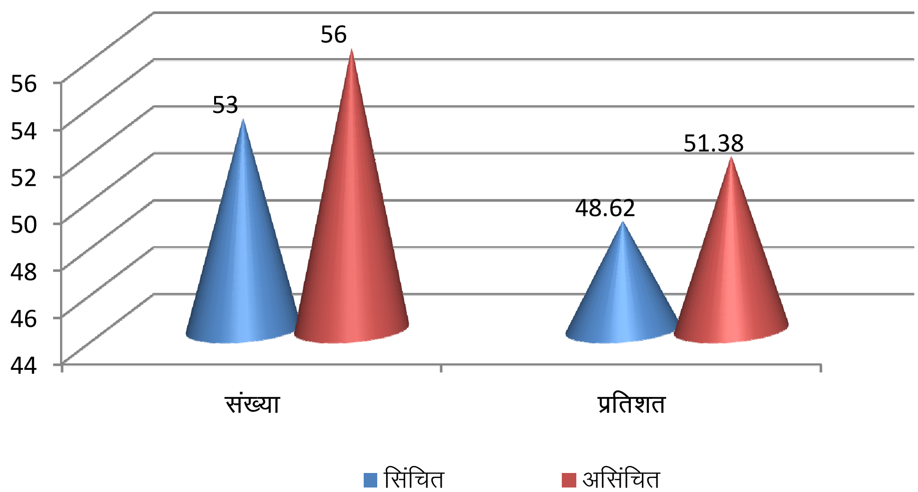

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के द्वारा कुल अधिया ली गयी भूमि में 48.62 प्रतिशत भूमि सिंचित है एवं 51.38 प्रतिशत भूमि असिंचित है।

बंधक रखी गयी भूमि का विवरण.–

सामान्यतः सीमान्त या लघु कृषको द्वारा अपने परिवार की जरूरी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में अपनी भूमि को अन्य व्यक्तियों जो उनका परिवारिक सदस्य, रिश्तेदार या अन्य वर्ग को हस्तांतरित कर देता है।

नियमानुसार भू राजस्व अधिनियम अनुसार किसी जनजाति समुदाय के व्यक्ति की भूमि गैर जनजातिय के व्यक्ति के द्वारा हस्तांतरण को वैधता नहीं दी गई है उक्त नियमों में जनजातियों की भूमि के संरक्षण के संबंध में उपाय उपबंधित किये गये है फिर भी जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे प्रकरण कही देखने को मिलते है। प्रमुख रूप से हस्तांतरण संबंधी प्रकरण स्वजातीय भी देखने को मिलते है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल परिवार संख्या 7474 में से केवल 01 एक परिवार के द्वारा स्वयं की भूमि दूसरे के पास बंधक या हस्तांतरित की गयी है। जो नगण्य के बराबर है।

दूसरे की भूमि को बंधक रखे जाने के संबंध में.–

समान्यतः लघु कृषकों द्वारा अपने परिवार की आर्थिक भौतिक स्थिति की पूर्ति हेतु दूसरे की जमीन को ऋण के रूप में अपने पास हस्तांतरित करते है ऐसा वही परिवार करता है जिनके पास उस जमीन उनके कार्य करने हेतु मानव संसाधन उपलब्ध रहते है या वह जमीन उनके जमीन से लगी हुई या उनकी अन्य स्त्रोत से उसका उपयोग कर सकते है।

क्र.	विवरण	परिवार	
	दूसरे की भूमि बंधक रखे परिवार का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हां	04	0.06
2	नहीं	7470	99.94
	योग	**7474**	**100.00**

उपोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति कुल परिवारों में से 0.06 प्रतिशत (N = 04) परिवारों द्वारा ही कृषि कार्य करने हेतु दुसरे की भूमि को बंधक या हस्तांतरित किया गया है।

पशुधन.–

जनजातियों में समान्यतः पशुओं को संपत्ति माना जाता है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में भी पशुओं का उनकी आर्थिक–सामाजिक में महत्तवपूर्ण स्थान रहा है पशुधन का उपयोग समय–समय पर विक्रय कर अर्थोपार्जन करने, कृषि कार्यो में, पूजा–पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों में पुजाई एवं अतिथि सत्कार में भोज आदि हेतु किया जाता है कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग पशुओं को कच्चा सोना मानते है क्योकि वे अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से पशुओं को तुरंत विक्रय कर देते है एवं अपनी आवश्यकता की पदार्थ या वस्तु को तुरंत क्रय कर पाते है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में पालतु पशुओं का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.	पशुओं का नाम	पशुधन की संख्या	पशु पालन में संलग्न परिवार		प्रति परिवार पशुओं की औसत संख्या
			संख्या	प्रतिशत	
1	सुअर	8780	312	4.17	28.14
2	मुर्गा/मुर्गी/बतख	5832	1457	19.49	4.0
3	भेड़	146	63	0.84	2.32
4	बकरा/बकरी	3801	575	7.69	6.61
5	गाय	1372	673	9.0	2.04
6	बैल	1547	783	10.48	1.98
7	भैंस/भैंसा	406	183	2.48	2.22
	कुल परिवार संख्या = 7474	21884			2.93

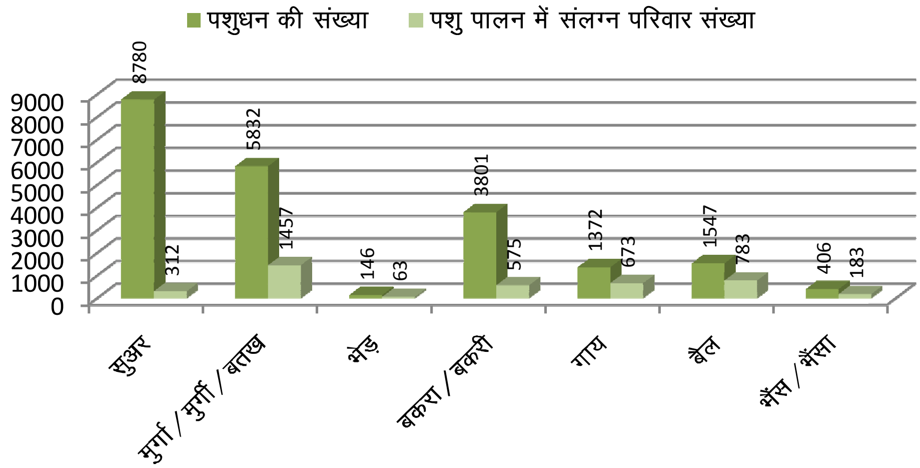

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल परिवार 7474 में से सर्वाधिक 19.49 प्रतिशत (N = 1457) परिवारो द्वारा मुर्गा–मुर्गी बतख पालन किया गया, 10.48 प्रतिशत परिवार (N = 1457) बैल पालन में संलग्न है। 7.69 प्रतिशत परिवार बकरा–बकरी के पालन में संलग्न है। 4.17 प्रतिशत (N = 312) परिवारों द्वारा सुअर पालन किया गया है, 2.48 प्रतिशत (N = 183) परिवारो के द्वार भैंस/भैंसा पालन किया गया है एवं 9.0 प्रतिशत(N = 673) परिवारों द्वारा गाय का पालन एवं 0.84 प्रतिशत परिवारों के द्वारा भेड़ का पालन में संलग्न है।

पशुपालन में संलग्न परिवारों में प्रति परिवार औसतन 28.14 सुअर, 6.61 बकरी–बकरा, 2.22 लगभग भैंस/भैंसा, 4 मुर्गी/मुर्गा/बतख एवं लगभग 02 बैल एवं गाय है।

पशुओं पर स्वामित्व.–

जनजातीय जीवन शैली में वृक्षों की पूजा की जाती है। इनकी जीवन शैली में वृक्षों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वृक्ष इन्हे प्राकृतिक वातावरण प्रदान करते है। साथ–साथ वृक्ष इनके धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का आधार होते है।

वृक्षो से इनके जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति होती है आवास निर्माण हेतु इमारती वृक्ष जैसे साल (राई) आम प्रमुख है। फलदार वृक्षों में महुआ, कोसम, ईमली, कटहल, हर्रा,

बेहड़ा, मुनगा, आंवला आदि मुख्य है। वही गोंद (लासा), परसा (पत्तल, दोना बनाने) आदि भी इनके सामाजिक जीवनोउपयोगी वृक्ष है महुआ, साल, ईमली, आदि वृक्ष के फल/बीज इनके आर्थिक जीवन के संचालन में भी महत्तवपूर्ण भूमिका होती है। तेन्दू के पत्ते एवं फल का उपयोग भी इनके जीवकोपार्जन के लिये होते है। इनके जीवन में महुआ एवं तेन्दु वृक्षों का बहुत उपयोग करते है।

क्र.	वृक्षों का प्रकार	अधिपत्य वाले परिवार		कुल वृक्षों की संख्या	प्रति परिवार औसतन वृक्ष
		संख्या	प्रतिशत		
1	आम	177	2.37	446	2.52
2	महुआ	1912	25.58	9200	4.81
3	साल/सरई	611	8.17	3678	6.02
4	ईमली	143	1.91	284	1.99
5	सल्फी	1	0.01	9	9
6	कोसम	450	6.02	1670	3.71
7	अन्य	4066	54.40	14648	3.60
कुल परिवार = 7474				29935	4.00

उपरोक्तानुसार स्वयं के अधिपत्य के वृक्षों वाले परिवारों में 2.37 प्रतिशत (N = 177) परिवारों में प्रति परिवार औसतन 2.52 प्रति आम के वृक्षों पर आधिपत्य है 25.58 प्रतिशत (N = 1912) परिवारों में प्रति परिवार महुआ वृक्षों की संख्या औसतन 4.81 है। 8.17 प्रतिशत (N = 611) परिवारों में प्रति परिवार साल–सरई औसतन 6.02 प्रतिशत है। 1.91 प्रतिशत (N = 143) परिवारों में प्रति परिवार औसतन 1.99 प्रतिशत ईमली वृक्षों पर आधिपत्य है, 6.02 प्रतिशत (N = 450) परिवारों में प्रति परिवार औसतन 3.71 प्रतिशत ईमली वृक्ष है।

अन्य प्रकार के वृक्षों जैसे सामान्य उपयोग के गोंद, परसा, जामुन, मुनगा, आंवला, हर्रा–बहेड़ा, कटहल आदि पर आधिपत्य वाले परिवारों की संख्या 54.40 प्रतिशत(N = 4066) है जो प्रति परिवार औसतन 3.60 है।

आय के स्त्रोत.–

सामान्यतः जनजातियों की अर्थव्यवस्था एवं आय के मिश्रित स्त्रोत होते है। इनका वन आधारित जीवन होने के कारण इनकी आय के प्रमुख स्त्रोतों में वनों की भागीदारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप दोनो प्रकार से होती है। जनजातियां अधिक शिक्षित न होने के कारण व्यवसाय या सेवा में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व होते है और इनके द्वारा उन्नत कृषि बहुतायत से नहीं करते एवं उद्यानिकी संबंधी व्यवसाय भी नहीं करते है।

अतः सीमित कृषि वनोपज मजदूरी, पशुपालन आदि का सम्मिलन से आदिवासी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है।

क्र.	आय के स्त्रोत	संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	स्थायी कृषि	3474	46.48
2	स्थानांतरित कृषि	45	0.60
3	सेवा	155	2.07
4	शिकार/मत्सयपालन	756	10.12
5	उद्यानिकी	68	0.91
6	पशुपालन	789	10.56
7	वृक्ष से उत्पादन (स्वयं)	1730	23.15
8	वनोपज संग्रहण	7048	94.30
9	गृह उद्योग	2909	38.92
10	स्थायी संपत्ति का विक्रय	1771	2.29
11	उपहार एवं विनिमय	211	2.82
12	मजदूरी	7128	95.37
13	व्यवसाय/वाणिज्य	318	4.25
14	अन्य	5587	74.75

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के सर्वाधिक 95.37 प्रतिशत (N = 7128) परिवारों के आय का मुख्य स्त्रोत्र मजदूरी, 94.30 प्रतिशत (N = 7048) परिवारों के आय का स्त्रोत वनोपज संग्रहण, 46.48 प्रतिशत (N = 3474) परिवारों के आय का मुख्य स्त्रोत स्थायी कृषि, 38.92 प्रतिशत (N = 2909) परिवारों की आय गृह उद्योग (बांस, बर्तन निर्माण), 23.15 प्रतिशत (N = 1730) परिवारों की आय वृक्षों के उत्पादन (स्वयं), 10.56 प्रतिशत (N = 789) परिवारों की आय का मुख्य स्त्रोत पशुपालन, 10.12 प्रतिशत (N = 756) परिवारों की आय शिकार/मत्सयपालन से, 4.25 प्रतिशत परिवारों की आय व्यवसाय/वाणिज्य से, 2.07 प्रतिशत (N = 155) परिवारों की आय का मुख्य स्त्रोत सेवा क्षेत्र है, 0.91 प्रतिशत (N = 68)

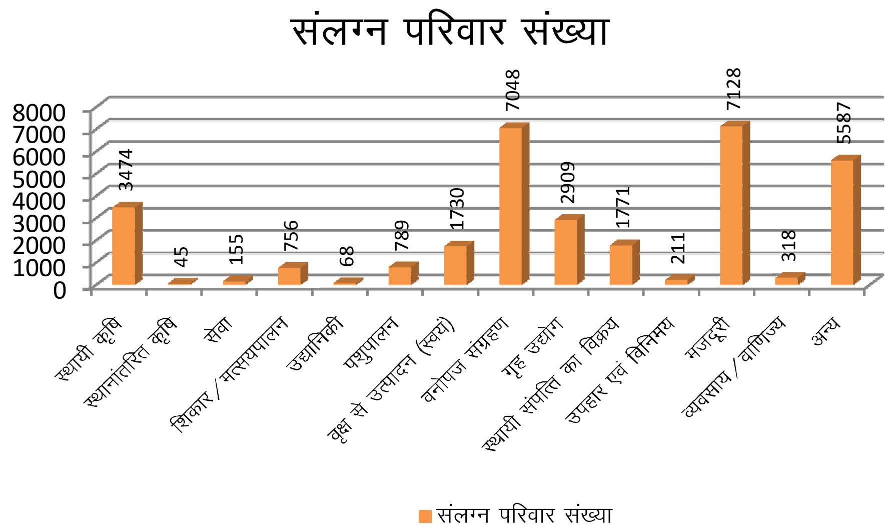

कुल परिवार कमार संख्या = 7474

परिवारों की आय का मुख्यस्त्रोत उद्यानिकी एवं 0.60 प्रतिशत (N = 45) परिवारों की आय का मुख्य स्त्रोत स्थानांतरित कृषि से, 2.82 प्रतिषत परिवारों की आय उपहार एवं विनिमय, 2.29 प्रतिशत (N = 171) परिवार की आय स्थायी संपत्ति का विक्रय और 74.75 प्रतिशत परिवारों की आय के अन्य स्त्रोत है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों की आय का मुख्य स्त्रोत स्थायी कृषि, वनोपज, संग्रहण, कृषि मजदूरी एवं मजदूरी के साथ–साथ में गृहउद्योग (बांस बर्तन निर्माण कर विक्रय) है। जिससे उनकी जीविकोपार्जन करते है।

परिवारऔसत वार्षिक आय.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों का दर्शित आय के स्त्रोतों से प्राप्त आय का विवरण एवं प्रति परिवार औसत वार्षिक आय का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	स्त्रोत	वार्षिक आय	संलग्न परिवार संख्या	प्रति परिवार औसत वार्षिक आय
1	स्थयी कृषि	37951705	3474	10924.49
2	स्थांनातरित कृषि	315800	45	7017.77
3	सेवा	9549570	155	61610.12
4	शिकार/मत्सयपालन	2217500	756	2933.20
5	उद्यानिकी	47600	68	700.00
6	पशुपालन	2110320	789	2674.67
7	वृक्ष से उत्पादन (स्वयं)	3554114	1730	2054.40
8	वनोपज संग्रहण	23694066	7048	3361.81
9	गृह उद्योग	22168220	2909	7620.56
10	स्थायी संपत्ति का विक्रय	668813	171	3911.18
11	उपहार एवं विनियम	1431422	211	6783.99
12	मजदूरी से आय	109544836	7128	15368.24
13	व्यवसाय/वाणिज्य	4001648	318	12583.79
14	अन्य	34125442	5587	6108.00
कुल कमार परिवार = 2909		251381056		33634.07

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल 7474 परिवारों को विभिन्न मदों से कुल 251381056 रूपये की वार्षिक आय प्राप्त हुई जो कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में प्रति परिवार औसतन वार्षिक आय 33634.07 रूपये है।

वार्षिक आय में मदों की सहभागिता.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में समस्त मदों से प्राप्त वार्षिक आय में विभिन्न मदों के योगदान या सहभागिता है जिसका विवरण इस प्रकार है :–

क्र.	आय के स्त्रोत	वार्षिक आय	कुल वार्षिक आय के मदों की सहभागीता
1	स्थयी कृषि	37951705	15.10
2	स्थांनातरित कृषि	315800	0.13
3	सेवा	9549570	3.80
4	शिकार / मत्सयपालन	2217500	0.88
5	उद्यानिकी	47600	0.02
6	पशुपालन	2110320	0.84
7	वृक्ष से उत्पादन (स्वयं)	3554114	1.14
8	वनोपज संग्रहण	23694066	9.42
9	गृह उद्योग	22168220	8.82
10	स्थायी संपत्ति का विक्रय	668813	0.27
11	उपहार एवं विनियम	1431422	0.57
12	मजदूरी से आय	109544836	43.58
13	व्यवसाय / वाणिज्य	4001648	1.59
14	अन्य	34125442	13.57
	कुल आय	251381056	100.00

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आय के परम्परागत स्त्रोत है जैसे, स्थायी कृषि, स्थानांतरित कृषि, शिकार / मत्सपालन, पशुपालन, वनोपन संग्रहण, स्वयं के वृक्ष से उत्पादन, बांस बर्तन निर्माण, मजदूरी, कृषि मजदूरी एवं सेवा क्षेत्र इन सब की इनके वर्षिक

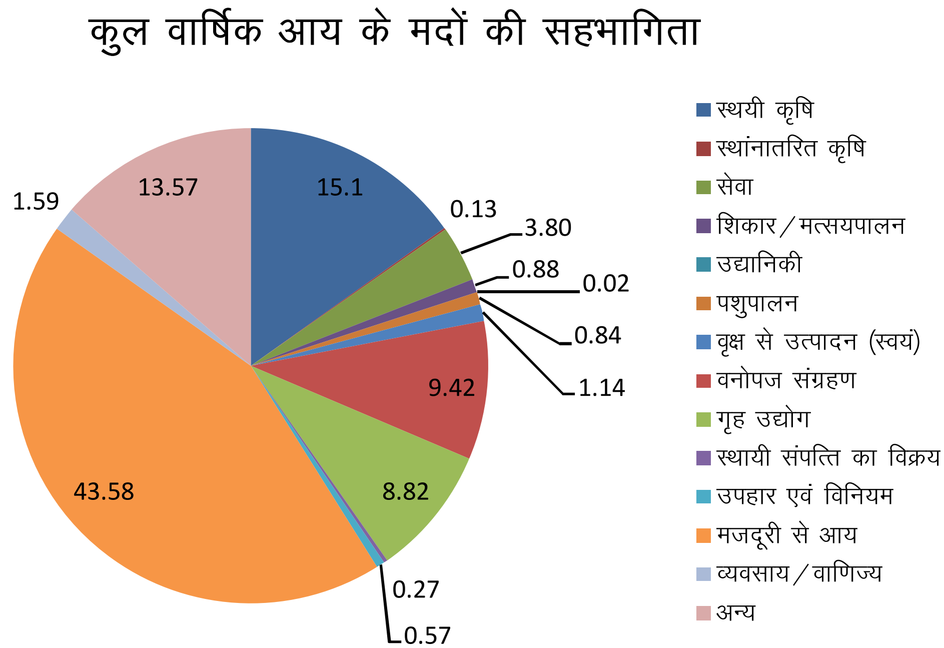

आय में सहभागिता रहती है। कुल वार्षिक आय का सबसे ज्यादा भाग कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में मजदूरी (मजदूरी, कृषि मजदूरी, रोजगार गारंटी) का है जो वार्षिक आय में 43.58 प्रतिशत है इनकी आय का मुख्य स्त्रोत मजदूरी है। कुल वार्षिक आय में एक हिस्सा स्थायी कृषि का है जो वार्षिक आय में से 15.10 प्रतिशत है वनोपज संग्रहण और गृह उद्योग क्रमशः वार्षिक आय मे से 9.42 प्रतिशत एवं 8.82 प्रतिशत है एवं अन्य व्यवसायों से 13.57 प्रतिशत वार्षिक आय में सहभागिता रहती है। सेवा क्षेत्र के स्त्रोत से प्राप्त आय की सहभागिता 3.80 प्रतिशत है।

व्यय मद.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं जीविकोपार्जन, भरण पोषण, रहन–सहन, खान–पान, धार्मिक अनुष्ठान, एवं अन्य सामाजिक पारिवारिक गतिविधियों हेतु विभिन्न मदों में व्यय करते है। इनकी आय का सबसे ज्यादा व्यय भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर किया जाता है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में वार्षिक व्यय मदों का विवरण एवं उसमें संलग्न में परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	व्यय मद	संलग्न	
		संख्या	प्रतिशत
1	कृषि / भोजन	7474	100.0
2	उद्यानिकी / शाक भाजी / फल—फूल	3376	45.17
3	बाड़ी / शाक—भाजी	5179	69.29
4	पारपरिक व्यवसाय	3641	48.72
5	पोशाक और गहने	7222	96.63
6	पूजा — पर्व	7294	79.59
7	मादक पेय पदार्थ	6732	90.07
8	अतिथि सत्कार	7380	98.74
9	रोगोपचार	5888	78.78
10	शिक्षा	2046	27.37
11	टिकाऊ संपत्ति का क्रय	1043	13.95
12	लगान	997	12.80
13	गृह निर्माण व मरम्मत	4198	56.17
14	ऋण की अदायगी	1376	18.41
15	न्यायालयीन व्यय	169	2.26
16	व्यवहार / उपहार	3597	48.13
17	अन्य	3564	47.68
कुल परिवार = 7474			

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के द्वारा आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे रोटी एवं कपड़ा के लिए शत–प्रतिशत परिवारों के द्वारा कुछ न कुछ राशि का व्यय किया जाता है। इन परिवारों के द्वारा शाक–सब्जी और अन्य भोज पदार्थ के लिए राशि का व्यय है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के जीवन शैली में इष्ट देव पूजा, सामाजिक एवं धार्मिक आस्थाओं एवं मान्यताओं से भर रहता है। अतः लगभग 97.59 प्रतिशत परिवारों द्वारा इस मद में व्यय किया गया मादक पेय पदार्थ जनजातियों में धार्मिक कर्मकांड, पूजा–पाठ एवं सामाजिक रिति–रिवाजों का आवश्यक अंग होने के साथ–साथ मनोरंजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जिस कारण से इस मद में 90.07 प्रतिशत परिवारों की व्यय होता है।

अतिथि सत्कार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के जीवन चक्र का एक प्रमुख भाग है। इनके द्वारा अतिथियों का विशेष महत्त्व दिया जाता है। जिसमें कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 98.74 प्रतिशत परिवारों की व्यय की सहभागिता रहती है।

स्वास्थ्यगत मदों में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 78.78 प्रतिशत परिवारों द्वारा व्यय किया गया है। दूर एवं वन अंचल में होने के कारण इनको शासन की समस्त स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र, वन क्षेत्र या दूरस्थ तल्हाटी क्षेत्रों में निवास करने के एवं आय के कम स्त्रोत होने के कारण एवं स्थानीय स्तर में उपलब्ध संसाधनों से घर का निर्माण किया जाता है। इन परिवारों के घर कच्चे होने के कारण इनकी मरम्मत करनी पड़ती है अतः 56.17 प्रतिशत परिवारों द्वारा व्यय किया गया है। वही शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता होने पर 27.37 प्रतिशत परिवारों द्वारा कुछ न कुछ राशि शिक्षा सामग्री या अन्य उपयोगी वस्तुओं पर व्यय की है। जबकि राज्य शासन द्वारा इनको निशुल्क शिक्षा के लिए विभिन्न शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है जिससे इनको स्थानीय स्तर पर शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके।

कुल वार्षिक व्यय.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के द्वारा अपनी वार्षिक आय को जीवन निर्वाहन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	मद	संलग्न परिवार	वार्षिक व्यय	प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय
1	भोजन / कृषि	7474	28642820	3832.32
2	उद्यानिकी / शाक–भाजी	3376	19175636	5679.89
3	बड़ी / शाक–सब्जी	5179	19087335	3685.52
4	पारंपरिक व्यवसाय	3641	14170814	3892.01
5	पोशाक और गहने	7222	21683766	3002.45
6	पूजा एवं पर्व	7294	10199121	1398.28
7	मादक पेय	6732	24025397	3568.83
8	अतिथि सत्कार	7180	15866651	2149.95
9	रोगोपचार	5888	8897900	1511.19
10	शिक्षा	2046	2939230	1436.57
11	टिकाऊ संपत्ति का क्रय	1043	2849988	2732.49
12	लगान	957	1122329	1172.75
13	गृह निर्माण एवं मरम्मत	4198	13062597	3111.62
14	ऋण की अदायगी	1376	4316200	3136.77
15	न्यायालयीन व्यय	169	267050	1580.17
16	उपहार / व्यवहार	3597	4075602	1133.05
17	अन्य	3564	15405470	4322.52
	योग		**205787906**	**27533.83**

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में शत–प्रतिशत परिवारों द्वारा भोजन–कृषि में प्रति परिवार औसतन 3832.32 रूपये व्यय किया गया शाक–सब्जी एवं भाजी में प्रति परिवार क्रमशः 5679 एवं 3685 रूपये औसतन व्यय किया गया। पूजा एवं पर्व और पोषाक–कपड़े एवं गहने में क्रमशः 7294 एवं 7222 परिवारों के द्वारा क्रमशः 1398 एवं 3002 रूपये औसतन व्यय किया गया।

मादक पेय पदार्थ पर 6732 परिवारों द्वारा प्रति परिवार औसतन 3668 रूपये व अतिथि सत्कार पर 7380 परिवारों द्वारा प्रति परिवार औसतन 2149 रूपये और रोगोपचार पर 5888 परिवारों द्वारा प्रति परिवार औसतन 1511 रूपये का व्यय किया गया।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए सामान्यतः निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। कमार जनजाति के 2046 परिवारों द्वारा शिक्षा मद में प्रति परिवार औसतन 1436 रूपये व्यय किया गया।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 4198 परिवारों के द्वारा गृह निर्माण एवं मरम्मत मद में प्रति परिवार औसतन 3111 रूपये व्यय किया गया। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 1376 परिवारों के द्वारा प्रति परिवार औसतन 3136 रूपये का ऋण वापसी भुगतान किया गया बताया गया एवं उपहार/व्यवहार के 3597 परिवारों के द्वारा प्रति परिवार औसतन 1133 रूपये व्यय किया गया। इसी प्रकार अन्य मदो में राशि का व्यय किया गया है। प्रति परिवार के द्वारा वार्षिक औसतन राशि 27533 रूपये प्रति वर्ष व्यय किया गया है।

कुलवार्षिक व्यय में मदो की सहभागिता.—

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल वार्षिक व्यय में मदों की सहभागिता इस प्रकार से है :—

क्र.	व्यय मद	वार्षिक व्यय (रूपये में)	कुल वार्षिक व्यय में मदो की सहभागिता
1	भोजन / कृषि / शाक—भाजी / उद्यानिकी / बाड़ी	66905791	32.51
2	पारंपरिक व्यवसाय	14170814	6.89
3	पोशाक और गहने	21683766	10.54
4	पूजा एवं पर्व	10199121	4.96
5	मादक पेय पदार्थ	24025397	11.67
6	अतिथि सत्कार	15866651	7.71
7	रोगोपचार	8897900	4.32
8	शिक्षा	2939230	1.43
9	टिकाउ संपत्ति का क्रय	2849988	1.38
10	लगान	1122329	0.54
11	गृह निर्माण एवं मरम्मत	13062597	6.35
12	ऋण की अदायगी	4316200	2.10
13	न्यायालयीन व्यय	267050	0.13
14	उपहार / व्यवहार	4075602	1.98
15	अन्य	15405470	7.49
		205787906	**100.00**

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति अपने जीवन निर्वाहन के लिए समग्र रूप से भोजन, भोज पदार्थ साग–सब्जी में वार्षिक व्यय का 32.51 भाग व्यय होता है एवं पोषक और अतिथि सत्कार एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर कुल वार्षिक व्यय का 23.21 प्रतिशत भाग व्यय किया गया। मादक पेय पदार्थ में वार्षिक का 11.68 भाग व्यय किया जाता है।

कुल वार्षिक व्यय में मदो की सहभागिता

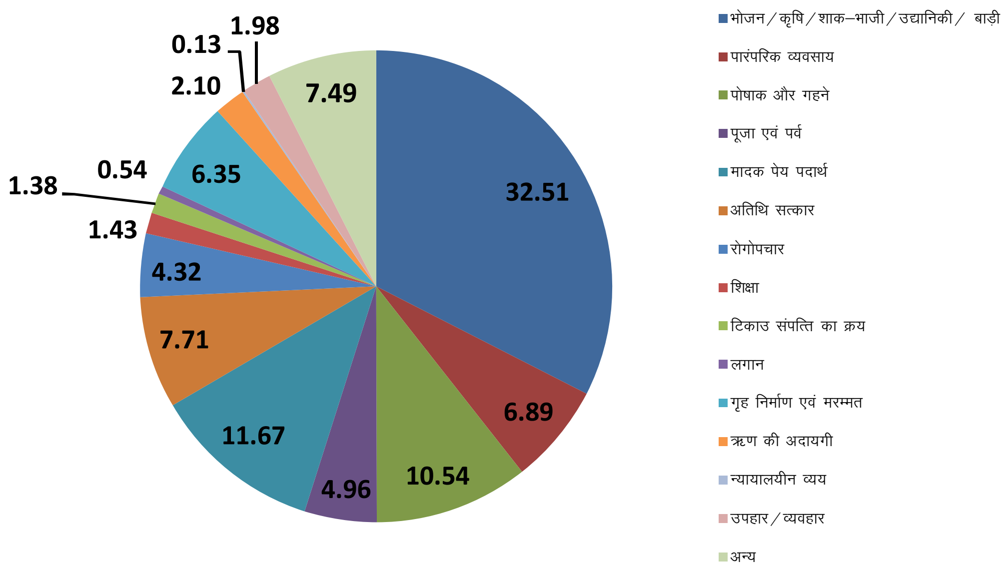

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति रोगोपचार मद पर कुल वार्षिक व्यय 4.32 प्रतिशत एवं शिक्षा पर केवल 1.43 प्रतिशत भाग ही व्यय किया गया है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के द्वारा गृह निर्माण एवं मरम्मत में 6.35 प्रतिशत भाग ही व्यय किया गया एवं इनके द्वारा उपहार/व्यवहार में 1.98 प्रतिशत भाग और न्यायालयीन व्यय में मात्र 0.13 प्रतिशत भाग ही व्यय किया गया है।

वनोपज एवं कृषि उपजों का विनिमय.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में परिवारिक आवश्यकताए एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान का क्रय साप्ताहित हाट–बाजार से किया जाता है। इस समुदाय में वनों एवं वृक्षो का महत्तवपूर्ण स्थान है। वन एवं जंगलो से अपने जीविकोपार्जन के सामान की व्यवस्था की जाती है। वही सामाजिक, धार्मिक क्रिया–कलापों, वनोपज के संग्रहण एवं विक्रय से इनकी आर्थिक सामाजिक, धार्मिक क्रिया–कलापो, वनोपज के संग्रहण एवं विक्रय से इनकी आर्थिक स्थिति सुधार के प्रयासों का महत्तवपूर्ण भाग है। इनके द्वारा आदिम तकनीक से वनो में कृषि एवं वनोपजो के संकलन का कार्य साथ–साथ में किया जाता है।

वनोपजों (सरई–बीज) हर्रा बेहड़ा, कुसुम बीज, लाख, तेन्दूपत्ता, आंवला, गोद, शहद एवं महुआ आदि का संकलन कर एवं कृषि उत्पादों, दैनिक सामग्री की आवश्यकतानुसार प्रायः स्थानीय साप्ताहिक हाट–बाजार, स्थानीय किराना दुकान, कोचियों एवं वनोपज सहकारी समितियों को विक्रय किया जाता है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के द्वारा स्थानीय किराना दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार में अपनी वस्तुओं का विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है।

वनोपज एवं कृषि उपजों के विक्रय का प्रकार.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में कृषि उत्पाद एवं वनोपजों, बांस बर्तन का विक्रय प्रायः स्थानीय किराना दुकानो, हाट–बाजार, बिचौलियों, साप्ताहिक बाजार और मुख्य बाजारो में विक्रय किया जाता है। विशिष्ट वनोपजों जैसे सालबीज, तेन्दुपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, लाख आदि का विक्रय शासकीय वन समितियों या लघुवनोपज केन्द्रों में विक्रय किया जाता है। इन समितियों में शासन द्वारा तय रेट पर उत्पादों या वनोपज का क्रय किया जाता है। उसी प्रकार से कृषि उत्पाद धान, को भी लेमस या आदिम सहकारी मर्यादित समिति में विक्रय किया जाता है।

क्र.	विक्रय का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	नगद	6297	84.25
2	विनिमय (वस्तु के बदले वस्तु)	51	0.68
3	नगद एवं विनिमय	1126	15.07
	योग	**7474**	**100.00**

परिवार संख्या

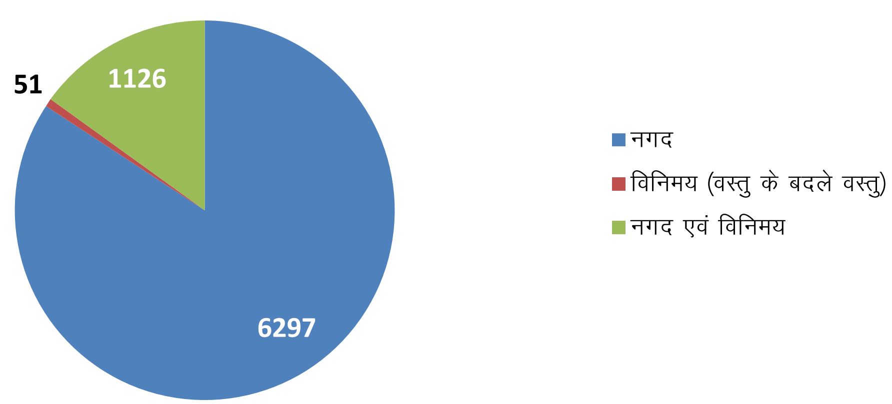

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 84.25 प्रतिशत (N = 6297) परिवारों द्वारा नगद रूप में, 0.68 प्रतिशत (N = 51) परिवारों द्वारा विनिमय रूप में एवं 15.07 प्रतिशत (N = 1126) परिवारों द्वारा नगद एवं विनिमय दोनो ही स्वरूपों में कृषि उत्पादों एवं वनोपजो का विक्रय किया है।

पलायन की स्थिति.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति दूरस्थ क्षेत्रों वन क्षेत्रों एवं पहाड़ी की तल्हटी, एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर निवासरत होती है। प्रकृति के साथ अपने घनिष्ट संबंध एवं समन्वय होने और अपने जीवन निर्वाहन के लिए समिति आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से कर लेना एवं वनो से अपने जीवन के हर छोटी–बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके सामंजस्य स्थापित करने में ज्यादा सक्षम है। इनके क्षेत्र में निवासरत जनजातियों की तुलना में विशेष पिछड़ी जनजाति में पलायन कम पाया जाता है क्योकि इनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती है एवं इनके द्वारा आंशिक रूप से पलायन किया जाता है।

क्र.	पलायन की स्थिति	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	16	0.21
2	नहीं	7458	99.79
	योग	**7474**	**100.00**

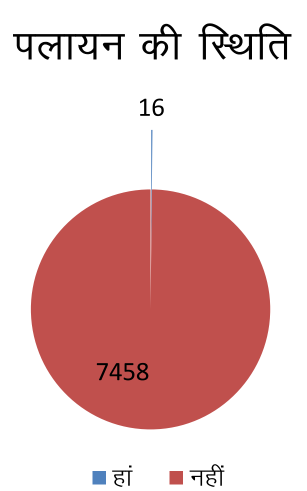

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में कार्य या रोजगार की तलाश हेतु अन्यत्र पलायन करने वाले परिवारों की संख्या 0.21 प्रतिशत (N = 16) पायी गयी जो बहुत कम है।

ऋण ग्रस्ता.–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के द्वारा जीवन के निर्वाहन के लिए विशेष परिस्थितियां जैसे जन्म, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान, कृषि आवश्यकता और रोगोपचार आदि हेतु तत्कालिक कर्ज की आवश्यकता हो जाती है। किन्तु इस समुदाय में उनके पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अधिकांश कार्य स्थानीय स्तर पर ही संपादित कर लिये जाते है एवं जिस विशेष परिस्थिति या विषम स्थिति में अपनी आवश्यकता के लिये जो भी ऋण अपने सगे–संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी या साहूकार से लिया जाता है। उसका इस जनजाति में ऋण लेने की स्थिति बहुत कम होती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	ऋण का विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	ऋण विहीन परिवार संख्या	7466	99.89
कुल परिवार संख्या = 7474			

उपरोक्तानुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल परिवार 7474 में से 7466 परिवार ऋण विहीन परिवार है अतः कुल परिवार संख्या में से 99.89 प्रतिशत (N = 7466) परिवार ऋण विहिन परिवार एवं शेष परिवार ऋणग्रस्त है जो नगण्य है।

अध्याय – 6

योजनाओं से लाभ.–

भारत सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए भारत के प्रत्येक राज्य को आदिवासियों के सर्वागणीय विकास को चरण–बद्ध तरीके से करने के लिए राज्य शासन की आवश्यकता के अनुरूप हर संभव मदद् करती है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी राज्य की विशेष पिछडी जनजातियों के विकास हेतु पिछड़ी जनजातियों विकास अभिकरण एवं प्रकोष्ठों का गठन कर विकासमूलक एवं हितग्राही मूलक योजनाओं एवं परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है।

क्योंकि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से जनजातीय समुदायों को विशिष्ट मापदण्डों के आाधार पर जैसे स्थिर जनसंख्या, आदिम कृषि तकनीक इत्यादि के आाधार पर चिन्हित कर उनके सम्रग विकास जैसे (शिक्षा, आवास, मकान, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक जीवन स्तर को उपर उठाने) हेतु पृथक–पृथक से योजनाओं का निर्माण हेतु निर्णय लिये गये है जो स्थानीय आवश्यकताओं से विकास का नया आयाम हो।

वर्तमान समय में योजनाओं के संचालन एवं कियान्वयन से पूर्व की तुलना में योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रकृति में वृद्धि होती जा रही है। योजनाओं की पहुंच स्थानीय स्तर पर लगातार बढती जा रही है।

कमार विशेष पिछडी जनजाति के विकास हेतु ''विशेष पिछडी जनजाति विकास अभिकरण गरियांबद एवं कमार विकास प्रकोष्ठ महासमुंद में स्थापित किया गया है।

परंतु वास्तवित परिस्थिति भौगोलिक परिस्थिति शिक्षा स्तर आदि कारणों से इनमें शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति स्वीकार्यता एवं प्रचार–प्रसार में अपेक्षाकृत कमी के कारण योजनाओं के लाभान्वयन की स्थिति धीमी है। स्थानीय स्तर पर योजनाओं कियान्वयन के लिए बहुत सी कठनाईयां होती है।

कमार विशेष पिछडी जनजाति विकास अभिकरण द्वारा भूमि आबंटन, भूमि सुधार, खाद, बीज, बैल जोडों, सिंचाई सहायता, फसल प्रदर्शन, कृषि उपकरण, पशुधन विकास, मत्स्य पालन, लघु व्यावसाय, लाख उत्पादन, कुआं निर्माण, बोरखनन्, गृह उद्योग, उद्यानिकी, बाडी विकास, कुकुक्ट पालन, मधुमख्खीपालन, राजमिस्त्री, कौशल विकास, पुर्नवास, आवास, जैसी योजनाओं का संचालित किया जा रहा है।

कृषि संबंधी योजना.—

कमार विशेष पिछडी जनजाति के कृषि संबंधी के योजना से लभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नांकित है—

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	1242	16.62
2.	नहीं	6232	83.38

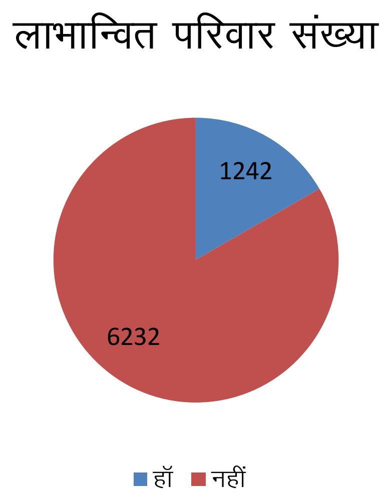

रोजगार विवरण.–

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	भूमि आबंटन	795	64.01
2.	भू–अधिग्रहण	102	8.21
3.	सहायता (खाद–बीज)	298	23.99
4.	बैल जोडो	27	2.17
5.	सिंचाई	17	1.37
6.	फसल प्रदर्शन	03	0.24
	योग	**1242**	**100.00**

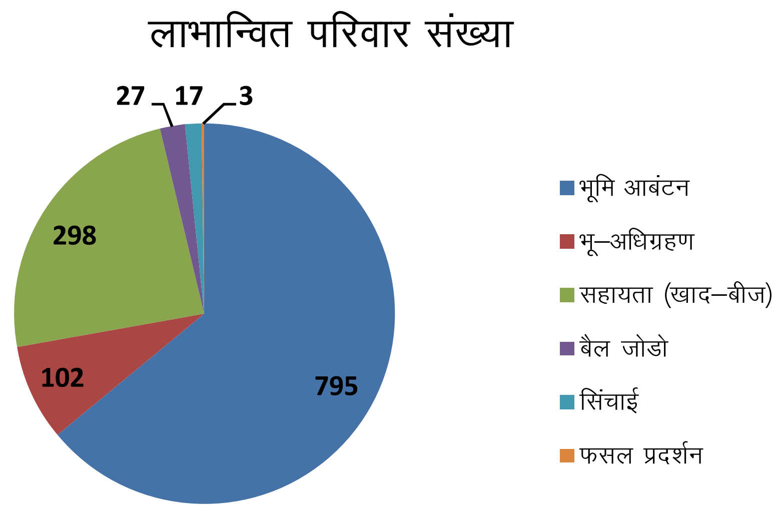

कमार विशेष पिछडी जनजाति के 16.62 प्रतिशत परिवार कृषि विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए है। जिसमें सर्वाधिक 64.01 प्रतिशत परिवार भूमि आबंटन, 23.99 परिवार खाद–बीज प्रदाय योजना, 8.21 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण विकास योजनाओं से लाभान्वित पाये गये।

आर्थिक विकास संबंधी योजना.—

किसी समुदाय के विकास के लिये शासन द्वारा विभिनन योजनाओं का स्थानीय स्तर पर कियान्वयन कर ही उनके विकास में सहायक है इन्हीं आर्थिक विकास योजनाओं का विवरण इस प्रकार से है—

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	31	0.41
2.	नहीं	7443	99.59
	योग	**474**	**100**

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	पशुधन	10	32.26
2.	मत्स्य पालन	03	9.68
3.	मधुमख्खी पालन	03	9.68
4.	रेशम एवं कोसा	02	6.45
5.	लघु व्यवसाय	05	16.13
6.	गृह उद्योग	08	25.81
	योग	**31**	**100**

आर्थिक विकास योजनाओं से लाभान्वित परिवारों में से 32.26 प्रतिशत परिवार पशुधन, 25.81 प्रतिशत परिवार गृह उद्योग, 16.13 प्रतिशत परिवार लघु व्यवसाय, 9.68 प्रतिशत परिवार क्रमशः मत्स्य पालन एवं मधुमख्खीपालन जैसी योजनाओं से लाभान्वित हुए है।

आवास पुर्नवास संबंधी योजना.—

शासन द्वारा अभिकरणों, प्रकोष्ठों एवं परियोजनाओं के माध्यम से कमार विशेष पिछडी जनजाति के लिए आवास एवं पुर्नवास संबंधी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	1950	26.09
2.	नहीं	5524	73.91
	योग	**7474**	**100.00**

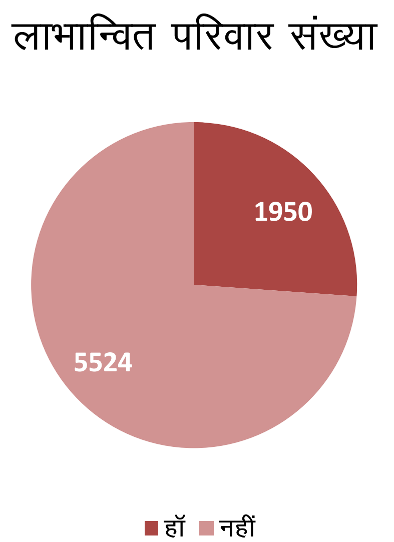

आवास योजना (इंदिरा आवास).–

क्र.	विवरण	लााभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	2926	39.15
2.	नहीं	4548	60.85
	योग	**7474**	**100**

लाभान्वित परिवार संख्या

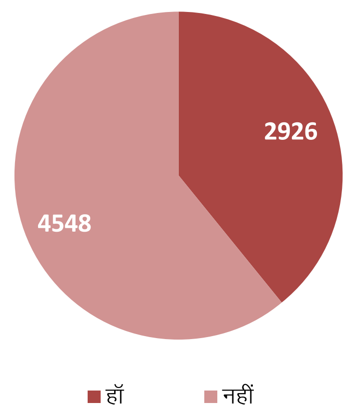

आवास एवं पुर्नवास योजना के अंतर्गत 26.09 प्रतिशत परिवार पुर्नवास संबंधी योजना से और 39.15 प्रतिशत परिवार आवास संबंधी योजनाओं से लाभान्वित हुए है। कुल 65. 24 प्रतिषत परिवार आवास एवं पुर्नवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित है।

अध्याय – 7

स्वास्थ्य का परिलक्षण.–

विशेष पिछड़ी जनजातियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दैवीय शक्ति का प्रकोप, जादू–टोना, नजर लगाना पूर्वज देव की नाराजगी, जैसे विचारों को अस्वस्थता का प्रमुख कारण माना जाता है क्योकि कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में अन्य जनजातियों की तरह स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अधिकतर अभाव पाया जाता है। जनजातीय समाजों में घरेलू उपचार, बैगा, गुनिया, सिरठा आदि के द्वारा नाड़ी तंत्र, जादू–टोना मंत्र आदि के माध्यम से उपचार करने का प्रयास किया जाता है। जनजातियों समुदाय वन क्षेत्रों में निवासरत होने के कारण वन औषधि से उपचार का प्रयास किया जाता है क्योकि जनजातियों में किसी भी बीमारी का उपचार उनके समुदाय की आस्था उनके स्थानीय लोक चिकित्सकों पर अधिक होती है ये वैध अपने वशानुगात प्राप्त पारंपरिक ज्ञान व स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध जानकार लोगों से सुनी हुई वनौषधि का पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर जनजाति लोगों पर अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर उपचार का पूरा प्रयास करते है।

उपचार की प्राथमिकता :–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में अस्वस्थता की स्थिति में उपचार हेतु कई प्रकार से कराया जाता है। सामान्य बिमारियों में प्रायः घरेलू उपचार, एवं अन्य पारंपरिक ज्ञान वालो से उपचार जैसे बैगा, गुनिया को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वनौषधि का जानकार या पारंपरिक औषधिज्ञानी से उपचार कराया जाता है। शासन के द्वारा विगत एक दशक से चलाये गये स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं एवं चिकित्सा कार्यक्रम की स्थानीय स्तर में सुविधायुक्त उपलब्धता का प्रभाव इनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी बिमारी के उपचार हेतु पूर्ण निदान का प्रयास किया जा रहा है। वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार या निदान हेतु लगातार चिकित्सक की सहायता ले रहे है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में उपचार हेतु संपर्क का प्राथमिक क्रम निम्नानुसार है।

क्र.	विवरण	परिवार	
1	घरेलु उपचार	924	12.36
2	बैगा, गुनिया,	6713	89.82
3	वैघ/जनजातीय औषधीय उपचार	603	8.07
4	योग्यता धारी चिकित्सक	7385	98.81
कुल परिवार 7474			

जनजाति समाज पर अलौकिक शक्तियों पर स्वास्थ्य के संदर्भ में अत्यधिक विश्वास करते है सामान्यतः स्वास्थ्य खराब होने पर घरेलू उचार अपनाने वाले परिवार की संख्या 12.36 प्रतिशत है 89.82 प्रतिशत परिवार देवी–देवता प्रकोप, जादुई धार्मिक कर्मकाण्ड हेतु परंपरागत लोक चिकित्सकों भगत, गुनिया, बैगा के उपचार की पद्धति को प्राथमिकता देते है। 8.07 प्रतिशत परिवारों के द्वारा औषधीय उपचारक वैध की सहायता को प्राथमिकता देते है। जबकि 98.81 प्रतिशत परिवारों के द्वारा घरेलू उपचार, बैगा, गुनिया, एवं वनोषधीय उपचारक के बाद स्थानीय स्तर में उपलब्ध चिकित्सक की सेवा प्राप्त करने की जानकारी पायी गयी है।

विभिन्न रोग/अस्वस्थता से पिड़ित सदस्य .–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आधारभूत सर्वेक्षण के दौरान गत 1 वर्ष में विभिन्न प्रकार के बिमारियों से ग्रसित सदस्यों का विवरण इस प्रकार से है।

क्र.	बीमारी का नाम	सामान्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	मलेरिया	13	0.09	4	0.03	17	0.06
2	पीलिया	0	0	1	0.01	1	0.01
3	टाइफाईड	0	0	0	0	0	0
4	खांसी	10	0.07	11	0.08	21	0.07
5	अन्य	60	0.45	40	0.30	100	0.38
	योग	**83**	**0.61**	**56**	**0.42**	**139**	**0.52**

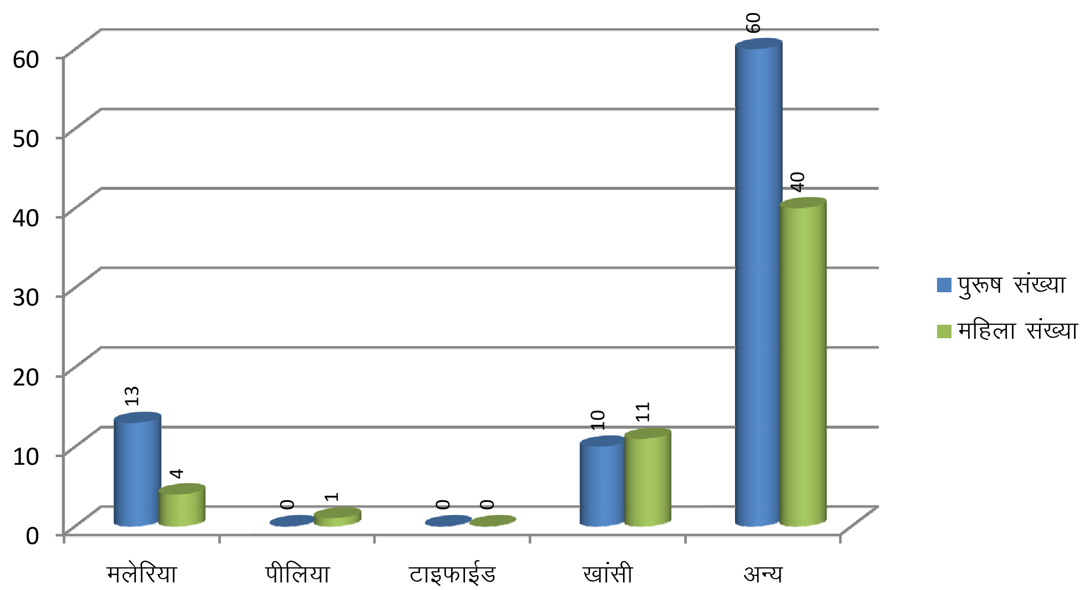

उपरोक्त सारणी में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों की स्वास्थ्य की स्थिति में बीमारियों से पिड़ित व्यक्तियों में कुल 0.52 प्रतिशत व्यक्ति ही विभिन्न सामान्य बिमारियों से एक या एक से अधिक बार पीड़ित पाये गये है। पुरूष 0.61 प्रतिशत एवं महिला 0.42 प्रतिशत पीड़ित पाये गये है। पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति ज्यादा अच्छी है।

गंभीर/लंबी बीमारी का विवरण .–

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में टी.बी. कैंसर जैसे घातक एवं लंबी गंभीर बीमारी की स्थिति का विवरण इस प्रकार है।

क्र.	बिमारी का नाम	सामान्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	टी.बी.	14	0.10	5	0.03	19	0.07
2	कैंसर	01	0.01	1	0.01	02	0.01
3	अन्य	07	0.05	9	0.07	16	0.06
	योग	**22**	**0.16**	**15**	**0.11**	**37**	**0.14**

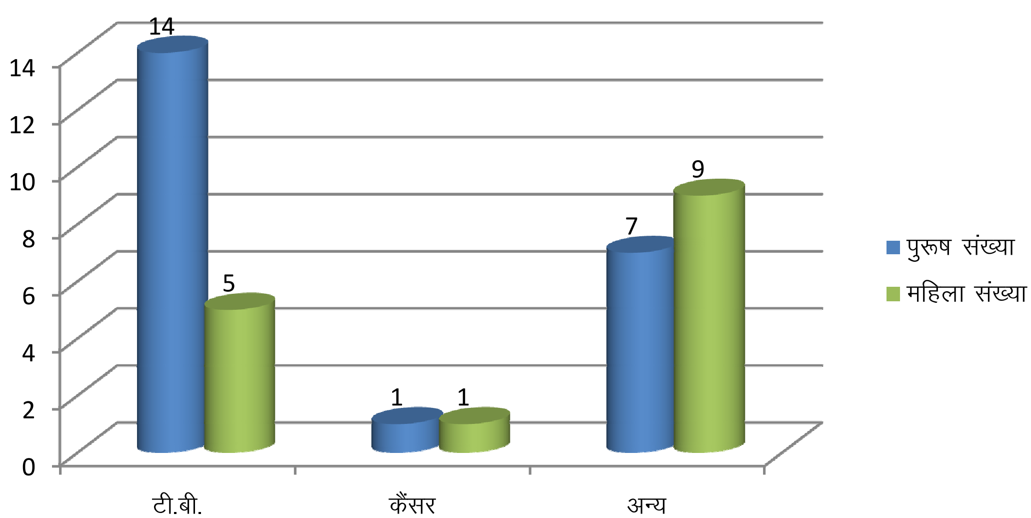

उपरोक्तानुसार कुल 0.14 प्रतिशत (37 जनसंख्या) कमार व्यक्ति किसी घातक/गंभीर बीमारी से पीड़ित पाये गये जिसमें पुरूष 0.10 प्रतिशत एवं महिला 0.11 प्रतिशत पीड़ित पाये गये।

गंभीर/लंबी बीमारी से पिड़ित पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति ज्यादा ठीक है।

अध्याय –8

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु कमार, बैगा, पहाड़ी कोबरा, बिरहोर, अबुझमाडिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त लक्ष्यों का सारांश जो संक्षिप्त रूप से निम्नानुसार है–

1. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति राज्य के गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बलौदाबाजार–भाटापारा एवं कोण्डागांव जिले में निवासरत है। उक्त जिलों में निवासरत कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल परिवार संख्या 7474 है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के सर्वाधिक परिवार4739 गरियाबंद जिले में निवासरत है।

   राज्य के उक्त जिलों में से बलौदाबाजार, भाटापारा के कसडोल विकासखंड के 02 ग्रामों, धमतरी जिले के धमतरी विकासखंड के 05 ग्रामों, मगरलोड विकासखंड के 26 ग्रामों, नगरी विकासखंड के 88 ग्रामों, गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड के 59 ग्रामों, एवं मैनपुर विकासखंड के 51 ग्रामों, कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के 13 ग्रामों, कोणागांव जिले के बड़े राजपुर विकासखंड के 01 ग्राम, और महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के 32 ग्रामों, महासमुंद विकासखंड के 41 ग्रामों एवं पिथौरा विकासखंड के 02 ग्रामों में कुल मिलाकर 409 ग्रामों में कुल 7474 कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार वर्तमान में निवासरत है।
2. राज्य के कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 93.94 प्रतिशत परिवार केन्द्रीय परिवार पाये गये।
3. छत्तीसगढ़ राज्य के कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आधारभूत सर्वेक्षण 2015–16 अनुसार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 26509 है जिसमें से पुरूष जनसंख्या 13234 एवं स्त्री जनसंख्या 13275 है।
4. छत्तीसगढ़ राज्य में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के स्त्री पुरूष लिंगानुपात 1003 है।
5. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति धार्मिक रूप से आदिवासी परम्परा का निर्वाहन करते हुए हिन्दु धर्म के 7443 परिवार धर्मावलंबी मानते है। धार्मिक सेवा या प्राकृतिक सेवा के मानक है।
6. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आधारभूत 39.92 प्रतिशत पुरूष वर्ग की विवाह की उम्र 19–21 वर्ष है। वही महिलाओं में विवाह की उम्र 16–18 वर्ष में 53.94 प्रतिशत है।

7. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 26509 में से 96 व्यक्ति निशक्त जनसंख्या है। जिसमें से पुरूष जनसंख्या 54 एवं महिला जनसंख्या 42 है।
8. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के साक्षरता दर 60.75 प्रतिशत पायी गयी जिसमें पुरूष साक्षरता दर 57.01 प्रतिशत की तुलना में स्त्री साक्षरता दर 42.99 प्रतिशत है जो पुरूषों की अपेक्षा कम है। शालागामी उम्र समूह 7–14 वर्ष के कमार जनजाति के 4779 बालक–बालिका अध्ययनरत है इस उम्र समूह के बालकों में साक्षरता दर 96.97 एवं बालिकाओं में 9556 प्रतिशत है।
9. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास प्रायः कच्चे अर्थात मिट्टी 48.22 प्रतिशत एवं मिट्टी बास लकड़ी के मिश्रित प्रकार के पाये गये जिनके छत–घास–फूस या खपरैल के पाये गये।
10. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में 62.93 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है। जिनमें पुरूषों की जनसंख्या 62.90 प्रतिशत एवं महिलाओं की जनसंख्या 62.96 प्रतिशत है।
11. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में 37.63 प्रतिशत परिवारों की प्रारंभिक व्यवसाय 19.14 प्रतिशत मजदूरी और 24.55 प्रतिशत बांस बर्तन के व्यवसाय में संलग्न है। नौकरी/सेवा में केवल 0.61 प्रतिशत व्यक्तियों का प्रारंभिक व्यवसाय है।
12. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में द्वितीयक व्यवसाय के 8.73 प्रतिशत कृषि, 50.38 प्रतिशत मजदूरी, 4.70 प्रतिशत बांस बर्तन का द्वितीयक व्यवसाय है। नौकरी/सेवा में द्वितीयक व्यवसाय मात्र 0.46 प्रतिशत है।
13. रोजगार प्राप्त कमार विशेष पिछड़ी जनजाति व्यक्तियों में से 6 माह से अधिक 62.00 प्रतिशत, 4–6 माह तक 20.86 प्रतिशत एवं 4 माह से कम 17.14 प्रतिशत रोजगार प्राप्त हुआ है।
14. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल परिवार 7474 में से परंपरागत कला–कौशल ज्ञान वाले परिवारों की 2909 संख्या है। जो बांस बर्तन निर्माण के अपनी पारंपरिक कला का ज्ञान रखते हैं।
15. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के 60.12 प्रतिशत परिवार कृषि भूमि धारक है। जिनमें से 75.45 प्रतिशत परिवारों की कृषि भूमि अंसिचित है। 0.79 प्रतिशत परिवार ही यदा–कदा या आंशिक रूप से झुम कृषि या डहिया कृषि करते है।अधिया में जमीन लेकर कृषि करने वाले कमार परिवारों की संख्या केवल 1.46 प्रतिशत है। वही स्वयं की भूमि दूसरों को हस्तांतरित करने वाले कमार परिवार की संख्या 0.06 प्रतिशत है। अधिया में जमीन लेकर कृषि करने वाले 109 परिवार है।

16. पशुधन के रूप में 4.17 प्रतिशत परिवारों के पास सुअर, 1949 प्रतिशत परिवारों के पास मुर्गा/मुर्गी/बतख, 10.48 प्रतिशत परिवारों पास बैल, 7.69 प्रतिशत परिवारों के पास बकरा/बकरी, 9.00 प्रतिशत परिवारों के पास गाय, 2.48 प्रतिशत परिवारों के द्वारा भैस/भैसा पालन किया जाना पाया गया है।
17. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में वृक्षों का उनके सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन में बहुत महत्तवपूर्ण स्थान प्राप्त है वनो में उपलब्ध वृक्षों के अतिरिक्त 25.58 प्रतिशत परिवारों के अधिपत्य में प्रति परिवार औसतन 4.81 महुआ, वृक्ष, 8.17 प्रतिशत परिवारों के अधिपत्य में औसतन 6.02 साल/सरई पेड़, 2.37 प्रतिशत परिवारों के अधिपत्य में 2.52 आम पेड़, 1.91 प्रतिशत परिवारों के अधिपत्य में 1.99 औसतन ईमली पेड़ 6.02 प्रतिशत परिवारों क अधिपत्य में औसरत 3.71 कोसम वृक्ष एवं 54.40 प्रतिशत कमार परिवारों के पास प्रति परिवार औसतन 3.60 प्रतिशत उक्त के अतिरिक्त अन्य वृक्षो/पेड़ो को अपने अधिपत्य में है।
18. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में आय के समस्त स्त्रोतो जैसे कृषि, सेवा, शिकार/मत्सपालन, उद्यानिकी, पशुपालन, वृक्ष से उत्पादन, वनोपज संग्रहण, बास बर्तन उद्योग, मजदूरी, कृषि मजदूरी आदि से प्रति परिवार औसतन 33634.07 रूपये की वार्षिक आय प्राप्त हुई है। कुल वार्षिक आय में कृषि से आय की सहभागिता 15.10 प्रतिशत, सेवा से औसतन आय 3.80 प्रतिशत, वनोपज संकलन से प्राप्त आय की सहभागिता 9.42 प्रतिशत, परंपरागत व्यवसाय की सहभागिता 8.82 प्रतिशत, है कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल वार्षिक आय में सर्वाधिक 43.58 प्रतिशत सहभागिता मजदूरी से प्राप्त आय की है एवं अन्य कार्यो से प्राप्त वार्षिक आय में 13.57 प्रतिशत सह भागिता है।
19. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में व्यय के विभिन्न मदों में प्रति परिवार औसतन वार्षिक व्यय 27533. 83 रूपये का है। कुल वार्षिक आय का भोजन मद में सर्वाधिक 13.92 प्रतिशत, शाक–भाजी में 9. 32 प्रतिशत बाड़ी और सब्जी में 9.27 प्रतिशत मदों में व्यय होता है। मादक पेय पदार्थ मद में 11. 67 प्रतिशत, पोषाक और गहने के क्रय मद में 10.54 प्रतिशत, अतिथि सत्कार मद में 7.71 प्रतिशत, गृह निर्माण एवं मरम्मत मद में 6.35 प्रतिशत एवं शिक्षा संबंधी मदों में व्यय की 1.43 प्रतिशत सहभागिता और कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल वार्षिक व्यय की 4.32 प्रतिशत सहभागिता है एवं अन्य मद में 7.49 प्रतिशत वार्षिक मद की व्यय की सहभागिता है।

20. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में कृषि उपजो व वनोत्पादों का विक्रय सर्वाधिक 84.25 प्रतिशत परिवारों द्वारा नगद रूप में तथा 15.07 प्रतिशत परिवारों द्वारा नगद एवं वस्तु विनिमय के द्वारा विक्रय किया गया है एवं 0.68 प्रतिशत परिवारों के द्वारा वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जा रहा है।
21. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के पलायन की स्थिति नगण्य के बराबर है। क्योकि कुल परिवार मे से केवल 16 परिवार के द्वारा ही आंशिक रूप से पलायन की आ रहा है।
22. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के ऋणगस्ता की स्थिति नगण्य है क्योकि कुल परिवार संख्या में से 99.89 परिवार ऋणविहिन परिवार है।
23. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति में स्वास्थ्य के उपचार में बैगा, गुनिया, को प्राथमिकता कम मे रखते है। किसी रोग के उपचार हेतु प्राथमिकता से परंपरागत उपचार (बैगा, गुनिया) पद्धति को ही प्राथमिकता देते है। उसके पश्चात स्थानीय स्तर में उपलब्ध सुविधा युक्त चिकित्सको के द्वारा उपचार कराया जाता है। जो 98.82 प्रतिशत है स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण से मलेरिया, खांसी एवं अन्य बिमारियों से 0.52 प्रतिशत परिवार बिमारी से ग्रस्त पाये गये जिसमें से पुरूष 0.61 प्रतिशत एवं महिला 0.42 प्रतिशत सदस्य है। कमार कुल जनसंख्या 26509 में से 37 व्यक्तियों को गंभीर बीमारी/लंबी बीमारी से गस्त पाया गया है।
24. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कृषि विकास संबंधी योजना से 16.62 प्रतिशत परिवार लाभाविन्त हुये है। उसमें से 64.01 प्रतिशत परिवार भूमि आबंटन, 23.99 प्रतिशत परिवार कृषि बीज खाद से, 8.21 प्रतिशत परिवार भूमि अधिग्रहण एवं 2.17 प्रतिशत परिवार बैलगाड़ी की सहायता योजना एवं 1.37 प्रतिशत परिवार सिंचाई योजना से लाभान्वित पाये गये।आर्थिक विकास योजनाओं से लाभान्वित परिवारों में से 32.66 प्रतिशत पशुधन विकास, 16.13 प्रतिशत परिवार लघु व्यवसाय, 25.81 प्रतिशत परिवार गृह उद्योग जैसी योजनाओं लाभान्वित हुये है।
25. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के लिये अभिकरणों, प्रकोष्ठों एवं परियोजनओं के माध्यम से पुर्नवास योजना से 26.09 प्रतिशत परिवार एवं आवास योजना से 39.15 प्रतिशत परिवार लाभान्वित है।

संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवंप्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर

ग्रामवार कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की जानकारी (PVTGs)

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या पुरूष	महिला	योग
1	बलौदाबाजार	कसडोल	2	4443987	बल्दा कछार	31	63	56	119
2	बलौदाबाजार			4443989	अवराई	9	16	24	40
	योग					**40**	**79**	**80**	**159**
कुलयोग			**2**	**-**	**-**	**40**	**79**	**80**	**159**
1	धमतरी	धमतरी	5	4447137	कोटाभर्री	4	7	8	15
2	धमतरी			4447138	बरारी	6	12	14	26
3	धमतरी			4447140	शकरवारा	5	7	8	15
4	धमतरी			4447141	भोयना	3	11	12	23
5	धमतरी			4447159	लीलर	2	4	3	7
	योग					**20**	**41**	**45**	**86**
1	धमतरी	मगरलोड	26	4446905	पहंदा	11	16	19	35
2	धमतरी			4446907	झांझरकेरा	5	8	8	16
3	धमतरी			4446908	भालूचुवा	1	5	4	9
4	धमतरी			4446911	स्रगी	3	3	3	6
5	धमतरी			4446913	जमली	1	4	1	5
6	धमतरी			4446914	मोहदी	7	15	11	26
7	धमतरी			4446915	बेलोरा	17	34	31	65
8	धमतरी			4446918	मंडेली	58	113	93	206
9	धमतरी			4446922	बिरझूली	26	35	40	75
10	धमतरी			4446970	कोरगांव	24	36	53	89
11	धमतरी			4446972	परसाबुडा	25	52	41	93
12	धमतरी			4446980	मडवा पथरा	10	24	21	45

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
13	धमतरी			4446981	बेन्द्राचुवा	6	8	10	18
14	धमतरी			4446984	मोहेरा	97	182	183	365
15	धमतरी			4446985	सरईभादर	1	1	1	2
16	धमतरी			4446986	मारागांव	12	24	24	48
17	धमतरी			4446988	खडमा	37	61	55	116
18	धमतरी			4446990	हथबंद	5	10	5	15
19	धमतरी			4446992	धनोरा	2	4	3	7
20	धमतरी			4446993	भंडारवाड़ी	20	45	54	99
21	धमतरी			4446996	सिंगपुर	42	73	91	164
22	धमतरी			4446999	बोदल बहारा	19	26	32	58
23	धमतरी			4447006	जलकुम्भी	1	1	2	3
24	धमतरी			4447007	बोईरगांव	11	17	32	49
25	धमतरी			4447008	मुरमडीह	5	7	9	16
26	धमतरी			4447012	बसीखाई	2	5	1	6
	योग					**448**	**809**	**827**	**1636**
1	धमतरी	नगरी	88	4447174	सलोनी	11	22	19	41
2	धमतरी			4447177	पथरीडीह	17	25	31	56
3	धमतरी			4447178	कांटाकुर्रीडीह	14	23	29	52
4	धमतरी			4447179	सीरौदखुर्द	1	4	1	5
5	धमतरी			4447181	बनबगौद	43	72	92	164
6	धमतरी			4447183	कुर्रीडीह	22	42	45	87
7	धमतरी			4447184	पीपरछेडी	14	30	26	56

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
8	धमतरी			4447185	बरबंधा	23	45	55	100
9	धमतरी			4447188	मकारदोना	33	45	61	106
10	धमतरी			4447189	कुकरेल	15	43	27	70
11	धमतरी			4447192	कुम्हड़ा	28	51	59	110
12	धमतरी			4447193	झुरातराई	5	8	9	17
13	धमतरी			4447194	कोटरवाही	6	13	13	26
14	धमतरी			4447197	पारधी	2	4	2	6
15	धमतरी			4447198	कोर्रा	40	65	88	153
16	धमतरी			4447199	केरेंगांव	8	14	14	28
17	धमतरी			4447204	अमलीपारा	5	5	7	12
18	धमतरी			4447207	सीयारीनाला	19	34	40	74
19	धमतरी			4447208	बगरूमनाला	20	40	44	84
20	धमतरी			4447209	बीजापुर	2	7	4	11
21	धमतरी			4447210	हितली	1	1	1	2
22	धमतरी			4447212	गेदरा	36	79	77	156
23	धमतरी			4447213	गट्टासिल्ली	1	0	1	1
24	धमतरी			4447216	करैहा	10	14	15	29
25	धमतरी			4447218	चिवर्री मा	6	7	11	18
26	धमतरी			4447221	कोरेमुडा	10	25	21	46
27	धमतरी			4447225	राजपुर	14	41	31	72
28	धमतरी			4447232	परसपानी	9	18	18	36
29	धमतरी			4447234	काल्लेमेटा	36	60	53	113

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
30	धमतरी			4447235	डोंगरडुला	27	51	49	100
31	धमतरी			4447236	बिलभदर	10	18	22	40
32	धमतरी			4447241	छिपली	10	19	18	37
33	धमतरी			4447242	संबलपुर	22	47	46	93
34	धमतरी			4447243	अमाली	15	25	28	53
35	धमतरी			4447245	फरसिया	25	43	39	82
36	धमतरी			4447246	खुदुरपानी	10	18	20	38
37	धमतरी			4447251	संकरा (मसान डबरा)	76	146	144	290
38	धमतरी			4447253	हिन्छापुर	10	17	16	33
39	धमतरी			4447255	नवागांव	2	2	2	4
40	धमतरी			4447256	उमरगांव	9	22	21	43
41	धमतरी			4447259	पोड़ागांव	5	12	12	24
42	धमतरी			4447260	रतावां	5	11	9	20
43	धमतरी			4447261	लखनपुरी	8	12	14	26
44	धमतरी			4447262	भीषमपुरी	1	1	1	2
45	धमतरी			4447263	भीरागांव	6	9	12	21
46	धमतरी			4447279	गढडोंगरी माल	5	11	9	20
47	धमतरी			4447283	कसपुर	35	76	72	148
48	धमतरी			4447284	पंडरीपानी	1	2	2	4
49	धमतरी			4447285	पंडरीपानी माल	1	2	1	3
50	धमतरी			4447287	भीतररास	3	5	3	8
51	धमतरी			4447288	सेमरा (भातखार)	9	19	15	34
52	धमतरी			4447292	खडवापथरा	1	2	1	3

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
53	धमतरी			4447301	न्वागांव (कसपुर)	4	9	7	16
54	धमतरी			4447305	कोरमुड	5	12	9	21
55	धमतरी			4447310	भुरसीडोंगरी	8	17	12	29
56	धमतरी			4447311	बरबंधा	26	42	60	102
57	धमतरी			4447314	घुरावड	16	32	25	57
58	धमतरी			4447316	बोराई	13	19	22	41
59	धमतरी			4447319	लिखमा	9	19	20	39
60	धमतरी			4447325	बेलारबहारा	2	5	3	8
61	धमतरी			4447326	मेचका	9	9	17	26
62	धमतरी			4447329	बरपदर	7	9	12	21
63	धमतरी			4447330	बोइरगांव	20	31	32	63
64	धमतरी			4447331	अमाबाहरा	5	9	14	23
65	धमतरी			4447333	लासुनवाही	12	27	25	52
66	धमतरी			4447337	बासीखाई	12	15	22	37
67	धमतरी			4447338	डोकाल	5	11	11	22
68	धमतरी			4447341	कौहाबाहरा	29	54	56	110
69	धमतरी			4447347	सरईटोला	10	15	22	37
70	धमतरी			4447350	दुगली	17	34	23	57
71	धमतरी			4447355	जबर्रा	35	58	71	129
72	धमतरी			4447356	खरका	80	164	158	322
73	धमतरी			4447358	मटीया बहरा	11	21	22	43
74	धमतरी			4447359	भैंसमुडा	13	27	22	49
75	धमतरी			4447360	चंदन बाहरा	4	6	10	16

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
76	धमतरी			4447361	घोरागांव	47	84	103	187
77	धमतरी			4447362	लीलांज	11	22	18	40
78	धमतरी			4447366	ठोठाझारियां	1	1	2	3
79	धमतरी			4447368	गाता बाहरा	6	10	11	21
80	धमतरी			4447372	बिरनासिल्ली	36	75	73	148
81	धमतरी			4447373	आमागांव	10	19	19	38
82	धमतरी			4447374	बाहीगांव	3	6	3	9
83	धमतरी			4447378	बरोली	2	3	5	8
84	धमतरी			4447385	कोंगेरा	8	18	15	33
85	धमतरी			4447391	झुंझराकसा	6	15	10	25
86	धमतरी			4447399	सालहेभांट	4	5	6	11
87	धमतरी			4447407	दौड पडरीपानी	5	9	6	15
88	धमतरी			4802053	चुरीयापारा नगरी	5	11	10	21
	योग					**1243**	**2330**	**2406**	**4736**
कुलयोग			**119**	**-**	**-**	**1711**	**3180**	**3279**	**6459**
1	गरियाबंद	छूरा	59	4445190	फिंगेश्वरी	12	25	25	50
2	गरियाबंद			4445191	अकलवारा	5	11	10	21
3	गरियाबंद			4445195	बामहानी	13	26	18	44
4	गरियाबंद			4445197	मुडागांव	28	49	48	97
5	गरियाबंद			4445200	वन लोहझर	6	13	7	20
6	गरियाबंद			4445201	गोदलाबाहरा	41	65	85	150
7	गरियाबंद			4445203	भेरा	12	28	26	54
8	गरियाबंद			4445205	अमलोर	14	31	32	63
9	गरियाबंद			4445206	जमाली	18	34	33	67

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
10	गरियाबंद			4445207	पाठसिवनी	7	11	8	19
11	गरियाबंद			4445208	परसदा खुर्द	18	36	42	78
12	गरियाबंद			4445209	पिपरहट्टा	6	13	12	25
13	गरियाबंद			4445210	देवगांव	41	81	65	146
14	गरियाबंद			4445211	खुडियाडीह	4	9	6	15
15	गरियाबंद			4445213	नागीनबाहरा	20	39	39	78
16	गरियाबंद			4445215	बिरनीबाहरा	36	70	56	126
17	गरियाबंद			4445218	कारीदादर	23	41	39	80
18	गरियाबंद			4445220	चरौदा	33	65	70	135
19	गरियाबंद			4445224	नवाडीह	3	4	4	8
20	गरियाबंद			4445239	खट्टी	22	46	48	94
21	गरियाबंद			4445245	रवेली	21	54	52	106
22	गरियाबंद			4445255	फूलझर	19	32	39	71
23	गरियाबंद			4445259	तौरेंगा	13	26	22	48
24	गरियाबंद			4445260	दियोना	42	71	76	147
25	गरियाबंद			4445270	पोंड	19	31	36	67
26	गरियाबंद			4445271	मोहतरा	16	22	22	44
27	गरियाबंद			4445272	बोडराबांधा	3	3	8	11
28	गरियाबंद			4445273	असरा	10	13	16	29
29	गरियाबंद			4445274	घटकर्रा	14	26	20	46
30	गरियाबंद			4445275	नागझार	14	29	26	55
31	गरियाबंद			4445276	जुनवानी	2	5	3	8
32	गरियाबंद			4445278	कोसामपानी	20	33	31	64
33	गरियाबंद			4445279	तालेसर	9	14	12	26

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
34	गरियाबंद			4445281	गायडबरी	23	50	40	90
35	गरियाबंद			4445284	मडेली	12	21	20	41
36	गरियाबंद			4445286	जरगांव	36	75	79	154
37	गरियाबंद			4445287	पिपराछेडी	70	146	130	276
38	गरियाबंद			4445288	बिरोडर	47	96	102	198
39	गरियाबंद			4445291	पंडरीपानीडीह	13	25	23	48
40	गरियाबंद			4445292	धरमपुर	51	98	110	208
41	गरियाबंद			4445296	देवरी	43	70	69	139
42	गरियाबंद			4445297	गोनबोरा	20	37	33	70
43	गरियाबंद			4445299	पनडरीपानीकमार	5	9	9	18
44	गरियाबंद			4445301	मलीयार	25	53	41	94
45	गरियाबंद			4445302	सेहरापानी	10	14	14	28
46	गरियाबंद			4445303	सिवनी	9	18	14	32
47	गरियाबंद			4445306	टेंगनबासा	3	6	5	11
48	गरियाबंद			4445310	नवगई	6	11	11	22
49	गरियाबंद			4445317	परसापानी	9	17	11	28
50	गरियाबंद			4445326	छत्तरपुर	24	46	44	90
51	गरियाबंद			4445335	छिनदौली	29	55	42	97
52	गरियाबंद			4445338	हिराबस्तर	27	44	38	82
53	गरियाबंद			4445340	दादरागांव	6	11	14	25
54	गरियाबंद			4445342	सुररूगपानी	3	8	9	17
55	गरियाबंद			4445344	रसेला	11	27	20	47
56	गरियाबंद			4445347	मुढीपानी	30	56	50	106

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
57	गरियाबंद			4445350	लादाबहरा	13	32	24	56
58	गरियाबंद			4445351	कुडेराददार	2	4	5	9
59	गरियाबंद			4445352	रूवाड	1	2	2	4
	योग					1092	2087	1995	4082
1	गरियाबंद	फिंगेश्वर	18	4444785	हाथखोज	5	12	13	25
2	गरियाबंद			4444787	परसदा	2	4	4	8
3	गरियाबंद			4444789	पसौद	4	8	7	15
4	गरियाबंद			4444795	भेन्ड्री	2	0	5	5
5	गरियाबंद			4444796	पथरी	7	15	11	26
6	गरियाबंद			4444798	राजकट्टी	4	3	5	8
7	गरियाबंद			4444799	बम्हनदेही	36	66	54	120
8	गरियाबंद			4444800	बनगवा	22	34	45	79
9	गरियाबंद			4444803	खैरीझीटी	13	21	22	43
10	गरियाबंद			4444804	बोरीद	1	1	1	2
11	गरियाबंद			4444805	सरकडा	10	16	15	31
12	गरियाबंद			4444806	खुडसा	10	16	16	32
13	गरियाबंद			4444816	रकसा	14	22	22	44
14	गरियाबंद			4444860	सहसपुर	4	6	6	12
15	गरियाबंद			4444866	चुहिया	9	19	19	38
16	गरियाबंद			4444867	जमाही	14	25	23	48
17	गरियाबंद			4444868	जोगीडीपा	28	56	57	113
18	गरियाबंद			4444876	गनीयारी	20	37	27	64
	योग					205	361	352	713
1	गरियाबंद	गरियाबंद	71	4445025	दलदली	8	15	13	28

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
2	गरियाबंद			4445030	दंतवायकला	17	28	28	56
3	गरियाबंद			4445031	गोंडवाय	6	13	10	23
4	गरियाबंद			4445032	कमारभौन्दी	31	48	60	108
5	गरियाबंद			4445034	डुमरबाहरा	40	76	64	140
6	गरियाबंद			4445037	पतोरादादर	1	2	3	5
7	गरियाबंद			4445043	टेवारी	19	28	34	62
8	गरियाबंद			4445046	फुलकर्रा	24	34	44	78
9	गरियाबंद			4445048	अमेठी	20	39	33	72
10	गरियाबंद			4445049	मदनपुर	3	2	8	10
11	गरियाबंद			4445057	मैनपुर	3	4	10	14
12	गरियाबंद			4445058	कंटीदादर	42	66	76	142
13	गरियाबंद			4445059	रांकादादर	11	17	19	36
14	गरियाबंद			4445063	कोसमी	36	58	56	114
15	गरियाबंद			4445064	बरबहरा	46	82	82	164
16	गरियाबंद			4445065	अमझार	83	141	152	293
17	गरियाबंद			4445066	हरदी	30	56	47	103
18	गरियाबंद			4445068	विजयनगर	16	27	23	50
19	गरियाबंद			4445069	टोइयामुडा	56	94	100	194
20	गरियाबंद			4445071	बारूका	20	22	30	52
21	गरियाबंद			4445074	गाहंदर	10	12	20	32
22	गरियाबंद			4445076	भेजरीहडीह	20	35	38	73
23	गरियाबंद			4445077	कोदोबटर	56	112	93	205
24	गरियाबंद			4445082	सोहागपुर	56	94	114	208

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
25	गरियाबंद			4445087	खट्टी	11	19	17	36
26	गरियाबंद			4445090	परांगांव	3	5	3	8
27	गरियाबंद			4445092	पेन्ड्रा (छिंदौला)	26	52	48	100
28	गरियाबंद			4445094	कुचेना	25	45	46	91
29	गरियाबंद			4445096	बेंदकुरा	20	31	35	66
30	गरियाबंद			4445099	बमहनी	62	93	99	192
31	गरियाबंद			4445100	डोंगरीगांव	16	31	26	57
32	गरियाबंद			4445101	केसोडार	39	98	75	173
33	गरियाबंद			4445104	नहरगांव	9	13	20	33
34	गरियाबंद			4445105	तवारबाहरा	16	34	38	72
35	गरियाबंद			4445106	नगाबुडा	36	71	65	136
36	गरियाबंद			4445108	पडरीपानी	10	14	14	28
37	गरियाबंद			4445111	हाथवाय	26	43	43	86
38	गरियाबंद			4445112	गुजरा	11	19	17	36
39	गरियाबंद			4445114	कोडोहारदी	26	46	54	100
40	गरियाबंद			4445116	गरभनतोरा	50	86	95	181
41	गरियाबंद			4445117	चिखली	48	75	80	155
42	गरियाबंद			4445118	भैंसातारा	63	125	127	252
43	गरियाबंद			4445122	उरतुली	43	75	78	153
44	गरियाबंद			4445123	हसौदा	30	48	46	94
45	गरियाबंद			4445124	भीरलाट	12	17	25	42
46	गरियाबंद			4445126	पडरीपानी, आमदी	58	89	93	182
47	गरियाबंद			4445133	खुर्सीपार	3	7	4	11

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
48	गरियाबंद			4445135	खरता	13	24	21	45
49	गरियाबंद			4445138	दर्रीपारा	29	61	49	110
50	गरियाबंद			4445144	रावनडीगी	40	65	65	130
51	गरियाबंद			4445145	पेन्ड्रा, रावनडीगी	23	43	39	82
52	गरियाबंद			4445147	बिन्द्रानवागढ	61	110	110	220
53	गरियाबंद			4445148	सातधार	64	117	96	213
54	गरियाबंद			4445152	टिमनपुर	73	129	135	264
55	गरियाबंद			4445153	कुर्राबहरा	5	8	10	18
56	गरियाबंद			4445155	मरदाकला	3	5	7	12
57	गरियाबंद			4445157	बेगरपाला	19	36	38	74
58	गरियाबंद			4445159	मारागांव	26	49	35	84
59	गरियाबंद			4445160	टोरीभुई	6	8	8	16
60	गरियाबंद			4445165	मोहंदा	21	29	27	56
61	गरियाबंद			4445170	जंगलधवलपुर	12	19	16	35
62	गरियाबंद			4445173	अच्छा–छडका	29	55	54	109
63	गरियाबंद			4445174	जरनडीह	24	34	39	73
64	गरियाबंद			4445176	नगरार	40	70	68	138
65	गरियाबंद			4445177	अमामोरा	69	130	147	277
66	गरियाबंद			4445178	कुकरार	21	32	42	74
67	गरियाबंद			4445179	ओढ़	40	72	64	136
68	गरियाबंद			4445181	पंडरीपानी	23	26	39	65
69	गरियाबंद			4445182	भैंसमुडा	19	35	30	65
70	गरियाबंद			4445183	अमलोर	12	15	19	34

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या पुरूष	जनसंख्या महिला	जनसंख्या योग
71	गरियाबंद			4445184	हथोडाडीह	36	64	54	118
	योग					2005	3477	3517	6994
1	गरियाबंद	मैनपुर	51	4445355	फरसरा	4	9	8	17
2	गरियाबंद			4445356	छिंदोला	95	155	133	288
3	गरियाबंद			4445357	सिहार	85	133	153	286
4	गरियाबंद			4445362	जाड़ापदार	21	41	39	80
5	गरियाबंद			4445366	देवडोंगर	39	65	64	129
6	गरियाबंद			4445367	कठवा	21	35	32	67
7	गरियाबंद			4445368	कुल्हाडीघाट	98	140	149	289
8	गरियाबंद			4445369	भालूडिग्गी	36	60	50	110
9	गरियाबंद			4445370	गवरमुंड	48	64	87	151
10	गरियाबंद			4445371	बेसराझार	53	93	77	170
11	गरियाबंद			4445373	नारीपानी	6	8	9	17
12	गरियाबंद			4445374	कोनारी	10	8	13	21
13	गरियाबंद			4445375	तुहामेटा	152	234	236	470
14	गरियाबंद			4445376	कवारआमा	21	38	37	75
15	गरियाबंद			4445378	फुलझर	1	2	1	3
16	गरियाबंद			4445379	डूमरघाट	19	33	30	63
17	गरियाबंद			4445381	तौरेंगा	31	37	49	86
18	गरियाबंद			4445382	जुगाड़	7	15	10	25
19	गरियाबंद			4445387	अमाली	64	92	83	175
20	गरियाबंद			4445389	ठेमली	3	1	3	4
21	गरियाबंद			4445390	बेहराडीह	78	156	129	285
22	गरियाबंद			4445391	बोईरगांव	13	25	15	40
23	गरियाबंद			4445394	उडईपानी	12	21	26	47
24	गरियाबंद			4445398	पथरी	54	93	82	175
25	गरियाबंद			4445400	गोबरा	30	46	45	91
26	गरियाबंद			4445401	छोटेगोबरा	25	32	32	64
27	गरियाबंद			4445408	भाठिगढ़	8	13	13	26

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
28	गरियाबंद			4445410	अड़गड़ी	1	2	1	3
29	गरियाबंद			4445418	गोना	8	13	12	25
30	गरियाबंद			4445419	बडगांव	4	6	6	12
31	गरियाबंद			4445422	गौरगांव	6	4	9	13
32	गरियाबंद			4445430	भाठापानी	19	33	32	65
33	गरियाबंद			4445433	कोयेबा	9	14	11	25
34	गरियाबंद			4445435	खरीपथरा	46	77	79	156
35	गरियाबंद			4445442	कुहीमल	17	27	27	54
36	गरियाबंद			4445444	चिखली	3	7	5	12
37	गरियाबंद			4445445	धुमरापदर	12	16	17	33
38	गरियाबंद			4445450	सरनाबहाल	20	28	28	56
39	गरियाबंद			4445461	पानीगांव	4	7	5	12
40	गरियाबंद			4445469	धुररावापथरा	5	7	6	13
41	गरियाबंद			4445484	गोलामाल	9	21	12	33
42	गरियाबंद			4445490	फरसरा	26	42	35	77
43	गरियाबंद			4445493	डूमाघाट	35	52	50	102
44	गरियाबंद			4445494	कांडसर	11	15	15	30
45	गरियाबंद			4445497	गोहरामाल	29	51	43	94
46	गरियाबंद			4445498	बनवापारा	10	17	17	34
47	गरियाबंद			4445499	बुरजाबहाल	34	46	56	102
48	गरियाबंद			4445514	कोदोमाली	12	18	22	40
49	गरियाबंद			4445515	नया ताराझर	19	37	36	73
50	गरियाबंद			4445517	मटाल	38	61	63	124
51	गरियाबंद			4445529	बुडगेलटप्पा	26	38	43	81
	योग					**1437**	**2288**	**2235**	**4523**
कुलयोग			**199**	**-**	**-**	**4739**	**8213**	**8099**	**16312**
1	कांकेर	नरहरपुर	13	4447890	मरादेव	1	3	1	4
2	कांकेर			4447903	उरैया	2	1	2	3
3	कांकेर			4447905	बादल	3	5	9	14
4	कांकेर			4447947	गवारसिल्ली	3	7	5	12

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
5	कांकेर			4447950	भैंसमुंडी	5	14	7	21
6	कांकेर			4447966	दुधावा	9	17	14	31
7	कांकेर			4447967	बिहावापारा	3	3	6	9
8	कांकेर			4447971	भीमाडीह	10	19	19	38
9	कांकेर			4447972	मुसुरपुट्टा	11	15	19	34
10	कांकेर			4447975	दलदली	4	12	7	19
11	कांकेर			4447997	मावलीपारा	18	31	43	74
12	कांकेर			4448000	सैनमुंडा	7	14	11	25
13	कांकेर			4448001	बासनवाही	3	2	8	10
	योग					**79**	**143**	**151**	**294**
कुल योग			**13**	**-**	**-**	**79**	**143**	**151**	**294**
1	कोण्डागांव	बडेराजपुर	1	4448607	कोसमी	10	20	17	37
	योग					**10**	**20**	**17**	**37**
कुल योग			**1**	**-**	**-**	**10**	**20**	**17**	**37**
1	महासमुंद	बागबाहरा	32	4446611	गुलझर	14	23	27	50
2	महासमुंद			4446615	भोथा	5	9	7	16
3	महासमुंद			4446653	रोडा	4	8	8	16
4	महासमुंद			4446655	खम्हरिया	2	3	2	5
5	महासमुंद			4446657	अमलीडीह	10	20	15	35
6	महासमुंद			4446658	कुरूभाठा	27	52	46	98
7	महासमुंद			4446660	धौराभांठा	11	20	26	46
8	महासमुंद			4446664	डूमरपाली	6	9	10	19
9	महासमुंद			4446665	पेंड्रा	6	16	11	27
10	महासमुंद			4446667	खुटेरी	7	14	12	26
11	महासमुंद			4446668	तुसदा	7	14	13	27
12	महासमुंद			4446670	धरमपुर	25	49	46	95
13	महासमुंद			4446671	अमेठी	9	10	19	29
14	महासमुंद			4446672	तमोरा	11	19	22	41
15	महासमुंद			4446673	ढोड	14	19	30	49

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
16	महासमुंद			4446678	कमरौद	4	9	9	18
17	महासमुंद			4446679	चरौदा	14	25	22	47
18	महासमुंद			4446680	जोरातराई	30	50	62	112
19	महासमुंद			4446681	रैताल	6	12	7	19
20	महासमुंद			4446685	जुनवानी कला	19	29	29	58
21	महासमुंद			4446694	लमकेनी	11	18	24	42
22	महासमुंद			4446718	कलमिदादर	13	25	21	46
23	महासमुंद			4446729	सिर्रीपठारी मुंडा	47	80	91	171
24	महासमुंद			4446732	खल्लारी	8	12	13	25
25	महासमुंद			4446748	एम.के.बहारा	2	0	2	2
26	महासमुंद			4446752	मोंहदी	11	22	27	49
27	महासमुंद			4446754	हाडाबंद	15	28	18	46
28	महासमुंद			4446756	मामाभांचा	9	16	13	29
29	महासमुंद			4446757	डोंगरीपाली	6	8	7	15
30	महासमुंद			4446760	खमारमुड़ा	20	35	37	72
31	महासमुंद			4446765	जीवनगढ़	1	1	2	3
32	महासमुंद			4446767	जोगीडीपा	16	32	25	57
	योग					**390**	**687**	**703**	**1390**
1	महासमुंद	महासमुन्द		4446090	अमलोर	8	6	13	19
2	महासमुंद			4446091	खमतराई	1	1	0	1
3	महासमुंद			4446093	सिरपुर	16	29	34	63
4	महासमुंद			4446094	मरौद	4	10	7	17
5	महासमुंद			4446095	सुकुलबाय	2	5	2	7
6	महासमुंद		41	4446096	नांदबारू	3	6	8	14
7	महासमुंद			4446097	खंडसा	14	34	30	64
8	महासमुंद			4446098	मोहकम	7	15	14	29
9	महासमुंद			4446099	पिढी	28	49	49	98
10	महासमुंद			4446112	बांसकुड़ा	21	46	36	82
11	महासमुंद			4446113	जलकी	5	10	11	21

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम / नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
12	महासमुंद			4446119	खिरसाली	3	5	8	13
13	महासमुंद			4446121	अचानकपुर	15	25	27	52
14	महासमुंद			4446131	बोडरा	8	14	14	28
15	महासमुंद			4446143	सिनोधा	6	13	13	26
16	महासमुंद			4446144	बनपचरी	15	28	28	56
17	महासमुंद			4446148	जोरातराई	42	77	101	178
18	महासमुंद			4446155	कोलपदर	26	50	50	100
19	महासमुंद			4446156	पाटनदादर	4	9	8	17
20	महासमुंद			4446161	रामपुर	24	42	46	88
21	महासमुंद			4446169	कुर्राभाठा	11	26	21	47
22	महासमुंद			4446202	खट्टी	18	33	31	64
23	महासमुंद			4446203	परसदा	2	2	3	5
24	महासमुंद			4446204	जियोतारा	13	21	22	43
25	महासमुंद			4446205	लभराकला	9	21	15	36
26	महासमुंद			4446208	धनसूली	27	42	44	86
27	महासमुंद			4446212	बकमा	9	12	18	30
28	महासमुंद			4446213	कोना	3	5	6	11
29	महासमुंद			4446215	सालहेभाट	14	31	28	59
30	महासमुंद			4446217	केशवा	7	13	9	22
31	महासमुंद			4446219	झलखमहारिया	15	28	24	52
32	महासमुंद			4446220	सिरगिडी जामली	5	6	7	13
33	महासमुंद			4446226	लभराखुर्द	8	10	17	27
34	महासमुंद			4446227	कौंदकेरा	2	1	1	2
35	महासमुंद			4446228	उमरदा	4	6	7	13
36	महासमुंद			4446229	गौरखेडा	4	8	7	15
37	महासमुंद			4446230	वनसिवनी	35	56	65	121
38	महासमुंद			4446231	लोहारडीह, परसापानी	4	6	9	15
39	महासमुंद			4446232	सोरिद	7	7	12	19
40	महासमुंद			4446265	सिधि	4	6	5	11

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कुल सर्वेक्षित ग्राम /नगर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	कुल परिवार	जनसंख्या		
							पुरूष	महिला	योग
41	महासमुंद			4446276	चुहरी	8	13	14	27
	योग					**461**	**827**	**864**	**1691**
1	महासमुंद	पिथोरा	2	4446287	सोनासिल्ली	15	26	32	58
2	महासमुंद			4446302	भिथीडीह	29	59	50	109
	योग					**44**	**85**	**82**	**167**
कुलयोग			**75**	-	-	**895**	**1599**	**1649**	**3248**
महायोग			**409**	-	-	**7474**	**13234**	**13275**	**26509**